प्रभात

इस अंक में .....

★ महाराष्ट्र लोकतांत्रिक मोर्चे के दो साल के शासन... 5
★ श्रद्धांजली ... 8
★ संघर्ष की खबरें... 11
★ अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस ... 16
★ दोहा सम्मेलन : कसता नव-उपनिवेशी जाल... 20
★ लुटेरी सरकार के झूठे सुधारों का प्रतिरोध करो ... 24
★ गुजरात में जारी मुसल्मानों के कत्लेआमों पर ... 26

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष - 15 अंक - 2 अप्रैल-जून 2002 सहयोग राशि - 10 रुपए

अनवरत आगे बढ़ता नेपाल का जनयुद्ध जिन्दाबाद !

भारतीय विस्तारवादियों, खबरदार जो नेपाल में दखलंदाजी करें !!

पिछले 13 फरवरी को नेपाल के जनयुद्ध ने अपने 7वें साल में प्रवेश किया। एक अनुमान है कि इस जनयुद्ध के दौरान अब तक दोनों पक्षों में 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए। नेपाल में निरंकुश राजशाही को ढहाकर मजदूर-किसान एकता के आधार पर जनवादी गणतंत्र की स्थापना के लक्ष्य से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) – [सीपीएन(एम)] – की अगुवाई में बढ़ रहे नेपाल के जनयुद्ध पर दक्षिण एशिया में ही नहीं, बल्कि समूची दुनिया में भी उत्पीड़ित जनता की नई आशाएं जाग रही हैं। नेपाल के शासक वर्ग, भारत के विस्तारवादी शासक और साम्राज्यावादी, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादी नेपाल के जनयुद्ध को देख डर से कांप रहे हैं। सभी लुटेरों ने एकजुट होकर यह ठान ले रखी है कि 'दुनिया की छत' कहलाने वाले इस हिमालय देश में लाल झण्डा नहीं फहराने दिया जाए। दूसरी ओर, हमारे पड़ोस में ही, लंबे-लंबे डग भरते हुए, महान कामयाबियों के साथ आगे बढ़ रहा नेपाल का जनयुद्ध हमारे देश की जनता को काफी प्रेरणा दे रहा है।

पिछले साल के जून महीने में तत्कालीन नरेश बीरेन्द्र और उसके राज परिवार की षड़यंत्रपूर्ण तरीके से हत्या करके बीरेन्द्र के भाई ज्ञानेन्द्र के सत्ता संभालने के बाद से देश भर में जनयुद्ध का बड़ा उभार सा आया। राज परिवार हत्याकाण्ड का सीपीएन(एम) ने यह कहकर विश्लेषण किया कि वह उस साजिश का नतीजा था जो नेपाल के शासक वर्गों ने भारतीय विस्तारवादियों और साम्राज्यवादियों से मिलकर रची थी ताकि एक ऐसे शासक वर्गों के गिरोह को सत्ता सौंप दी जा सके जो ज्यादा आक्रामकता और ज्यादा निरंकुशता के साथ नेपाल में जनयुद्ध को कुचल दे। राज परिवार हत्याकाण्ड के बाद उमड़ पड़े जन आन्दोलन की नेपथ्य में सीपीएन(एम) ने यह मांग उठाकर आन्दोलन को तेज किया कि संवैधानिक राजशाही को समाप्त किया जाए। इस संकटपूर्ण माहौल को अपने अनुकूल तब्दील कर लेते हुए सीपीएन(एम) के छापामारों ने कई जिलों में, खास तौर पर नेपाल के पश्चिमी प्रान्त में कई बहादुराना हमले किए। उन्होंने न सिर्फ कई पुलिस वालों का सफाया किया, बल्कि कइयों को बंदी भी बना लिया। नेपाल के कई जिलों में उनका विस्तार हुआ। संख्या की दृष्टि से और अस्त्र-शत्रों की दृष्टि से भी वे काफी मजबूत हो गए। उनके जनाधार में भी काफी इजाफा हुआ। संक्षेप में कहा जाए, तो गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट में छटपटाने वाले नेपाली समाज में सीपीएन(एम) एक जबर्दस्त राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर चुकी थी।

नेपाल में भड़क उठ रहे जनयुद्ध के शोलों से भयभीत हुए शासक वर्गों ने सीपीएन(एम) से बातचीत करने की पेशकश की ताकि उससे निपट सकने के लिए जरूरी वक्त पाया जा सके। जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करते हुए सीपीएन(एम) ने तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के इस्तीफे की शर्त पर बातचीत के लिए सहमति जताई। साथ ही, उसने यह मांग भी रखी कि देश भर में विभिन्न जेलों में बंद कई माओवादियों को रिहा किया जाए। इससे कोइराला को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। कई माओवादी बंदियों को जेल से रिहा करवा लेने में भी सीपीएन(एम) को सफलता मिली। बाद में अगस्त 2001 में उसने संघर्षविराम की घोषणा की। सीपीएन(एम) के प्रतिनिधिमण्डल ने तीन मुख्य मांगों पर सरकार के साथ तीन दफा चर्चा की – संवैधानिक राजशाही को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना, विधान-सभा का गठन और अन्तरिम सरकार का गठन।

लेकिन ज्ञानेन्द्र गिरोह ने सीपीएन(एम) की किसी एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया। एक ओर बातचीत का ढोंग करते हुए ही, उसने सीपीएन(एम) के खिलाफ एक और आक्रामक हमले की तैयारियां शुरू कर दीं। ऊपर से, ज्ञानेन्द्र ने न सिर्फ राजनीतिक तौर पर अपना स्थान मजबूत किया, बल्कि अपने विवादास्पद पुत्र पारस को युवराज भी घोषित किया। शाही नेपाल सेना (आरएनए) को सीपीएन(एम) के खिलाफ हमले के लिए मुस्तैद किया। एक ओर वार्ता का ढोंग करते हुए ही नेपाली शासकों ने भारत से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने के लिए, गुप्त रूप से काउन्टर-इन्सर्जेन्सी ट्रेइनिंग हासिल करने के लिए और भारत के अर्ध-सैनिक बल की तर्ज पर विशेष रूप से माओवादियों से लड़ने वाले एक नए बल का गठन करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। काठमांडू के कॉलेजों

1 मई - अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिन्दाबाद !

मंगलसेन हमला जिसने लुटेरे शासकों की नीदें उड़ाईं

23 नवम्बर को डांग जिले के लमाही सैन्य बैरकों पर किए गए हमले के बाद, 16 फरवरी 2002 को सीपीएन (एम) के नेतृत्व वाली पीएलए (जन मुक्ति सेना) के हजारों लाल योद्धाओं ने नेपाल के सुदूर पश्चिमी जिला अच्छाम के मुख्यालय मंगलसेन के सैन्य बैराकों और सनफेबगर के हवाई अड्डे पर शक्तिशाली हमले किए। केमोफ्लेज वर्दियां पहने और चेहरों को काला रंग पुते हुए पीएलए के योद्धाओं ने मध्य रात्री के बाद बढ़िया तालमेल के साथ यह हमला किया। अलग-अलग टुकड़ियों में बंटे हुए पीएलए के लड़ाकू योद्धा अपने तयशुदा लक्ष्यों पर गजब की तेजी से चल पड़े। उन्होंने सैन्य बैराकों पर हमला करके कुल 58 सैनिकों में से 55 को मौत के घाट उतार दिया। कुछ अन्य योद्धाओं ने शस्त्रागार पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में लिया। दूसरी ओर हवाई अड्डे पर और अन्य जगहों पर किए हमले में कुल 77 पुलिस वालों का सफाया कर दिया। यानी इस हमले में दुश्मन के कुल 132 बलों का सफाया किया गया। हालांकि माओवादियों को हुए नुकसानों के संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हमेशा की तरह मीडिया ने इस बार भी प्रचार मुहिम तेज कर दी कि बड़ी संख्या में माओवादियों की मौत हुई है। पीएलए की एक और टुकड़ी ने बैंक को तोड़कर 2 करोड़ नेपाली रुपए जब्त कर लिए।

1996 में नेपाल में जनयुद्ध की पहल के बाद दुश्मन के बलों की इतनी बड़ी संख्या को खत्म करने की यह पहली घटना थी। इस घटना ने तब तक रक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे इस प्रचार को खोखला साबित किया कि माओवादी अब हार रहे हैं और उनका मनोबल गिरता जा रहा है। निश्चित रूप से यह शाही नेपाल सेना के लिए अपमानजनक पराजय थी।

और हॉस्टलों में माओवादी छात्रों पर भयंकर दमनचक्र चलाना शुरू किया। इन सारी साजिशों को समझ लेते हुए मजबूर होकर माओवादियों ने 21 नवम्बर को संघर्षविराम को समाप्त करते हुए बयान जारी किया। उसके तुरन्त बाद शक्तिशाली हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया।

23 नवम्बर 2001 को सीपीएन(एम) के छापामारों ने देश के 12 जिलों में एक साथ हमले कर दिए। डांग और स्यांग्जा जिलों को उन्होंने खास तौर पर अपना निशाना बनाया। इन हमलों में छापामारों ने कम से कम 100 शत्रु बलों का सफाया कर दिया। उन्होंने दुश्मन से बड़े पैमाने पर हथियार, गोला-बारूद, करोड़ों की नकद, सोना, आदि जब्त कर लिए। जमीन के पट्टों और ऋण-पत्रों को जला दिया। जेलों को तोड़कर कैदियों को मुक्ति दिलाई। पहली बार छापामारों ने आरएनए पर हमला करके एक मेजर समेत कम से कम 15 सैनिकों को मार गिराया। 23 नवम्बर की रात भर सुरखेत, रुकुम, कालिकोट, कस्कि, भक्वनपुर, शंखुबस्बा, त्रप्लेजंग और खोतंग जिलों में बमों के धमाके होते रहे।

जिस दिन देश भर में हमले किए गए, उसी दिन सीपीएन(एम) ने 'जन सरकार' की स्थापना की घोषणा की जिसकी राजधानी रोलपा होगी। नई 'जन क्रान्तिकारी सरकार' को चलाने के लिए कॉमरेड बाबूराम भट्टराई के नेतृत्व में 32 सदस्यीय 'संयुक्त क्रान्तिकारी जन परिषद' की स्थापना की घोषणा की। अगले ही दिन 'जन मुक्ति सेना (पीएलए)' की स्थापना की घोषणा भी की गई।

देशव्यापी हमले

23 नवम्बर को पीएलए ने नेपाल की डांग घाटी, जो काठमांडू के बाद सबसे बड़ी घाटी है, में वीरतापूर्ण हमला किया। डांग जिले के मुख्यालय घोराही में सैकड़ों पीएलए सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस हमले में 15 सैनिक, 11 पुलिस कर्मी – कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हो गए। इस हमले में पीएलए के तीन कॉमरेड मौके पर ही शहीद हो गए और बाद में ज़ख्मों से 4 योद्धा शहीद हो गए। पीएलए ने घोराही शहर को कुछ देर तक अपने कब्जे में रखा था। सेना के बैरकों और पुलिस के थाने से कम से कम 400 बन्दूकें और बड़ी संख्या में गोला-बारूद छीन लिया। इन बंदूकों में 99 एसएलआर शामिल थीं। बैंकों पर हमला करके 6.5 करोड़ रुपए की नकद, 59 पैकेट सोना, 3 पैकेट चांदी और अन्य तीन बन्दूकें जब्त कर लीं। मंत्रियों के घरों से सारी अवैध संपत्ति छीन ली। जिला स्तर के सरकारी दफ्तरों में अधिकांश को पीएलए ने तबाह कर दिया। पीछे हटने से पहले पीएलए ने जेल पर धावा बोलकर 17 कैदियों को रिहा कर दिया।

डांग के अलावा पीएलए का एक और बड़ा हमला स्यांग्जा में हुआ। इस हमले में एक इन्सपेक्टर समेत 14 पुलिस वाले मारे गए, जबकि पीएलए को कोई नुकसान नहीं हुआ। कई पुलिस वाले घायल हो गए। कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया। स्यांग्जा की मदद में पोखरा से आ रही कुमक पर पीएलए ने घात लगाकर हमला किया। यहां पर भी पीएलए ने जेल के कैदियों को मुक्ति दिलवाई। बैंकों से 20 करोड़ रुपए और पुलिस से 33 रायफलें छीन लीं। शहर में मौजूद कई सरकारी दफ्तरों को तबाह कर दिया।

इसके अलावा, छापामारों ने सुरखेत में तीन निजी हेलिकॉप्टरों को तबाह कर दिया। सड़कों पर अनेक स्थानों पर गड्ढे खोद दिए। देश भर में सरकारी दफ्तरों पर हमले किए। मोरंग जिले से भी पीएलए ने कई हथियार छीन लिए।

सुरखेत जिले के कालिदमर के पास पीएलए के लाल योद्धाओं द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में हाल ही में गठित सशस्त्र पुलिस बल की एक 46 सदस्यीय यूनिट फंस गई। इसमें से दो ही बचकर भाग निकले थे, बाकी 44 लोगों का कम से कम अगले दिन तक तो कोई पता नहीं मिल पाया था। ऐसा माना जा रहा था कि इनके हाथों में जो एसएलआर हथियार

झूठी मुठभेड़ों के खिलाफ माओवादियों की 5 दिवसीय हड़ताल सफल

माओवादी छापामारों के हाथों शर्मनाक पराजय के बाद नेपाल के प्रतिक्रियावादी शासन ने झूठी मुठभेड़ों में जनता की बड़े पैमाने पर हत्या करना शुरू किया। हालांकि शुरू से भी नेपाल की प्रतिक्रियावादी सरकार झूठी मुठभेड़ों में लोगों को मारती रही, लेकिन अब बड़ी संख्या में मारना शुरू किया। इस कत्लेआम के खिलाफ सीपीएन (एम) के आह्वान पर नेपाल में 2002 अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नेपाल में 5 दिवसीय हड़ताल रखी गई। यह हड़ताल पूरी तरह सफल रही।

थे, वे सभी पीएलए के हाथों में पड़ गए।

23 नवम्बर को किए गए हमलों के चार दिन बाद समूचे नेपाल में फिर एक बार हमलों का दौर चला। सुदूर पश्चिमी क्षेत्र के दारचुला के निकट 26 नवम्बर को पीएलए ने 40 पुलिस वालों के एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया जिसमें चार पुलिस वाले मारे गए और छह अन्य घायल हो गए, जबकि अन्य 17 पुलिस वालों को छापामारों ने गिरफ्तार किया। पीएलए ने सभी हथियार जब्त कर लिए। गोकुलेश्वर के कृषि बैंक पर हमला करके पैसे जब्त कर लिए। चूंकि हालात पूरी तरह तनावपूर्ण हो गए थे, इसलिए 27 नवम्बर को सभी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों को बन्द कर दिया गया।

सोलुखुंबु जिले के मुख्यालय सल्लेरि पर 27 नवम्बर को पीएलए द्वारा किए गए जबर्दस्त हमले में 27 पुलिस वालों और 4 सैनिकों समेत कुल 33 लोगों को मार गिराया गया। लेकिन पीएलए को यह कामयाबी बिना किसी कीमत के ही नहीं मिली। इस हमले को कामयाबी दिलाने की खातिर 17 कॉमरेडों ने अपनी जान की कुरबानी दी।

26 नवम्बर को शाही सरकार ने आपातकाल की घोषणा करके अखबारों पर कड़ी पाबंदियां लगाईं जिससे छापामारों के हमलों के संबंध में वास्तविक जानकारी मिलना मुश्किल हो गया। आपातकाल लागू करने के बाद पीएलए ने राजमहल के पास में ही कोकाकोला संयंत्र को उड़ा दिया। इस संयंत्र में राज परिवार की हिस्सेदारी थी।

आपातकाल की घोषणा – आरएनए की ऑपरेशन विफल

26 नवम्बर को शाही सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। यह दूसरे शब्दों में 1990 के पहले की राजशाही की बहाली के अलावा कुछ भी नहीं थी। आपातकाल के चलते संसद नाम मात्र की रह जाएगी और राजा एवं सेना के पास सभी अधिकार केन्द्रित हो जाएंगे। सरकार ने सीपीएन(एम) को और उसके संबंद्ध संगठनों को 'आतंकवादी' करार दिया। तुरन्त ही सरकार ने 'आतंकवादी-विघटनकारी गतिविधियों का (नियंत्रण-दण्ड) कानून' को पारित किया। इसने सभी संवैधानिक अधिकारों को निलम्बित किया। एक और अध्यादेश के जरिए सरकार ने माओवादियों को 'आतंकवादियों' के रूप में चित्रित करके यह घोषणा की कि उनसे संबंध रखने वाले सभी व्यक्ति सजा के पात्र होंगे। किसी भी 'आतंकवादी' को आजीवन कारावास सुनाया जा सकता है।

तुरन्त ही सरकार ने प्रेस पर अपना पंजा फैलाया। कई जननेताओं की गिरफ्तारी ली। 'जनदिशा', 'जनादेश' नामक पत्रिकाओं के सारे कर्मचारियों को यह कहकर गिरफ्तार किया गया कि माओवादियों के साथ उनके संबंध हैं। वामपंथी प्रकाशनों से संबंध रखने वाले कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। कुछ पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन को अस्थाई तौर पर रोक दिया।

आपातकाल को लागू करने के बाद आरएनए की पहली ऑपरेशन विफल हो गई। सदियों से प्रतिक्रियावाद के पिंजरे में रहने वाली आरएनए ने मुख्य क्रांतिकारी आधार इलाकों (आरबीए) में प्रवेश करने की कोशिश न करते हुए, मुख्य रूप से देश के विभिन्न इलाकों में हेलिकॉप्टरों से किए जाने वाले छिटपुट हमलों तक ही खुद को सीमित रखा। सुरखेत और प्यूथान में आरबीए में घुसने की उनकी प्राथमिक कोशिशें माओवादियों द्वारा सड़कों पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों और घात लगाकर किए गए हमलों के चलते नाकाम हुईं। इससे पीछे हटने वाली आरएनए अब अपनी प्रति-क्रांतिकारी कार्रवाइयों के लिए वैकल्पिक रणनीति की रचना में जुट गई। साथ ही साथ, वह आरबीए के सीमांत इलाकों में रहने वाली आम जनता का कत्लेआम कर रही है। 27 नवम्बर 2001 को डांग जिले के थार कबीले के 11 गरीब किसानों को निर्दयी शाही सैनिकों ने तब भून डाला जबकि वे एक जमींदार के खेत में फसल काट रहे थे। उसी दिन सल्लायान में एक परम्परागत समारोह में शामिल जनता पर आरएनए ने गोलियां बरसाईं, जिससे 13 लोग वहीं के वहीं मारे गए। डोलखा आदि जिलों से भी आरएनए द्वारा निहत्थी जनता के कत्लेआमों की खबरें मिलीं।

झूठा प्रचार

23 नवम्बर को पीएलए के साथ हुई पहली ही मुठभेड़ में आरएनए को मिली शर्मनाक पराजय के बाद ज्ञानेंद्र गिरोह ने माओवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर झूठा प्रचार अभियान छेड़ दिया। इसके तहत सरकार ने अफवाहें फैलाईं कि माओवादियों द्वारा किए गए हमलों में खुद माओवादियों को ही काफी जानी नुकसान हुआ है; और सरकार के साथ हुई वार्ता में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले पार्टी नेता कॉमरेड कृष्ण बहादुर महरा समेत कई मुख्य नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या फिर मारा गया। सरकार ने यह भी प्रचार किया कि सल्लेरी में हुई मुठभेड़ में 200 माओवादी मारे गए। चूंकि सरकार को फौजी तौर

डांग जिले में माओवादियों का जबर्दस्त हमला प्रतिक्रियावादी हथियारबन्द बलों को करारा झटका

11 अप्रैल 2002 को नेपाल के पश्चिमी डांग जिले की दो पुलिस चौकियों पर पीएलए के लाल योद्धाओं के हमले में 84 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक देश की राजधानी काठमांडू से 450 किलेमीटर दूर स्थित डांग जिले की सरबरिया और लम्ही पुलिस चौकियों पर माओवादियों ने एक साथ हमला बोल दिया। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में करीब 3,000 माओवादियों ने भाग लिया। सरबरिया चौकी पर 35 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, जबकि 49 अन्य पुलिस कर्मियों की मौत लम्ही चौकी पर हुई। इसमें कुछ नागरिकों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई। और इस हमले को सफल बनाने के लिए पीएलए के कुछ लालयोद्धाओं ने भी खून की कीमत अदा की। हमलों के बाद माओवादी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी ले गए, जिसका पुलिस ने अखबार वालों को ब्यौरा देने से इनकार कर दिया।

पर लगातार कड़े से कड़े झटके लग रहे हैं, इसलिए वह मनगढंत कहानियां फैला रही है ताकि नेपाल के जनयुद्ध की बदनामी की जा सके। पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉ. बादल और अध्यक्ष कॉ. प्रचण्ड के बीच तथा एक और प्रमुख नेता कॉ. बाबूराम भट्टराई और कॉमरेड प्रचण्ड के बीच गम्भीर मतभेद होने के बारे में बेसिरपैर का प्रचार भी किया गया। लेकिन पार्टी की कतारों ने इन सभी का निराधार कहकर खण्डन किया तथा पार्टी की एकजुटता को दोहराया। आत्मसमर्पण की नौटंकी भी इसी तरह की है। पार्टी के कई हमदर्दों को तथा बेकसूर लोगों को डरा-धमकाकर तथा कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उनके 'आत्मसमर्पण' के रूप में दिखा रहे हैं। प्रतिक्रियावादी यह प्रचार भी कर रहे हैं कि हेलिकॉप्टर गनशिपों से माओवादियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए गए। इन्हें निराधार साबित करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब विदेशी रिपोर्टरों ने उनके दावों के सबूत पेश करने को कहा, तो उन्होंने यह बहाना बताया कि युद्ध के इलाकों में प्रतिकूल वातावरण के चलते वे आधार नहीं पेश कर सक रहे हैं। यह बात हर कोई जानता था कि वहां का वातावरण पूरी तरह साफ है। जिस वातावरण ने सबूत पेश करने में दिक्कत पैदा की, उसी वातावरण ने भारी नुकसान होने के दावे आंकड़ों सहित पेश करने की भला कैसे इजाजत दी होगी?

जनयुद्ध के दमन के लिए विदेशी प्रतिक्रियावादियों की मदद

सरकार व्यापक और अभूतपूर्व स्तर पर हथियारों को खरीद रही है ताकि जनयुद्ध पर हमला तेज किया जा सके। उसने आगामी 5 सालों में 50 हजार असाल्ट रायफलें खरीदने की योजना बनाई। जनवरी 2002 में उसने दो रूसी एमआई-17 हेलिकॉप्टर खरीदे। इसके अलावा, उसने एक सूपर प्यूमा हेलिकॉप्टर और नई जर्मन बन्दूकों को खरीदने का सौदा कर लिया। इन सभी की कीमत लगभग 7 करोड़ डॉलर होगी। सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ), जो कि नया अर्ध-सैनिक बल है, के गठन के लिए होने वाला खर्च इसके अतिरिक्त होगा। इनके अलावा अमेरिका नेपाल को 10 परिवहन हेलिकॉप्टरों से पुरस्कृत कर रहा है। फरवरी 2002 में आयोजित नेपाल विकास मंच में आगामी 5 सालों में नेपाल को 50 हजार करोड़ डॉलर की सहायता देने पर सहमति हुई।

माओवादियों के खिलाफ जारी संघर्ष में भारत के अलावा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इज्राएल और चीन ने नेपाल की सहायता करने की घोषणा की। अमेरिका और ब्रिटेन ने नेपाल को और ज्यादा युद्ध सामाग्रियों और प्रशिक्षण देने का वचन दिया। ब्रितानी विदेश मंत्री बेन ब्राडशा ने हाल ही में नेपाल का दौरा करके नेपाल के लिए जरूरी सहायता हर हाल में देने का वादा किया। अमेरिकी सरकार ने एक बयान जारी करके माओवादियों को संविधान का पालन करने और हथियार त्यागने को कहा। माओवादी आन्दोलन के उन्मूलन के लिए उसने दो करोड़ डॉलर देने की घोषणा की। यूरोपियन यूनियन ने माओवादियों को दोबारा बातचीत की मेज पर लौटने को कहा। नेपाली संसद में संशोधनवादियों ने एक ओर आपातकाल के प्रति अस्पष्ट रुख अपनाते हुए, मुख्य रूप से माओवादियों की हिंसा की ही निंदा की। लेकिन भारत सरकार माओवादियों के खिलाफ हमलों का समर्थन करते हुए नेपाल सरकार की तारीफ कर रही है कि वह उनके खिलाफ बल प्रयोग कर रही है।

भारतीय विस्तारवादियों की दखलंदाजी

नेपाल में जबसे जनयुद्ध की शुरूआत हुई, तभी से भारतीय विस्तारवादी नेपाल में फौजी तौर पर हस्तक्षेप करने को उत्सुक हैं। लेकिन नेपाली जनता के मन में बसी हुई मजबूत भारतीय विस्तारवाद-विरोधी भावनाओं से डरकर न तो नेपाली दलाल शासक, और न ही भारतीय विस्तारवादी फिलहाल तो प्रत्यक्ष दखलंदाजी पर कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन, ज्यों-ज्यों नेपाल का जनयुद्ध दृढ़ता से आगे बढ़ने लगा, उसे कुचलने के लिए जारी प्रयासों में भारतीय शासक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों पक्षों ने इस पर चुप्पी साध रखी है कि भारत किस रूप में सहायता कर रहा है। 23 नवम्बर की घटनाओं के बाद भारत ने घोषणा की कि वह नेपाल की 'किसी भी प्रकार की जरूरी सहायता' करने को तैयार है। स्वचालित रायफलें, गोला-बारुद, हल्की मशीनगनें, अन्य सैन्य सामग्रियां देने का वचन दिया। उसने आरएनए को दो हेलिकॉप्टर दिए। नेपाल की सीमा पर बीएसएफ को तैनात किया। यह भी कहा जा रहा है कि इन बलों ने नेपाल में प्रवेश किया। यदि यह सच है तो यह एक प्रभुसत्ता संपन्न देश पर आक्रमण से कम नहीं है।

भारत के साथ व्यापार समझौते के मामले में भी भारत नेपाल पर यह दबाव डाल रहा है कि वह भारतीय दलालों के लिए फायदेमंद हो। दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय धौंसिया और अमेरिका का नमकहलाल नौकर के रूप में उभर रहे भारतीय विस्तारवादियों को अमेरिका से भी विशेष तौर पर मदद मिल रही है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री कालिन पावेल ने अपनी दक्षिण एशिया यात्रा के अंतर्गत नेपाल का भी दौरा किया, जहां उसने कहा कि अमेरिका 'आतंकवाद' के खिलाफ लड़ाई में नेपाल की सहायता करेगा।

नेपाली जनता के जायज संघर्ष को समर्थन

नेपाल के जनयुद्ध को कुचलने के लिए नेपाली शासक वर्गों, भारतीय विस्तारवादियों और साम्राज्यवादियों द्वारा की जा रही तमाम कोशिशों का भारत की जनता को दृढ़तापूर्वक विरोध करना चाहिए। भारतीय विस्तारवाद और उसका समर्थन कर रहे अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ समूचे दक्षिण एशिया की जनता को एकजुट होना चाहिए। किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करे। दक्षिण एशिया में अमेरिका की पुलिस की भूमिका निभाते हुए भारत इस क्षेत्र में चल रहे सभी जायज जनवादी संघर्षों को कुचलने के लिए आक्रमकता के साथ सामने आ रहा है। भारत की जनता को यह मांग करनी चाहिए कि नेपाल के जनयुद्ध को कुचलने के लिए नेपाल के प्रतिक्रियावादी शासकों को भारत के शासकों द्वारा दी जा रही सैनिक, पादार्थिक, आदि सभी किस्म की सहायता रोक दी जाए। विगत में श्रीलंका में 'शांति' सेना भेजकर तमिल जनता पर दमनचक्र चलाने पर भारत के शासकों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा, यहां नेपाल में दखलंदाजी करने पर भी निश्चित रूप से वही भुगतना पड़ेगा। भारत की संघर्षरत जनता नेपाल के जनयुद्ध के समर्थन में जरूर दृढ़तापूर्वक खड़ी होगी। ❑

लोकतांत्रिक मोर्चे के दो साल के शासन में जनता का जीवन और भी अस्तव्यस्त

दिसम्बर 2001 के साथ महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक मोर्चे के शासन के दो साल पूरे हो गए। इन दो सालों के दौरान सभी मोर्चों में जनता की समस्याएं बढ़ गई और सभी तबकों की जनता का जीवन और भी अस्तव्यस्त हो गया। सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में जनता से जो वायदे किए उनमें से इन दो सालों में किसी एक को भी पूरा नहीं किया। उसने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में कहा था:

"देश के विकास के लिए गरीबी का उन्मूलन ही एक मात्र महत्वपूर्ण रास्ता है।" हालांकि यह बात आम है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे में गरीबी के उन्मूलन को प्रमुख मुद्दा बताती हैं। लेकिन उनका आचरण इसके विपरीत ही होता है। जनता में भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारियां, अशिक्षा आदि कई समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार द्वारा अंधाधुंध उठाए जा रहे कर्जों का बोझ जनता पर बेहद बढ़ रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्जों का भार घटाने के नाम पर जनता पर करों का बोझ बढ़ा दिया। बिजली की कीमतें बढ़ा दीं। सिंचाई की कीमतें बढ़ा दीं। इस तरह किसानों और आम जनता पर करों की मार लगाने वाली 'लोकतांत्रिक' मोर्चे के शासन ने बेहद अलोकतांत्रिक कदम उठाए। देश में महाराष्ट्र ही ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां रोजगार की 'काम पर लगाओ और छुट्टी कर दो' की नीति को वैधता प्रदान करने की कोशिशें चल रहीं हैं। देश में कपास उगाने वाले अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र एक है, और कपास के किसानों को वाजिब दामों की मांग से आन्दोलन छेड़ना पड़ा। नवम्बर-दिसम्बर महीनों में कपास उगाने वाले किसानों के आन्दोलन ने राज्य को हिला कर रख दिया। किसानों की मांग यह थी कि सरकार कपास का समर्थन मूल्य 2,300 प्रति क्विन्टल घोषित करें। लेकिन सरकार ने धन के अभाव का बहाना करके अपनी असमर्थता जताई। ऊपर से किसानों को बकाया रकम चुकाने के लिए भी उसने कई शर्तें लगा रखी हैं। जिस राज्य की राजधानी को देश की औद्योगिक राजधानी का नाम हासिल है और जिस राज्य में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय सबसे ज्यादा 23 हजार रूपए बताई जाती है, उसी महाराष्ट्र राज्य के किसान बढ़े हुए करों की मार से तथा अपनी फसलों को समर्थन मूल्य के अभाव से परेशान हैं।

देश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में मजदूरों की कोई सुरक्षा नहीं रह गई। मजदूर विरोधी सरकारी नीतियों से लाखों मजदूर बेघर हो रहे हैं। नई आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप कई उद्योगों में ताले पड़ रहे हैं। एक समय भारत का मांचेस्टर (कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर) कहे जाने वाले मुंबई का कपड़ा उद्योग 1990 के दशक में लगभग पूरी तरह बंद पड़ गया। 1982 में मजदूरों की कुल संख्या 2 लाख 40 हजार थी, अब वह 75 हजार तक घट गई। फैक्टरियों के मालिकों ने फैक्टरियों के स्थलों को भारी दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया। जिन जगहों पर एक समय मजदूरों को रोजगार मिलता था, वे अब वाणिज्यिक समुदायों और आवासीय भवनों में तब्दील हो रही हैं। मुंबई महानगर में मजदूरों में असुरक्षा का माहौल दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार द्वारा श्रम कानूनों को कड़े बनाकर मजदूरों पर कुठाराघात किए जाने के परिणामस्वरूप मजदूर और कर्मचारी हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं। महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई कमेटी के आह्वान पर 15 नवम्बर 2000 को मुम्बई के आजाद मैदान में एक लाख 50 हजार सरकारी कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन और आमसभा का आयोजन किया। उसी दिन एक अन्य स्थान पर 25 हजार निजी क्षेत्र के मजदूरों ने सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठेकेदारी श्रम कानून में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ 29 जनवरी 2001 को एक बड़ी रैली निकाली गई।

15 फरवरी 2001 को भूमण्डलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के खिलाफ शिवाजी पार्क में एक लाख 25 हजार मजदूरों और कर्मचारियों ने एक कामयाब रैली निकाली जिसके बाद बड़ी आमसभा हुई। इस रैली ने शिवसेना के इस घमण्ड पर चोट की कि शिवाजी पार्क में वही रैलियां निकाल सकती हैं

15 मार्च 2001 को संयुक्त कार्रवाई कमेटी के आह्वान पर पांच स्थानों से निकली अलग-अलग रैलियां आजाद मैदान पहुंचीं, जहां एक बड़ी आमसभा आयोजित की गई। इसमें 1 लाख 50 हजार मजदूरों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस आमसभा के मंच से संयुक्त कार्रवाई मंच ने 25 अप्रैल को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया।

38 मजदूर संघों से गठित महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई कमेटी के आह्वान पर 25 अप्रैल को राज्यव्यापी बंद को भारी सफलता मिली, जो कि साझे सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को करारा झटका था। संयुक्त कार्रवाई कमेटी ने एक मांग-पत्र भी जारी किया। नई आर्थिक व औद्योगिक नीतियों का विरोध करना तथा केन्द्र व राज्य में सत्तारूढ़ सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करना इस पत्र में शामिल हैं।

चाहे राज्य की लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार हो या केन्द्र की राजग सरकार, सभी साम्राज्यवादियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के इशारों पर चलने वाली ही हैं, न कि देशवासियों के हितों की रक्षा करने वाली। एनरॉन के संदर्भ में यह बात साफ तौर पर साबित हुई थी। एनरॉन के साथ महाराष्ट्र की लगातार सरकारों के द्वारा किए गए समझौतों को उसके सामने उनके बेशर्म आत्मसमर्पण को, और इसके परिणामस्वरूप बिजली की दरों में हुई असह्य वृद्धि को सभी जानते हैं। जिस तरह एनरॉन के लिए सरकार ने महाराष्ट्र बिजली बोर्ड की आय और सरकारी आय को लुटा दिया, यह जनता की बर्दाश्त से बाहर हो गया। हालांकि शासक गुटों के बीच के अंतरविरोधों के चलते लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने एनरॉन के खिलाफ बयानबाजी की, लेकिन आखिरकार उसे उसकी 'जी हूजूरी' करनी ही पड़ी। इसे सरकार का जन विरोधी एवं मजदूर-विरोधी चेहरा साफ जाहिर हो जाता है।

देश के बड़े विवादास्पद मुद्दों में एक है जन वितरण प्रणाली। केन्द्र सरकार इसके लिए सालाना 13,000 करोड़ रूपए खर्च कर रही है, देश की 4, 60, 000 राशन दुकानों में माल पहुंचाने में राज्य पूरी तरह विफल हो रहे हैं; राज्यों को 330 लाख टन खाद्य अनाज उपलब्ध करवाने के बावजूद उन्होंने केवल 130 लाख टन अनाज ही उठाए कहकर केन्द्र सरकार इसके आंकड़े पेश कर रही है। इधर राज्यों का आरोप है कि राशन दुकान की कीमतों और बाजार की कीमतों में कोई फर्क ही नहीं रह गया तथा चूंकि राशन दुकान में महंगे दामों पर सड़े अनाज बेचे जा रहे हैं, इसलिए कोई नहीं खरीद रहा है। महाराष्ट्र के राशन दुकान मालिकों के संगठन के अध्यक्ष नवीन मारू ने भी इसकी पुष्टि की। महाराष्ट्र के गोदामों में डेढ़ साल तक (अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2001 तक) अनाज सड़ते रहे। आखिर में स्थिति बदतर हो जाने से केन्द्र सरकार ने चावल की कीमत 3 रूपए तक तथा गेंहू की कीमत 2.25 रुपए तक घटा दी।

केन्द्र सरकार ने 1997 में सार्वजनिक राशन नीति को समाप्त कर टीपीडीएस (लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली) पेश की। इसके मुताबिक उपभोक्ताओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया- 1) नितांत गरीब, 2) गरीबी रेखा के नीचे वाले, 3) गरीबी रेखा के ऊपर वाले और 4) अधिक आय वाले। वाजपेयी ने 'अंत्योदया' के नाम से एक नई योजना घोषित की। इस योजना के तहत नितांत गरीबों को प्रतिमाह 30 किलो अनाज देने की बात बताई गई है। बाकी लोगों को 10 किलो देने की बात बताई गई। पुरानी सार्वजनिक राशन नीति के तहत जहां 70 किलो राशन दिया जाता था, वहीं अब इस नई नीति के तहत 40 किलो देकर हाथ झाड़ रहे हैं। इस हिसाब से गरीबी रेखा वाला कार्डधारियों को नुक्सान हुआ। उदाहरण के तौर पर मुंबई के धारवी इलाके को ही लें जो सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। यहां 10 लाख लोग बसे हुए हैं। पूर्व में इसमें 84,099 गरीबी रेखा (बीपीएल) कार्डधारी थे, जबकि अब 'अंत्योदया' योजना से मात्र 144 परिवार ही लाभान्वित हो रहे हैं। इससे गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा कल्पना की जा सकती है। करीब 10 करोड़ आबादी वाले महाराष्ट्र राज्य में सरकार ने मात्र 6,50,000 लोगों को नितांत गरीब माना। सर्वेक्षणों से निष्कर्ष निकला है कि गरीबों में ही 35 प्रतिशत लोगों की उपेक्षा की गई है, तो यह है उसका गरीबी उन्मूलन! असल बात यह है कि इसके पीछे विश्व बैंक का हाथ है।

जनता की समस्याओं को हल करने में लोकतांत्रिक मोर्चे का दो साल का शासन पूरी तरह नाकामयाब रहा ही, राजनीतिक मोर्चे में भी वह नाकामयाब ही रहा। मोर्चे की घटक पार्टियों के बीच जिन 51 मुद्दों पर एकता कायम हुई, इनमें श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का मुद्दा एक है। 1992-93 में मुंबई में हुए दंगों पर, जिनमें मुसलमानों के कत्लेआम किए गए थे, श्रीकृष्ण आयोग ने बाल ठाकरे को दोषी ठहराया। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाल ठाकरे को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जाना था। लेकिन गृहमंत्री छगन भुजबल ने ठाकरे को गिरफ्तार करने के कई दावे भले ही किए हों, पर इन दो सालों में ठाकरे का बाल बांका भी नहीं जा सका। सिर्फ, रामदेव त्यागी नामक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करके औपचारिकता पूरी कर ली गई। महाराष्ट्र में मुसलमानों पर अभी भी हंतक हमले जारी हैं। हाल में अफगानिस्तान पर अमेरीकी साम्राज्यवाद के हमले के खिलाफ नवम्बर 2001 में मालेगांव में हुए मुसलमानों के प्रदर्शन पर हिन्दू साम्प्रदायिकतावादियों के हमले के फलस्वरूप भड़के दंगों में 20 से ज्यादा मुसलमान मारे गए। बाद में ये दंगे नासिक, नन्दुरबार और धुले जिलों की 132 तहसीलों तक फैल गए जिसमें कई मुसलमान मारे गए। सरकार ने इन दंगों के लिए जिम्मेदार शिवसैनिकों को गिरफ्तार नहीं किया। आखिर समाजवादी पार्टी मोर्चे से हट गई।

मोर्चे की भागीदार पार्टियों के बीच गठजोड़ भी कमजोर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पोटो कानून को कुछ संशोधन से पारित किया जो कि एक समय के टाडा से भी खतरनाक है। इस गठजोड़ के घटक पक्षों में मनमुटाव इस हद तक पहुंचा कि फरवरी में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में इनके बीच कोई समझौता ही नहीं हो सका।

महाराष्ट्र के कुल 35 जिलों में से एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें आदिवासी आबाद नहीं हों। विशेष रूप से विदर्भ के 11 जिलों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। देश की औद्योगिक राजधानी माने जाने वाले मुंबई से मात्र दो घण्टे की दूरी पर स्थित ठाणे जिले के ग्राम सोगया में हो, या नन्दुरबार और अमरावती जिलों में हो, आदिवासियों के हालात में कोई फर्क नहीं है। हाल के दिनों में मिडिया में यह प्रचारित किया जाता रहा कि उड़िसा के आदिवासी भूखमरी से पीड़ित हैं और आखाद्य वस्तु खाकर पेट भर रहे हैं। महाराष्ट्र के आदिवासियों की हालात भी इससे अलग नहीं है। पिछले एक साल के दौरान ही महाराष्ट्र के नन्दुरबार जिले में 30 हजार बच्चे, जिनकी उम्र 6 साल से कम थी, मौत के मुंह में समा गए। ये आम तौर पर कुपोषण के चलते दस्त जैसी मामूली बीमारियों के चपेट में आने के बाद मारे गए थे। उधर, महाराष्ट्र के महिला-शिशु कल्याण विभाग के मुताबिक शिशुओं में मृत्यु दर 48 (प्रति 1000 के लिए) है। लेकिन उसने यह बात मान ली कि हाल में शिशु मृत्यु दर बढ़ी है। जबकि सब लोग इसके लिए कुपोषण को दोष देते हैं, तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दिग्विजय खनविलकर ने 'आदिवासियों की बुरी आदतों' को दोष दिया। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि अभी भी आदिवासियों को ये 'बुरी आदतें' क्यों हैं। उधर, अखबारों में ऐसी खबरें छपी हैं कि अमरावती और चिखलदरा जिलों में 'अंत्योदया' योजना का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है और बंजर जमीनों को सुधारने में 'पाणलोट क्षेत्र विकास योजना' से कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस तरह, राज्य में आदिवासियों की हालत दिन-ब-दिन बद से बदतर होती जा रही है। भुखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, भयंकर दरिद्रता, बेरोजगारी, अंधविश्वास जैसी समस्याओं से आदिवासी बस्तियां बुरी तरह प्रभावित हैं। उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है।

इन दो सालों में राज्य का आमतौर पर यह हाल रहा, तो अब महाराष्ट्र के गड़चिरोली में, जहां पिछले 20 सालों से हथियारबंद संघर्ष चल रहा है, पिछले दो सालों में क्या हालात रहे, इस पर नजर डाली जाए।

राज्य के दूसरे जिलों से कुछ हट कर गड़चिरोली और गोंदिया जिलों के आदिवासी जी रहे हैं। उन्हें हर दिन सैकड़ों खाकी बलों की बंदूकों के साये में जीना पड़ रहा है। आइए महाराष्ट्र में साझा सरकार के दो साल के शासन पर गड़चिरोली के एक किसान की टिप्पणी सुन लें:

"चाहे कोई भी सरकार आए, हमारे लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। ऊपर से, इन दो सालों में सरकार ने घर टैक्स को

इतना बढ़ा दिया जो कि अमूर्तपूर्व है। जंगल में जाने वाले आदिवासियों की जानें ले रहीं है। किसानों की तस्वीरें खिंचाईं। अहेरी पट्टी में हालात और भी खराब हैं। पुलिस द्वारा लोगों के साथ मारपीट, जेल में डाल देना, महिलाओं के साथ बालत्कार आदि का सिलसिला बेलगाम जारी है।"

ये शब्द थे पेरिमिलि इलाके के एक किसान के। पिछले दो सालों से घर टैक्स को अंधाधुंध बढ़ाकर लोगों को लूटा जा रहा है। (ब्यौरे ***प्रभात*** के अक्टूबर-दिसम्बर 2001 के अंक में दिए गए थे।) गड़चिरोली जिले में पिछले 21 सालों से एक भी सिंचाई परियोजना का निर्माण नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि चूंकि 1980 से वनों को केन्द्र सरकार के हवाले कर दिया गया है, इसलिए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमति नहीं मिल पा रही है। तो फिर भारी परियोजनाओं को अनुमति कैसी दी जा रही है, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। गड़चिरोली जिले में तुलतुली, कारवाप्पा, चेन्ना जैसी परियोजनाओं को 1980 के पहले ही मंजूरी मिल जाने के बावजूद राज्य सरकार ने धन के अभाव का बहाना बनाकर उन्हें ठण्डे बस्ते में डाल रखा है। जिले में कुल 16 परियोजनाएं पिछले कई सालों से लंबित हैं।

सिंचाई की सुविधाओं के लिए पैसा के अभाव का कारण बताने वाली सरकार सड़कों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जहां महाराष्ट्र में 1000 से कम आबादी वाले गांवों में 25 प्रतिशत गांवों को ही सड़क सुविधा है, वहीं गड़चिरोली जिले के 100 से कम आबादी वाले गांवों में भी 90 प्रतिशत को सड़क सुविधा है। जिले में तैनात हजारों पुलिस वालों को तेजी से गांवों में पहुंचाने की मंशा से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके जरिए यहां के संघर्षरत किसानों का दमन किया जा सके और यहां के संसाधनों को लूटा जा सके। गौरतलब है कि गड़चिरोली जिले में मौजूद 80 हजार करोड़ रुपए की खनिज संपदा पर सरकार और बहुराष्ट्रीय निगमों की गिद्ध-दृष्टि है।

कथित तौर पर आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार कई दिखावटी योजनाओं की घोषणाएं कर रही है। आदिवासियों के आवासीय इलाकों में बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सरंक्षण के लिए सरकार ने 1998 में 'नव संजीवनी' योजना पेश की। इसके साथ-साथ 'मातृत्व अनुदान योजना', 'दाई अनुदान योजना', 'स्वास्थ्य स्वयं सेवक योजना' जैसी कई योजनाएं सामने लाई गईं। मातृत्व अनुदान योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सातवें महीने से जचगी के बाद एक माह तक – कुल चार महीने – प्रति माह 200 रुपए दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले दो साल के शासन में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के कारण कई गर्भवती महिलाएं इससे वंचित रह हईं। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए यह एक तथ्य काफी है कि सिर्फ एटापल्ली तहसील के जारवंडी पुलिस थाने में 285 आदिवासी गर्भवती महिलाओं ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज की। जिले में महिलाओं के विकास के नाम पर कार्यरत 'लंबिनी महिला मंडली', 'सुशीला शैक्षाणिक, सांस्कृतिक एवं शोध संस्था', 'संदेश' जैसे गैर-सरकारी संगठनों से या सरकारी योजनाओं से महिलाओं को कुछ नहीं मिला है। राज्य में गठित हो रहे महिलाओं के स्व-सहायता समूहों से बैंक ही अपना उल्लू सीधा कर ले रहे हैं, पर महिलाओं की कोई भलाई नहीं हो रही है। पिछले वर्ष का 'महिला सशक्तिकरण' का नारा कोरा ही रह गया।

साझा सरकार ने छात्रों के लिए भी कुछ खास नहीं किया। इसने 1999 में 'सभी को शिक्षा' की योजना को संशोधित किया जिसे पिछली सरकार ने पेश किया था। यह संशोधन 13 अक्टूबर 2000 से 'महात्मा फूले शिक्षा गारन्टी योजना' के रूप में सामने आया। इसके साथ सभी बच्चों को शिक्षा मिलने की बात की गई। लेकिन सचाइयां इससे मेल नहीं खातीं। गड़चिरोली जिले की कोरची तहसील में मौजूद कुल 92 जिला परिषद शालाओं में 32 शिक्षकों और 8 प्रधान अध्यापकों के पद रिक्त हैं। यानी कि लगभग आधे पद खाली हैं जिससे शिक्षा की बदहाली का पता चल जाता है। भामरागढ़ तहसील की 67 स्कूलों में अधिकतर शिक्षक नदारद रहते हैं, यह बात उस क्षेत्र का हर किसान, हर छात्र बताता है। जहां सरकारी शिक्षा का यह हाल है, तो दूसरी तरफ, विश्व बैंक ने 1994 से आदिवासी इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में भी पैठ बना ली। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) एटापल्ली तहसील में 16 और भामरागढ़ तहसील में 35 स्कूलें चला रहा है – गड़चिरोली जिले के 12 तहसीलों में ऐसी स्कूलें चला रहा है। अगले दो सालों में इनका समय पूरा होने वाला है। स्पष्ट है इन स्कूलों का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इधर, कई स्कूलों पर पुलिस के हमले बढ़ गए। शिक्षकों और छात्रों पर नक्सलवादियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाकर प्रताड़नाएं दी जा रहीं हैं। अहेरी तहसील के परसवाड़ा और मरपल्ली की स्कूलों को पुलिस ने नक्सलाइट स्कूल का नाम रखा। शिक्षा के क्षेत्र में इन सालों के दौरान यही तरक्की हुई!

कुल मिलाकर देखा जाए, तो लोकतांत्रिक मोर्चे के दो साल के शासन में किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं या रोजमर्रा की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सका। इन समस्याओं के हल के लिए जब इन तबकों की जनता आन्दोलन करती है, तो मोर्चा सरकार क्रूरतापूर्ण दमन करती है। मिसाल के तौर पर, अकेले गड़चिरोली जिले में ही कुल 49 पुलिस थानों और कैंपों में 3,000 पुलिस वाले तैनात हैं। इनके अलावा, जिले के देशाईगंज में एसआरपीएफ के 1,200 जवानों से मुख्यालय का गठन किया जाने वाला है। जिले में 1,000 पुरुष और 100 महिला होमगॉर्ड भी मौजूद हैं। वर्ष 2001 के अप्रैल से अक्टूबर तक 20 हजार किसानों की तस्वीरें खिंचाई गईं। सितम्बर से नवम्बर के बीच अहेरी तहसील में सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। महिलाओं के साथ बालात्कार किया गया। 26 मार्च 2001 को चिन्ना मेट्टामी नामक बेकसूर किसान को पुलिस ने बेरहमी से मार दिया। लेकिन इतिहास में कभी भी और कहीं भी लुटेरे शासक वर्ग दमन और अत्याचारों के सहारे आन्दोलनरत जनता को नहीं रोक सके। महाराष्ट्र में भी शोषण के शिकार सभी वर्गों की जनता लोकतांत्रिक मोर्चे के अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ आन्दोलन कर रही है। मिसाल के लिए एक शिक्षक की इन बातों को ही लिया जा सकता है –

"*किसानों की जिन्दगी और हमारी जिन्दगी में कोई फर्क नहीं है। वेतन भी बराबर नहीं मिलता। हम ही नहीं, किसी भी विभाग के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उसका कोई हल नहीं निकल रहा। ऊपर से पुलिस दमन भयानक रूप धारण कर रहा है। जैसे आप कह रहे हैं, लगता है सब मिलकर लड़ने से ही जिन्दगी बदलेगी।*"❑

श्रद्धांजली

पीजीए का जांबाज़ योद्धा कॉमरेड महेन्द्र (लक्ष्मीनारायण) को लाल सलाम!

पीजीए की पहली वर्षगांठ के मौके पर पार्टी के आह्वान पर संघर्ष के सभी इलाकों में क्रान्तिकारी कतारों ने जगह-जगह पर सभाओं और रैलियों का आयोजन किया जिसमें कई हजारों जनता ने शिरकत की। पीजीए के तीनों बलों के योद्धाओं ने कई सरकारी प्रतिष्ठानों और दलाल पूंजीपतियों एवं साम्राज्यवादियों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया। इन हमलों ने देश के शासक वर्गों को हिलाकर रख दिया। इस सिलसिले में दण्डकारण्य के पश्चिम बस्तर डिवीजन के भोपालपटनम में तहसील कार्यालय को उड़ाने के इरादे से पीजीए के द्वितीय एवं आधार बलों की एक टुकड़ी ने, जिसका नेतृत्व पार्टी के मद्देड एरिया कमेटी सदस्य कॉमरेड महेन्द्र कर रहे थे, धावा बोल दिया। लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों के साथ हुई मुठभेड़ में कॉमरेड महेन्द्र की शहादत हुई।

घर में कॉमरेड महेन्द्र का नाम लक्ष्मीनारायण था। उनका जन्म आन्ध्रप्रदेश के करीमनगर जिले के वेल्लाटूर मण्डल स्थित ग्राम मुंजापल्ली में हुआ था। गरीबी के चलते पढ़ने-लिखने का नसीब न हो सका और बचपन से ही मेहनत करके जीने पर मजबूर हो गए। इस बीच वे क्रान्तिकारी आन्दोलन से आकर्षित हो गए और 1990 में वे रैडिकल युवा संगठन का सदस्य बन गए। संगठन की गतिविधियों में, संघर्षों में और प्रतिरोध की कार्रवाइयों में वे सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इस बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और कई यातनाएं दी थीं। इसके बावजूद वे विचलित नहीं हुए और मजबूत इरादों के साथ 1991 के आखिर में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1991 से 1992 के आखिर तक उन्होंने करीमनगर जिले के पेद्दापल्ली छापामार दस्ते के सदस्य के रूप में काम किया। बाद में जनवरी 1993 से 1996 तक हुसनाबाद छापामार दस्ते में काम किया। तब वे दस्ते के पायलट बने थे। 1996 में उत्तर तेलंगाना में पहली बार गठित प्लटून के कॉ. महेन्द्र सदस्य चुन लिए गए थे। मार्च 1997 में प्लटून के सेक्शन डिप्यूटी कमांडर के रूप में उनकी पदोन्नति हुई थी। 1998 के आखिर में वे सेक्शन कमांडर बनकर दण्डकारण्य स्थानान्तरित होकर आए थे। दण्डकारण्य की प्लटून-2 में उन्होंने सेक्शन कमांडर और प्लटून पार्टी कमेटी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी ली। बाद में, मई 2001 में उन्हें मद्देड एरिया कमेटी सदस्य के रूप में मद्देड दस्ते में भेजा गया। अपनी शहादत के दिन तक वे इसी जिम्मेदारी में थे।

कॉ. महेन्द्र एक जांबाज़ छापामार थे। वे फौजी कवायदों और फौजी कार्रवाइयों में बड़ी फूर्ति के साथ भाग लिया करते थे। छापामार जिन्दगी में हर दिन बोझ ढोने में, व्यायाम करने में तथा फौजी कार्रवाइयों में पहलकदमी और जुझारूपन के लिए वे काफी लोकप्रिय थे। उत्तर तेलंगाना में आयोजित एक केन्द्रीय सैन्य प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने कवायद की अलग-अलग श्रेणियों में जो रिकार्ड कायम किए, वे अपने आपमें बेमिसाल थे। प्रशिक्षण शिविर में आयोजित व्यक्तिगत प्रतियोगिता में सभी 18 किस्म की कवायदों को सिर्फ 17.22 मिनटों में पूरा करके न केवल प्रथम पुरस्कार जीता, बल्कि अपने बेजोड़ प्रदर्शन से सबका मन मोह लिया था। लाइट मशीनगन को वे बढ़िया ढंग से चलाते थे। बिना किसी सहायक की मदद के ही खुद ही उसे और उसकी सैकड़ों गोलियों को ढोता था और दुश्मन पर हमले की स्थिति में बेहतरीन ढंग से उसका प्रयोग किया करता था।

उन्होंने दुश्मन के खिलाफ उत्तर तेलंगाना और दण्डकारण्य में किए गए कई घात हमलों में और रेइडों में बहादुरी के साथ भाग लिया। उनमें उत्तर तेलंगाना के खम्मम जिले के करकुगूडेम पुलिस थाने पर की गई रेइड प्रमुख थी, जिसमें उन्होंने पुलिस थाने में घुस कर अपनी रायफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। जब दुश्मन अंधाधुंध गोलियां चलाता रहा था और आत्मसमर्पण करने से इनकार करता रहा था, तब भी बिना किसी खौफ के आगे बढ़े थे और सारे पुलिस वालों का सफाया करने और उनकी तमाम हथियार छीन लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भी कई हमलों में उनकी भागीदारी रही। बाद में जब दण्डकारण्य में उनका स्थानान्तरण हुआ, तब भी उन्होंने अपनी चिर-परिचित अन्दाज में कई हमलों में भागीदारी ली। उनमें से प्रमुख हमला नारायणपुर के निकट बाकुलवाही में किया गया बारूदीसुरंग का विस्फोट था जिसमें पूरे 24 पुलिस वालों को मिट्टी मिलाया गया। इस हमले ने जहां शासक वर्गों की रीढ़ में कंपकंपी भर दी, वहीं संघर्षशील जनता में आत्मविश्वास बढ़ाया। कई और हमले भी हैं जिन्हें सफल बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान पर खेला था।

फौजी अभ्यासों में तथा फौजी कार्रवाइयों में वे हमेशा खुद को अग्रिम पंक्ति में रखना पसंद करते थे। हालांकि वे घर में रहकर पढ़-लिख नहीं सके थे, फिर भी पार्टी में शामिल होकर पढ़ना-लिखना सीखा। अपने साथी सदस्यों को दैनिक अखबार पढ़कर सुनाने की जिम्मेदारी भी उठाई। उनका संकल्प, समर्पण की भावना, फौलादी साहस, दुश्मन के खिलाफ सख्त नफरत – ये सभी ऐसे गुण हैं जिन्हें पीजीए के हरेक योद्धा को आत्मसात कर लेना चाहिए। कॉमरेड महेन्द्र की मौत से पीजीए ने एक जांबाज़ योद्धा खोया। आइए, इस बहादुर नौजवान शहीद साथी को पूरी नम्रता के साथ श्रद्धांजली दें और उनके अधूरे सपनों को साकार बनाने के लिए फिर एक बार दृढ़ता के साथ कमर कस लें। ❑

वरंगल जिले के तुपाकुलागूडेम के निकट चन्द्रबाबू के फासीवादी पुलिस बलों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में

शहीद हुए पीजीए के 10 साहसिक योद्धाओं को लाल सलाम!

एक ओर पीपुल्सवार पार्टी के साथ वार्ता का ढोंग करते हुए ही फासीवादी चन्द्रबाबू ने फिर एक बार क्रान्तिकारियों की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी। उत्तर तेलंगाना के वरंगल जिले के ग्राम तुपाकुलागूडेम के निकट जंगल में जब पीजीए की पूर्वी फौजी सब कमान और पार्टी की खम्मम जिला कमेटी की बैठकें चल रही थीं, तब मुखबिर द्वारा सूचना पाकर 11 मार्च की शाम सैकड़ों विशेष पुलिस बलों और अर्ध सैनिक बलों ने तालमेल के साथ हमला किया जिसमें पीजीए के 8 जांबाज़ लड़ाकू शहीद हो गए। पीजीए के योद्धाओं ने पुलिस के एक थानेदार को भी मार गिराया। इस हमले के बाद लगभग एक हजार पुलिस ने वालों ने खोजबीन की जिसके दौरान दो निहत्थी महिला कॉमरेडों, जो बाहर से इलाज करवा कर आ रही थीं, को पकड़कर उनकी निर्मम हत्या करके मुठभेड़ का नाम दिया।

इन बैठकों में भाग ले रहे पार्टी नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से का सफाया करने के साफ इरादों के साथ किए गए दुश्मन के हमले को उत्तर तेलंगाना की पीजीए की पूर्वी कमान के मातहत पहली और तीसरी प्लटून के कॉमरेडों ने विफल बनाया। इस दौरान उन्होंने अपना खून बहाकर केन्द्रीय और राज्यस्तरीय नेतृत्वकारी कॉमरेडों को सुरक्षित निकाल दिया। इस हमले में कॉमरेड प्रभाकर (प्लटून-1 का कमाण्डर), कॉमरेड देवेन्दर (प्लटून-1 का सेक्शन कमाण्डर), कॉमरेड स्वर्णा (प्लटून-1 की सेक्शन कमाण्डर), कॉमरेड बेंजमिन (प्लटून-3 का सेक्शन डिप्यूटी कमाण्डर), कॉमरेड्स रजिता, गजेन्दर, सरिता, प्रमीला (प्लटून-1 के सदस्य), कॉमरेड रंजीत (प्लटून-3 का सदस्य) और कॉमरेड अजय (स्थानीय छापामार दस्ते का सदस्य) शहीद हो गए। इन सभी कॉमरेडों को 'दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी' विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजली पेश करती है और मुठ्ठी भींचकर शपथ लेती है कि इन शहीदों के सपनों को साकार करते हुए नव समाज के निर्माण के लिए दृढ़तापूर्वक लड़ेंगे। ❑

कॉमरेड प्रभाकर

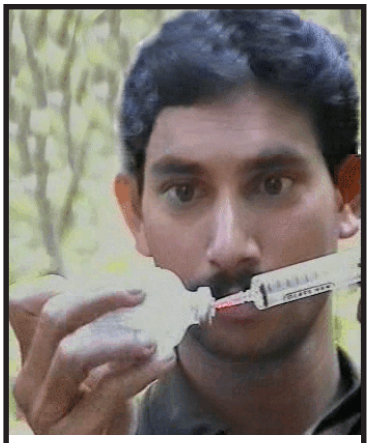

कॉमरेड देवेन्दर

कॉमरेड सारन्ना

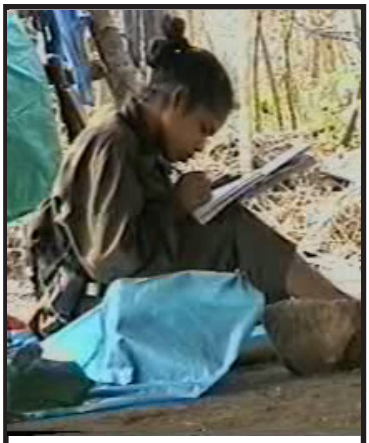

कॉमरेड रजिता

हर आदमी एक न एक दिन जरूर मरता है, लेकिन हर आदमी की मौत की अहमियत अलग-अलग होती है। चीन के प्राचीन लेखक समा छ्येन ने कहा है, "मौत का सामना सब लोगों को समान रूप से करना पड़ता है, परन्तु कुछ लोगों की मौत की अहमियत थाए-शान पर्वत से भी ज्यादा भारी होती है और कुछ लोगों की पंख से भी ज्यादा हल्की।" जनता के हित के लिए जान देना थाए-शान पर्वत से भी ज्यादा भारी अहमियत रखता है, जबकि फासिस्टों के लिए काम करना तथा शोषकों व उत्पीड़कों के लिए जान देना पंख से भी हल्की अहमियत रखता है।

- माओ त्सेतुङ

वक्तव्य

राष्ट्रीय राजमार्ग पर जनतंत्र की लाश की फिर एक बार हत्या!

प्रिय जनता,

विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश कहे जाने वाले भारत में जनतंत्र न अतीत में था, न वर्तमान में है। इसका जीता-जागता उदाहरण है नगरनार। जून 2001 में नगरनार में हुई चार पंचायतों की संयुक्त विशेष ग्रामसभा स्टील प्लान्ट के लिए अपनी जमीन देने के लिए राजी ही नहीं हुई। मगर शासकीय अधिकारियों ने अपनी मर्जी के माफिक रजिस्टर में लिख लिया और झूठा प्रचार शुरू किया कि नगरनार की ग्रामसभा ने जमीन देने के लिए सहमति जताई। कथित तौर पर सहमति जताने वाले व्यक्तियों की सूची में वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी मौत 15 साल पहले ही हो चुकी थी। आखिर भारत के मृत जनतंत्र को मुर्दों का समर्थन जुटाना पड़ा।

जून 2001 में की गई धोखाधड़ी को सुधारने के लिए 2 मार्च 2002 को दोबारा नगरनार ग्रामसभा का आयोजन किया गया। इस ग्रामसभा में भाग लेने के लिए ब्रह्मदेव शर्मा, वंदना शिव आदि जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए भाजपा सांसद बलिराम कश्यप के नेतत्व में संजीव शर्मा, अमीन मेमन जैसे गुण्डों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा जाम कर दिया। और इन लोगों को पुलिस का पूरा सहयोग मिला। पुलिस के सहयोग से ही ये लोग बेरोकटोक गुण्डागर्दी करते रहे। इस पर वंदना शिवा ने टिप्पणी की: "हम बस्तर में जनतंत्र को सेलिब्रेट करने आए थे। मगर नेशनल हाइ-वे पर जनतंत्र जाम हो गया।" वंदना शिवा को समझना चाहिए कि दरअसल 43 न० राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के तथाकथित लोकतंत्र की लाश की फिर एक बार हत्या हुई। जो लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर कथित तौर पर बस्तर के बाहर के लोगों विरोध में नारा लगा रहे थे, वे खुद बस्तर के नहीं थे। संजीव शर्मा बाहर का है। बलिराम कश्यप बाहर के लोगों का पिट्ठू है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद 2 मार्च को नगरनार में हुई चार पंचायतों की संयुक्त ग्रामसभा ने जून 2001 की ग्रामसभा की झूठी सहमति को निरस्त किया और अपनी मांगों को सामने लाते हुए जमीन देने से इनकार कर दिया।

इससे बौखलाए सरकारी तंत्र ने जनतंत्र की छोटी-सी अभिव्यक्ति को भी कुचलने की तैयारी की। उलटे नगरनार की जनता पर कानून और व्यवस्था को तोड़ने का आरोप लगाकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सरकारी और पुलिस अमले ने जनतंत्र का मुखौटा उतार दिया और सीधा दमन से स्टील प्लान्ट लगाने की ठान ली।

मगर आज तक सरकार और चोर राजनेता यह नहीं बता रहे हैं कि नगरनार में लगने वाले स्टील प्लान्ट से कितनी नौकरियां बस्तर के लोगों को मिलने वाली हैं। इस स्टील प्लान्ट में बस्तरवासियों को मात्र चपरासी, नाइट वाचमैन जैसी नौकरियां ही मिलेंगी, बाकी 200 हाइ-टेक नौकरियां बाहर वालों को ही मिलेंगी। और आज तक बैलाडीला में बस्तर वालों को कितनी नौकरियां मिलीं? और क्यों नहीं मिलीं? इसका जवाब तो कोई नहीं देते। रेल लाइन से बस्तर का विकास क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। इसलिए भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] इन सभी छद्म विकासवादियों को चेतावनी देती है कि वे अपनी गुण्डागर्दी से बाज आएं, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम सरकारी तंत्र को, विशेषकर एनएमडीसी को भी चेतावनी देते हैं कि जनता की जनतांत्रिक अभिव्यक्ति को कुचलकर दमन का सहारा लेकर स्टील प्लान्ट लगाने की कोशिश मत करें। वरना पूरे बस्तर में इसके विरोध में जन आन्दोलन तेज करेंगे।

(कॉमरेड लच्छन्ना)
सचिव,
दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी,
भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

बिहार-झारखण्ड में पीजीए के कामयाब हमले

20 दिसम्बर, 2001 को सुबह के 8 बजे पीजीए की एक प्लाटून ने झारखण्ड के गढ़वा जिले में गढ़वा-चिनिया मार्ग पर तसरार गांव के निकट बारूदी सुरंग का विस्फोट कर दिया जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान और एक सूबेदार मेजर का सफाया किया गया। बाद में अस्पताल में जोएमपी का एक घायल जवान भी मारा गया। इस घटना में सीआरपीएफ के एक जवान और जोएमपी के दो जवान घायल हो गए। हालांकि सीआरपीएफ और पीजीए के बीच मुठभेड़ भी हुई, लेकिन पीजीए को कोई नुकसान नहीं हुआ।

26 दिसम्बर 2001 को पीजीए ने बिहार के कैमूर जिले के हनुमान घाटी के निकट मुशर्वाबाबा में बारूदी सुरंग के जरिए एक पुलिस का वाहन उड़ा दिया। इस घटना में पीजीए के लाल योद्धाओं ने पांच पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। इस कार्रवाई में पीजीए ने चार एसएलआर, एक स्टेनगन, एक नौ एमएम पिस्तौल, दो हथगोलों के अलावा 370 गोलियां छीन लीं। एक वक्तव्य में पार्टी के एक नेता ने इसे 3 मार्च 2000 को जहानाबाद जिला के कचनवां गांव में राज्य कमेटी सदस्य और मगध जोन के सचिव कॉमरेड श्रीकान्त सहित 11 अन्य योद्धाओं की हत्या के बदले की कार्रवाई कहा। ❑

पुलिस दमन के खिलाफ 15 नवंबर 2001 को गड़चिरोली जिला बंद सफल

महाराष्ट्र पुलिस ने गड़चिरोली जिले में चल रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन पर 1991-94 की तर्ज पर फिर एक बार व्यापक दमन अभियान छेड़ दिया। जनता के खिलाफ फिर एक बार पुलिस ने अमानवीय हमले शुरू कर दिए। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां 1991 का दमन अभियान भण्डारा जिले से शुरू करके गड़चिरोली जिले के अहेरी तक ले जाया गया था, वहीं इस बार इसकी शुरूआत अहेरी से हुई। सितम्बर 2001 में शुरू किए गए दमन के इस ताजातरीन दौर में पुलिस ने एक ही झटके में 1,000 से ज्यादा आदिवासी जनता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उन्हें बर्बरतापूर्ण यातनाओं का शिकार बनाया। गिरफ्तार लोगों को पीट-पीटकर जब पुलिस वाले थक जाते थे तब उन्हें एक-दूसरे से पिटवाते थे। जनता को पुलिस ने सड़क पर हाथ ऊपर उठाकर मीलों दूर दौड़वाया। पति को पत्नी से और पत्नी को पति से पिटवाया। भाई-बहनों को एक-दूसरे के कपड़े उतारने पर मजबूर किया। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के साथ गंदी हरकतें की गईं। महिलाओं को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उनके कपड़े तार-तार हो गए, अपनी लज्जा छिपाना भी मुश्किल हो गया। इसके अलावा पुलिस ने अहेरी इलाके के 60 गांवों में से जनता से 15 लाख रुपए लूट लिए और जनता द्वारा अपनी जरूरतों के लिए सहकारी समितियों में जमा किए गए 553 क्विन्टल धान भी लूट लिया।

पुलिस के इस बेहद आतंकपूर्ण दमन अभियान के खिलाफ पार्टी की गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी ने 15 नवम्बर 2002 को जिला बंद का आह्वान किया। जिले की समूची जनता ने इस बंद का तहेदिल से समर्थन किया और पुलिसिया अत्याचारों के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। जिले के लगभग सभी गांवों और कस्बों में बंद का असर साफ तौर पर देखा गया। बस सेवा, दुकानें, हाट बाजार, स्कूलें आदि बंद रखी गईं।

भामरागढ़ के बीचोंबीच मुखबिर कोतला दुरवे का सफाया

कोतला दुरवे गड़चिरोली डिवीजन के भमरागढ़ तहसील के गांव पिट्टाकस्सा का निवासी था। 1991 से ही इसने पुलिस मुखबिरी करना शुरू किया था। दस्तों और संगठन के कार्यकर्ताओं के क्रियाकलापों के बारे में यह पुलिस को बताया करता था। 1992 में इसे एक बार जनता और दस्ते ने चेतावनी दी थी कि वह मुखबिरी करना बंद करे। लेकिन इसने उस चेतावनी की अनसुनी की और भामरागढ़ में पड़ाव डालकर पुलिस के साथ सहयोग करना लगा। तब पार्टी ने इसका सफाया करने का फैसला किया। पिछले साल के आखिर में पीजीए की चार सदस्यों की एक्शन टीम ने इसे भामरागढ़ शहर के बीचोंबीच लगे मुरगा बाजार में मार गिराया। पीजीए के योद्धा नारे लगाते हुए वहां से सकुशल वापिस आ गए। उन्होंने साबित किया कि जनता के दुश्मनों की शहर में तैनात पुलिस हमेशा रक्षा नहीं कर सकती। दिन दहाड़े किए गए कोतला दुरवे के सफाए ने क्षेत्र की जनता को बेहद उत्साहित किया।

'काम के बदले अनाज' पर माड़ जनता का कब्जा

संघर्षरत जनता को गुमराह करके क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने की मंशा से शोषक वर्ग कभी दमन तो कभी सुधार वाली नीति अपनाते चले आ रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार जारी अकाल की स्थिति के कारण दण्डकारण्य की आदिवासी जनता भुखमरी का शिकर बनती आ रही है। देश के कई अन्य इलाकों में भी यही स्थिति बनी हुई है। एक ओर जनता अकाल के चंगुल में बुरी तरह फंसी हुई है, तो दूसरी ओर सरकारी गोदामों में पड़े अनाज सड़ते जा रहे हैं। इसको लेकर पिछले कुछ महीनों से देश भर में विरोध के स्वर मुखर हो गए, जिससे मजबूर होकर सरकार ने गोदामों से अनाज लाकर गांवों में 'काम के बदले अनाज' की योजना के तहत लोगों को बांटने का कदम उठाया। जनता की भूख मिटाने की मुकम्मल तौर-तरीकों पर कोई ध्यान न देते हुए मनमाने और निरंकुश रवैया अपना कर सरकारी बाबूगण ने बेकार और दिखावे के निर्माण कार्य शुरू कर दिए। लोगों को ऐसी जगहों पर तालाब बनाने को कहा गया जहां या तो पानी नहीं रुकता, या फिर लोगों को कोई काम नहीं आता। इन योजनाओं की आड़ में भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना उल्लू सीधा कर लेते हुए जनता को ठगने की अपनी पुरानी परम्परा को आगे बढ़ाया।

सरकार के इस लापरवाहपूर्ण और बेसिर-पैर के 'विकास' कार्यक्रमों के खिलाफ माड़ की क्रान्तिकारी जनता ने प्रतिरोध का रास्ता अपनाया। इस सिलसिले में जनता ने फरवरी और मार्च महीनों में आकाबेड़ा, कच्चापाल, कोह्कामेट्टा, मुरनार और गारपा में जमा किए गए अनाज पर कब्जा करके आपस में बांट लिया। आकाबेडा में 7 महिलाओं समेत 80 लोगों ने हमला करके कुल 90 क्विन्टल अनाज जब्त कर लिया। कच्चापाल में किए गए हमले में 10 महिलाओं समेत 120 लोगों ने भाग लिया जहां कुल 25 क्विन्टल अनाज जब्त कर लिया। कोह्कामेट्टा में 30 महिलाओं समेत 350 लोगों ने 75 क्विन्टल चावल जब्त कर लिया। ग्राम मुरनार में 50 महिलाओं समेत 450 लोगों ने 120 क्विन्टल चावल छीन लिया। गारपा में 70 लोगों ने 40 क्विन्टल चावल जब्त कर लिया। इस तरह कुल मिलाकर माड़ डिवीजन के 1,070 लोगों ने इन हमलों में भाग लेकर सरकार के ढोंगी विकास योजनाओं के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। साथ ही साथ, लोगों ने अपना विकास के लिए जनता की राजसत्ता के अंगों की अगुवाई में खुद ही पहलकदमी करने का संकल्प किया।

गोपनीय सैनिक सुखदेव को पीजीए ने मौत के घाट उतारा

14 अप्रैल 2002 को पीजीए की एक ऐक्शन टीम ने नारायणपुर शहर में सुखदेव नामक गोपनीय सैनिक को मार गिराया। यह गोपनीय सैनिक पिछले करीब पांच सालों से पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था। सुखदेव मूलतः माड़ डिवीजन के कोह्कामेट्टा एरिया के ग्राम जारावाई का एक आवारागर्द आदिवासी युवक था। यह एक बार सायकिल की चोरी करके पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ काम करने के लिए पुलिस को ऐसे ही आदमियों की तलाश रहती है। गुण्डे, लफंगे, आवारागर्द, चोर-डाकू – ऐसे ही लोगों को पुलिस अपना मुखबिर बनाती है। इसी तरह पुलिस ने उसे अपना मुखबिर बना लिया और नारायणपुर में ही रख लिया। यह नारायणपुर में रहकर जन संगठनों के कार्यकर्ताओं, जो बाजार करने के लिए जाते हैं, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाता रहा। बाद में इसे बाकायदा गोपनीय सैनिक के रूप में नियुक्त कर बन्दूक, वायरलेस सेट आदि दे दिया गया। माड़ डिवीजन के अन्दरूनी गांवों में आने के लिए पुलिस के गश्ती दलों को सुखदेव गाइड की तरह काम करता था। गश्त पर आता तो यह ग्रामवासियों की जमकर पिटाई किया करता था। यह सांड की तरह जहां भी जाता, तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़, शराब लूटकर पीना, व्यापारियों से जोर-जबर्दस्ती करके पैसा ऐंठ लेना, आदि हरकतें करता था। एक शब्द में कहा जाए, सुखदेव नारायणपुर के इर्दगिर्द आतंक का पर्याय बन चुका था। हर वर्ग के लोगों को इसने प्रताड़ित कर रखा था। इस खूंखार जानवर को बीच शहर में लगे भीड़ भरे मेला में पीजीए की एक टुकड़ी ने बड़ी फुर्ति के साथ नजदीक से गोली मार दी। नारायणपुर क्षेत्र की जनता पीजीए की इस वीरतापूर्ण कार्रवाई का जश्न मनाई और पीजीए का अभिनन्दन किया।

पीजीए के हाथों कट्टर मुखबिर लकमू और नागेन का सफाया

16 फरवरी 2002 को पीजीए के छापामारों ने गड़चिरोली जिले के कोठी गांव में छापा मार कर लकमू और नागेन को मौत के घाट उतार दिया, जो पिछले कुछ बरसों से पुलिस मुखबिरी कर रहे थे। जब पीजीए के लाल योद्धा इनका सफाया कर रहे थे, पुलिस के दो दल भी पास में ही मौजूद थे, फिर भी उन कायरों ने घटनास्थल के पास आने की हिम्मत नहीं की और वहां से भाग गए। मारे गए दो मुखबिरों में से एक नागेन मूलतः बंग्लादेश से आकर बसा हुआ शरणार्थी था। यह माड़ डिवीजन के दूर-दराज के गांवों में घूमते हुए जंगली जानवरों की खालें, सींग आदि खरीद कर चोर धंधा किया करता था। इस सिलसिले में पुलिस के साथ इसके संबंध कायम हो गए और मुखबिर बन गया। यह गांवों में घूमते हुए दस्ते संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा करके पुलिस को पहुंचाया करता था। इसकी दी हुई सूचना के आधार पर पुलिस ने 1997 में सोकला नामक गांव पर छापेमारी करके तीन किसानों को इस आरोप में गिरफ्तार किया कि उन्होंने नक्सलवादियों के सामान अपने घर में छिपाए रखे थे। इस तरह नागेन उस क्षेत्र की जनता के लिए गंभीर खतरा बनाया गया था। इसलिए पार्टी ने जनमत को ध्यान में रखते हुए नागेन का सफाया करने का फैसला किया। दस्ता इलाके से बाहर के गांव में रहने वाले नागेन पर हालांकि एक बार छापामारों ने हमला किया था, लेकिन वह भाग निकलने में सफल हो गया। तबसे नागेन काफी सतर्कता बरतते हुए मुख्य रूप से गड़चिरोली और माड़ डिवीजनों के सीमांत क्षेत्र में छापामारों की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देता रहा। आखिरकार पीजीए ने इसका सफाया कर दिया।

नागेन के साथ मारा गया एक और मुखबिर लकमू दरअसल एक समय उत्तर बस्तर डिवीजन के कोइलीबेडा दस्ते का डिप्यूटी कमांडर हुआ करता था। जब यह दस्ते में काम कर रहा था, तभी पुलिस के साथ इसका संबंध स्थापित हो चुका था। इस गद्दार को पुलिस ने दस्ते में ही रहते हुए पार्टी के प्रमुख नेताओं की हत्या करने की जिम्मेदारी दी थी। यह तब दस्ते से भागा था, जब दस्ते के कॉमरेडों को इसकी गतिविधियों के बारे में संदेह पैदा होने लगा। बाद में इसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया, जबकि वह पहले से ही पुलिस का दलाल बन चुका था। बाद में यह पुलिस मुखबिर बनकर गड़चिरोली जिले के ग्राम कोठी में पड़ाव डाला। इन दोनों ने कई बरसों से क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ पुलिस मुखबिर के तौर पर काम किया। इनकी मौत से गड़चिरोली, माड़ और उत्तर बस्तर डिवीजनों के सीमांत इलाकों की जनता ने राहत की सांस ली।

26 जनवरी को झूठे गणतंत्र दिवस का विरोध

भारत के दलाल शासक वर्ग साम्राज्यवादियों, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सामने बेशर्मी के साथ समर्पण करके सभी क्षेत्रों में साम्राज्यवाद-अनुकूल नीतियों पर अमल कर रहे हैं। इससे देश के शोषित तबकों के सामने अनगिनत मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। इन्होंने साम्राज्यवादियों के चरणों पर देश की आजादी और सार्वभौमिकता को ही गिरवी रख दी है। दूसरी तरफ, ये हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके और देशवासियों के साथ अपनी गद्दारी पर पर्दा डाला जा सके। क्रान्तिकारी जनता भी इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए हर वर्ष 26 जनवरी को 'काला दिवस' मना रही है।

झूठे गणतंत्र दिवस के विरोध में **गड़चिरोली डिवीजन के टिप्रागढ़ एरिया कमेटी** द्वारा व्यापक प्रचार किया गया। इस संबंध में 1,000 पर्चे वितरित किए गए। करीब 200 से ज्यादा पोस्टर लगाए गए। इसके अलावा लगभग 100 स्थानों पर दीवारों पर लेखन किया गया। पुलिस के 2 स्थानों समेत 5 पांच स्थानों पर काला झण्डा लगाया गया जिससे दुश्मन वर्ग भी सक्ते में आ गया। इस प्रचार कार्यक्रम में जन मिलिशिया के 32 सदस्यों ने भाग लिया। उल्लेखनीय बात यह है कि यह प्रचार कार्यक्रम पुलिस द्वारा चलाए गए तीन दिवसीय अभियान के बीचोंबीच ही

पीजीए के हाथों शोषक कांग्रेसी नेता मालू कोपा बोगामी का सफाया

गड़चिरोली डीवीजन में पीजीए की एक टुकड़ी ने 10 अक्टूबर 2001 को गड़चिरोली जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और भामरागढ़ सभापति मालू कोपा बोगामी का सफाया कर दिया। यह खुद एक आदिवासी होने के बावजूद बरसों से आदिवासियों के हितों का विरोधी रहा और जिले में पिछले 20 सालों से जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन के रास्ते में एक बड़ी बाधा बना रहा। इसका सफाया करके पीजीए ने जनता और पार्टी के एक कट्टर दुश्मन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया।

गड़चिरोली जिले के किसान अपने विकास के लिए भूमि सुधार और सिंचाई की मांग करते हुए और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पिछले कई वर्षों से संघर्षरत हैं। मालू कोपा ने जनता को गुमराह करने के लिए सभी किस्म के हथकण्डे अपनाए। जनता को उसने यह कहकर दिग्भ्रमित करने की कोशिश की कि सड़क और बिजली ही विकास की एक मात्र कुंजी है। लेकिन जनता ने इस तर्क को रद्द करते हुए सड़क निर्माण का विरोध किया तो उसने सरकार द्वारा भेजे गए बीआरओ के द्वारा सड़क निर्माण काम करवाया। इसने अपने सभापति पद का नाजायज फायदा उठाते हुए हजारों रुपए की अवैध कमाई की। गरीब बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने का ख्वाब दिखाकर उसने कई लोगों से हजारों रुपए रिश्वत ले ली। पंचायत समिति के कर्मचारियों का तबादला करवाने के लिए उनसे बेहिसाब रिश्वत ली। इसने जंगू-लिंगो मंदिर निर्माण के बहाने गांव के गरीब किसानों से, कर्मचारियों से, सेठ-साहुकारों से चन्दे के रूप में बड़े पैमाने पर पैसा वसूला था। सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाले ऋणों और सहायता राशि से भी यह सभापति के नाते अपना 'हिस्सा' लिया करता था। इसकी जनविरोधी गतिविधियों से जिले की जनता अच्छी तरह वाकिफ थी। इसे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चुन लिया गया और राज्य आदिवासी आयोग का सदस्य भी बनाया गया। इन पदों का इस्तेमाल इसने अपनी अवैध कमाई को बढ़ाने के लिए ही किया।

जनता से वोट लूटने में माहिर माने जाने वाला मालू कोपा बोगामी को जन समस्याओं को हल करने में कोई ध्यान ही नहीं था। गड़चिरोली जिले में तैनात हज़ारों अतिरिक्त पुलिस वाले और कमांडो दस्ते जनता पर जुल्म और अत्याचार, मारपीट, गिरफ्तार आदि ज्यादतियां कर रहे थे तो इसने कभी उनका विरोध नहीं किया, उलटा उन्हें बढ़ावा दिया। इसके पास कोई व्यक्ति किसी समस्या को लेकर जाता तो उसे गाली-गलौज करके भगा दिया करता था। इस तरह मालू कोपा जिले में जारी जनवादी संघर्षों का सरासर विरोधी था।

शोषक शासक वर्गों के पिट्ठू बना मालू कोपा बोगामी को आखिरकार जनता के क्रोध का शिकार बनना पड़ा। जनता के विरोध में खड़े होने वाले किसी भी नेता को यही सजा भुगतनी पड़ेगी।

चलाया गया।

माड़ डिवीजन के इंद्रावती एरिया में कई गांवों में जनता ने काले झण्डे उठाकर झूठे गणतंत्र के प्रति अपना विरोध जताया। डुंगा, ताकिलोड और ऊतला गांवों में जनता ने गणतंत्र दिवस का बहिष्कार किया। इस मौके पर डुंगा में 3 गांवों के 250 लोगों ने, ताकिलोड गांव में 4 गांवों के 300 से ज्यादा लोगों ने तथा ऊतला गांव में 200 लोगों ने विरोध-सभाओं में भाग लिया। सभाओं में जनता ने संकल्प लिया कि भारत में सही जनतंत्र स्थापित करने के लिए जनयुद्ध को आगे बढ़ाया जाए। वक्ताओं ने जनता के सामने भारत की वर्तमान लोकतंत्र की पोल खोल दी और कहा कि देश को सही आजादी अभी नहीं मिली है।

गड़चिरोली जिले में बांस मजदूरों का संघर्ष

बल्लारपुर पेपरमिल द्वारा की जाने वाली बांस कटाई की दरों को लेकर हर साल की भांति इस साल भी मजदूरों ने हड़ताल किया। जिले के प्रायः सभी इलाकों में बांस कटाई की जाती है और जिले के अधिकांश जनता इस काम में जुट जाती है। धान की कटाई के बाद गरीब और मध्यम किसान भी इस काम में लग जाते हैं। यह कहना गलत न होगा कि गड़चिरोली जिले की जनता के लिए बांस कटाई रोजगार का एक प्रमुख जरिया है। इस बार भी जिले में जनता ने संघर्ष कमेटियों का निर्माण किया। एटापल्ली एरिया में गठित सात सदस्यीय संघर्ष कमेटी ने इस बार मजदूरी दरें तय करने का जिम्मा लिया। इस कमेटी के आह्वान पर 400 लोगों ने दो बार मीटिंग की जिसमें मजदूरी दरों को लेकर पेपरमिल के अधिकारियों का साथ चर्चा हुई। सबसे पहले जनता ने यह मांग उठाई कि बांस कटाई के दौरान मृत ग्राम कुरमेवाड़ा के एक व्यक्ति को वाजिब मुआवजा दिया जाए। पेपरमिल के अधिकारी जब उस व्यक्ति के परिवार वालों को मुआवजे के रूप में 1 लाख रूपए देने को राजी हुए, तभी मजदूरी दरों को लेकर चर्चा पर गतिरोध की स्थिति समाप्त हो गई। बाद में पेपरमिल के अधिकारी निम्नांकित मजदूरी दरें देने को सहमत हो गए -

2 मीटर बांस के प्रति बंडल	7.40 रुपए
री-बन्डलिंग	42.00 रुपए
दैनिक मजदूरी	60.00 रुपए
प्रति किलो चावल का भाव	5.80 रुपए
काम के दौरान मृत्यु होने पर मुआवजा	1 लाख रुपए

इसके अलावा, संघर्ष कमेटी ने मेडिकल कैंप की सुविधा भी हासिल की। इसी संदर्भ में टिप्रागढ़ एरिया में बांस कटाई का काम ठेकेदारी में दिया गया जहां सरकारी रेट से आधा रेट दिया जाने लगा। 10 गांवों की जनता ने इतनी कम मजदूरी पर काम करने का विरोध किया और चार बार मीटिंगें बुलाकर यह फैसला किया कि बांस कटाई को ठेकेदारी पर देने के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया जाए। अतः टिप्रागढ़ इलाके में बांस कटाई काम बंद है। उधर जंगल विभाग के द्वारा जारी बांस कटाई के मजदूर 240 रुपए प्रति सैकड़ा लंबा बांस की दर पाने के लिए संघर्षरत हैं। इसलिए यह काम भी जनता ने फिलहाल बंद कर दिया है। आशा करेंगे कि जनता अपनी संगठित ताकत के बल पर जंगल विभाग का सिर झुकाकर अपनी मांगें पूरी करवा लेगी। ❑

'पोटो' कानून के खिलाफ
22 मार्च को 'दण्डकारण्य बंद' सफल!

कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में 'टाडा' कानून लाया था, जिसके तहत पूरे देश में आतंक का तांडव मचाया गया था। हजारों निरपराधियों को जेल में ठूंस दिया गया था, पुलिसिया अत्याचारों का सिलसिला जोरों पर था। देश भर की जनता ने उस कानून का पुरजोर विरोध किया था, जिसमें तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी सुर मिलाया था क्योंकि इससे उसका चुनावी फायदा था। सभी तबकों के जन समुदायों और विपक्षी पार्टियों के विरोध के मद्देनजर सरकार को आखिरकार उसे रद्द करना पड़ा। बाद में सत्तारूढ़ हुई हिन्दू फासीवादी पार्टी भाजपा ने शुरू से ही जनवादी एवं राष्ट्रीयता मुक्ति संघर्षों पर फौजी दमन बढ़ा दिया। इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में क्रान्तिकारी आन्दोलन बढ़ रहे हैं और तमाम उतार-चढ़ावों व षड़यंत्रों के बावजूद राष्ट्रीयता मुक्ति आन्दोलन भी तेज हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार द्वारा लागू साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की नीतियों के चलते देशवासियों की दिक्कतें आए दिन बढ़ रही हैं। इन नीतियों के खिलाफ खास तौर पर मजदूरों, किसानों और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ही है कि विभिन्न क्षेत्रों से आए दिन हड़तालों और अन्य संघर्षों की खबरें मिल रही हैं। अब शासक वर्गों को यह जरूरी हो गया है कि एक ओर देश में साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर जनता का ध्यान अपनी ज्वलन्त समस्याओं से बंटाया जाए और आन्दोलनों एवं संघर्षशील संगठनों को पूरी क्रूरता से कुचल दिया जाए।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में राजग सरकार ने 'पोटो' नामक आतंकी अध्यादेश लागू करके देश को जेल में तब्दील करने की कोशिशें शुरू कीं। इसके तहत पहले 23 संगठनों पर और बाद में हमारी पार्टी पीपुल्सवार और एमसीसी पर प्रतिबन्ध लगाया गया। जनता ने इस अध्यादेश का यह कहकर विरोध शुरू किया कि इससे देश के नागरिकों के बुनियादी अधिकार भी खतरे में पड़ जाएंगे। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने भी – कम से कम मुंह से तो – इसका विरोध किया। 13 दिसम्बर कांड जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार ने यह प्रचारित किया कि इस कानून के जरिए ही आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन सरकार की आतंकवाद की परिभाषा बेहद 'व्यापक' है जिसके दायरे में देश के शोषित जन समुदायों में से किसी भी व्यक्ति को आसानी से लाया जा सकता है। जनता के पुरजोर विरोध के बावजूद राजग सरकार ने संसद के बजट सत्र में इसे पारित करवाकर कानून की शक्ल देने की ठान ली थी। चूंकि राज्यसभा में उसे पर्याप्त बहुमत नहीं है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर पारित करवाने के लिए दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का आसाधारण फैसला भी लिया।

पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने आह्वान किया कि पोटो को रद्द करने की मांग पर 22 मार्च को 'आन्ध्र-उड़ीसा-दण्डकारण्य बंद' रखा जाए। जब संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच में पोटो को लेकर बहस-मुबाहिसें जारी थीं और देश भर में जनवाद पसंद जनता संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर पोटो को पारित करवाने की घिनौनी कोशिशों की निंदा कर रही थी, तब दण्डकारण्य के कोने-कोने में जनता ने अपने अंदाज में पोटो के खिलाफ रैलियों और सभाओं का आयोजन किया। यह बन्द समूचे दण्डकारण्य में पूरी तरह सफल रहा। सभी डिवीजनों में हजारों जनता ने 'पोटो' के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। (हमें अभी अन्य डिवीजनों से विस्तृत रिपोर्टों का इंतजार है।)

उत्तर बस्तर डिवीजन

अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक उत्तर बस्तर डिवीजन में बंद पूरी तरह सफल रहा। सभी बड़े गांवों, तहसील और ब्लाक मुख्यालयों में बंद का असर साफ देखा गया। लगभग सभी बसें बंद रहीं और परिवहन सेवा ठप रही। दुर्गकोंदुल में लगने वाला साप्ताहिक बाजार नहीं लगा। आमाबेड़ा, अंतागढ़, रावघाट, दुर्गकोंदुल, पखांजूर, कोयलीबेड़ा तथा बांदे थाना क्षेत्रांचलों में व्यापारिक कारोबार पूर्णतः ठप रहा और सभी स्थानों पर प्रायः सभी व्यापारियों ने दुकानें बंद रखीं। ओरछा से 5 किमी पहले पेड़ काटकर सड़क मार्ग अवरुद्ध किया गया। बंद को विफल करने के लिए पुलिस के आला अफसरों की अगुवाई में की गई लाख कोशिशों के बावजूद क्षेत्र में यात्री बसें, ट्रक, टैक्सी आदि भानुप्रतापपुर के आगे नहीं बढ़े और कोंडागांव से नारायणपुर की ओर आने वाले वाहन भी पूर्णतः बंद रहे। इस तरह, डिवीजन के सभी तबकों के लोगों ने बंद का संपूर्ण समर्थन किया।

दक्षिण एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन

पोटो कानून के खिलाफ पार्टी के आह्वान पर 22 मार्च का बंद दक्षिण एवं पश्चिम बस्तर डिवीजनों में भी पूर्णतः सफल रहा। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक बीजापुर मार्ग पर स्थित ग्राम जयवरम और ग्राम जांगला में जनता ने पेड़ काटकर यातायात अवरुद्ध किया। ग्राम माटवाड़ा स्थित पुलिया को जनता ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इन दोनों डिवीजनों में आने वाले लगभग सभी बसें नहीं चलीं। गीदम, भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपटनम, गंगालूर, बासागूड़ा, कुटरू और फरसेगढ़ मार्ग में टैक्सियां और मालवाहक वाहन नहीं चले। हथियारबंद पुलिस वालों ने दुकानों को खुलवाने की कोशिश की पर उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रायः सभी दुकानदारों और छोटे व्यापारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया। ग्राम बस्तियों में हाट-बाजार नहीं लगे। गोलापल्ली, जगरगुण्डा, पामेड़, सेण्ड्रा आदि क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी आमसभाओं के आयोजन की खबरें भी मिली हैं। बीजापुर-गंगालूर, कोण्टा-भेज्जी, कोण्टा-गोल्लापल्ली, जगरगुण्डा-चिन्तागुफा, बीजापुर-आवापल्ली मार्गों में पेड़ काटकर तथा मार्ग में पत्थर रखकर अवरुद्ध किया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने इन्हें हटा दिया, फिर भी इन मार्गों में निजी वाहन, टैक्सियां तथा बसें नहीं चलीं। भैरमगढ़, बासागूड़ा और भेज्जी के साप्ताहिक बाजारें भी बंद रहीं। जनता ने इस बंद का पूरा समर्थन किया और पोटो के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। कोंटा में सभी दुकानें बंद रहीं। जनता ने अपने सारे कामकाज बंद रखकर बंद का समर्थन किया।

माड़ डिवीजन

माड़ डिवीजन के सभी इलाकों में बंद के दिन मुख्य रूप से सभाओं और रैलियों का आयोजन हुआ। पार्टी की डिवीजनल कमेटी ने पोटो कानून के खिलाफ जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद करके सभाओं और रैलियों का आयोजन करने का फैसला किया था। बंद के पहले इंद्रावती, कोह्कामेट्टा और परालकोट इलाकों में डीएकेएमएस और केएएमएस के कार्यकर्ताओं ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया। नेलनार एलजीएस एरिया में 2, कोह्कामेट्टा एलजीएस एरिया में 2 और परालकोट एरिया में 1 प्रचार दल ने प्रचार कार्यक्रम में भाग लिया। इनमें कुल मिलाकर 30-35 युवक-युवतियों ने भाग लिया। बंद के बारे में प्रचार करने के लिए स्थानीय छापामार दस्तों ने भी 4 स्थानों पर बड़ी सभाओं का आयोजन किया जिनमें कुल मिलाकर 1130 लोगों ने भाग लिया। इन सभाओं में उपस्थित लोगों को पोटो कानून को लाने के पीछे सरकार की मंशाओं के बारे में अवगत कराया गया। प्रचार कार्यक्रम में सैकड़ों पोस्टर और बैनर भी लगा दिए गए।

बंद के दिन कोह्कामेट्टा गांव में एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें 1300 लोगों ने भाग लिया। रैली को कोह्कामेट्टा दस्ता कमाण्डर कॉमरेड राधा ने संबोधित किया। उन्होंने पोटो कानून के खिलाफ जनता को व्यापक संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया। सोनपुर गांव में भी एक रैली निकाली गई जिसमें 900 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। जन संगठनों के नेताओं ने इस रैली का आयोजन किया। आकाबेड़ा और कस्तुरमेट्टा गांवों में आयोजित सभाओं में भी लोगों की भारी उपस्थिति रही। इन दोनों जगहों पर कम से कम 1,000 स्त्री-पुरुषों ने पोटो कानून के प्रति अपना विरोध दर्ज किया।

परालकोट एरिया के कुतुल गांव में एक बड़ी हथियारबंद रैली निकाली गई। इस सफल रैली में कम से कम 50 गावों से आए 2,000 लोगों ने भाग लिया। सभा में आए लोग भरमार बंदूक, तीर-धनुष आदि अपने परम्परागत हथियारों से लैस थे। इनमें महिलाओं और स्कूली बच्चों की भारी संख्या शामिल थी। गांव के सड़कपारा से आश्रमशाला तक रैली निकाली गई, जहां वह एक आमसभा में परिवर्तित हो गई। रैली के दौरान 'आतंकवाद बहाना है, जनता ही निशाना है', 'आंतकी अध्यादेश पोटो मुर्दाबाद' 'सरकारी आतंकवाद का नाश हो' आदि गगनभेदी नारे लगाए गए। रैली के बाद आयोजित सभा को जन संगठनों और पार्टी के नेताओं ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड विनोद ने की। सभा शुरू होने से पहले वाजपेयी और आड़वाणी के पुतले जला दिए गए। केएएमएस कार्यकर्ता कॉमरेड लक्मी, डीएकेएमएस नेता कॉमरेड बिल्लो और कॉमरेड कुम्मा तथा पार्टी की परालकोट एरिया कमेटी सचिव कॉमरेड विनय ने सभा को संबोधित किया। वक्ताओं ने लोगों को समझाया कि जिस तरह जनता ने अपने बहादुराना संघर्षों को बेखौफ जारी रखकर टाडा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंका था, उसी तरह इस पोटो को भी रद्द करने के लिए व्यापक संघर्ष खड़े करने की जरूरत है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि देश में बढ़ रहा हिन्दू धार्मिक उन्माद देशवासियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। धार्मिक उन्माद, पाकिस्तान विरोधी उन्माद और आतंकवाद विरोधी उन्माद फैलाकर शासक वर्ग जनता को गुमराह करने और जन संघर्षों को कुचलने का सपना देख रहे हैं। अतः हमें इन घिनौनी षड़यंत्रों से सावधान रहना चाहिए। सभा में स्थानीय चेतना नाट्य मंच के सदस्यों ने क्रान्तिकारी गीत पेश किए।

इंद्रावती एरिया के एक गांव में बंद के दिन बड़ा जुलूस और आमसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कम से कम 3,000 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। सभा के पहले अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश और वाजपेयी के पुतले जला दिए गए। सभा को डिएकेएमएस रेंज कमेटी सदस्य राम दादा और स्थानीय पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। राम दादा ने अपने भाषण में कहा : "पोटो कानून का विरोध करना चाहिए। यह कानून जंगल पर अधिकार के लिए लड़ रहे आदिवासियों को भी आतंकवादी ठहराता है। यह हमारे तमाम बुनियादी अधिकारों का हनन करने वाला कानून है।"

सभा में स्थानीय सीएनएम के कलाकारों ने एक नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए। सभा में "हारे कीयकाल हारे कीयकाल पोटो कानून तुन हारे कीयकाल", "साम्राज्यवाद मुर्दाबाद", "अटल बिहारी का आंतकी शासन मुर्दाबाद" आदि नारे लगाए गए।

माड़ डिवीजन के अनेक गांवों और ओरछा, नारायणपुर जैसे कस्बों में बंद पूरी तरह सफल रहा। कस्बों में दुकानें और स्कूलें आदि बंद रहीं और सड़कों पर कोई वाहन नहीं चला। हालांकि पुलिस ने बंद को विफल बनाने के लिए दुकानें खुलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्थानीय व्यापारियों ने उनके आदेशों को नजरअंदाज कर अपने सभी व्यापार-धंधों को बंद रखकर बंद का समर्थन किया। गांवों में लगने वाले हाटबाजारों को बंद रखकर व्यापारियों और कोचियों ने भी बंद का समर्थन किया और पोटो के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। ❑

इन्द्रावती एरिया में 22 मार्च के बन्द के दिन आयोजित एक सभा

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

महिलाओं की मुक्ति के लिए पीजीए में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं!

8 मार्च को आयोजित सभाओं और रैलियों में गूंज उठा नारा

हर साल की तरह, इस साल भी समूचे दण्डकारण्य में 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय मेहनतकश महिला दिवस क्रान्तिकारी संकल्प के साथ मनाया गया। सभी डिवीजनों में पार्टी कमेटियों और जन संगठनों की कमेटियों ने महिलाओं का अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का आह्वान किया था। मुख्य रूप से केएएमएस की पदाधिकारियों ने प्रेस बयान जारी कर दण्डकारण्य की महिलाओं का आह्वान किया कि गांव-गांव में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर पितृसत्ता के अलावा सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का संकल्प लें। महिलाओं पर जारी जुल्मों और अत्याचारों के बारे में तथा संघर्षरत महिलाओं पर शोषक शासक वर्गों द्वारा जारी राजकीय हिंसा के बारे में, इस मौके पर विस्तारपूर्वक प्रचार किया गया। जगह-जगह पर पोस्टर और बैनर लगाकर, पर्चे बांटकर तथा प्रेस वक्तव्यों के जरिए महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व से अवगत करवाया गया। सभी डिवीजनों से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित सभाओं और रैलियों में महिलाओं के भारी तादाद में भाग लेने की खबरें मिली हैं। पेश है कुछ डिवीजनों से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजनों का लेखा-जोखा -

पश्चिम बस्तर

पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़ एरिया के गंगलूर, भैरमगढ़ और बीजापुर रेंजों में डीएकेएमएस और केएएमएस की अगुवाई में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। गंगलूर रेंज के ग्राम पिडिया में आयोजित सभा में 10 गांवों की 2,000 महिलाओं ने भाग लिया। सभा की अध्यक्षता रेंज कमेटी सचिव कॉमरेड मंगली ने की। उन्होंने अपने भाषण में आदिवासियों के पिछड़े और पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों के बारे में विस्तार से बताया। पति के द्वारा दी जाने वाली प्रताड़नाएं, 'गूडा पिल्ला' (ममेरी लड़की) के नाम से लड़कियों की मर्जी के खिलाफ तय की जाने वाली शादियां, 'मुत्ते बाता पुन्नो' (औरत नासमझ होती है) कहने वाले पुरुषों का पितृसत्तात्मक अहंकार, जबरन विवाह, बहु-पत्नीत्व प्रथा आदि समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को इनके खिलाफ गोलबंद होकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ आदिवासी युवतियां बैलाडीला में शराब बेचने के लिए जाती हैं जो साम्राज्यवादी जहरीली संस्कृति से प्रभावित होकर खुद की जिन्दगी से खिलवाड़ कर लेती हैं। उन्होंने कहा कि कई पुरुष आदिवासी महिलाओं के साथ दगा कर रहे हैं और आदिवासी महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने महिलाओं को सावधान रहने को कहा। उन्होंने सरकारी सुधारों को झूठा ठहराते हुए कहा कि गांवों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्त करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने या महिला सशक्तिकरण वर्ष की घोषणा करने से महिलाओं की बुनियादी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ। अतः महिलाओं के सामने नव जनवादी क्रान्ति को सफल बनाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। गांव के डीएकेएमएस कार्यकर्ता कॉ. कोरमाल ने अपने भाषण में उनके गांव में पति और सास-ससुर के द्वारा महिलाओं की प्रताड़ना की कुछ घटनाओं तथा मां को जान से मार देने की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को केएएमएस में गोलबंद होकर ऐसी ज्यादतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए।

नारी मुक्ति झण्डा हम फहराएंगे !

शोषण मुक्ति झण्डा हम फहराएंगे !!

नेंडरा गांव में आयोजित सभा की अध्यक्षता कॉ. सुक्कू ने की। इसमें 550 महिलाओं ने भाग लिया। ग्राम ईरिल में आयोजित सभा में 310 महिलाओं ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता कॉ. रामे ने की। पुंचड और तोडका गांवों में आयोजित सभाओं में क्रमशः 500 और 345 महिलाओं ने भाग लिया। भैरमगढ़ रेंज के पिंडुम गांव में आयोजित सभा में 1900 और पेद्दम में आयोजित सभा में 1500 लोगों ने भाग लिया। ऊरेम में आयोजित सभा में 800 लोगों ने भाग लिया।

पिंडुम में कॉ. सुखराम की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि महेन्द्र कर्मा और उसके साथ सांठगांठ करने वाले जमींदारों के खिलाफ किए गए बहादुराना संघर्षों में महिलाओं की गोरवशाली भूमिका रही है। और दण्डकारण्य के सभी इलाकों में जन संघर्षों में महिलाएं बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। इसलिए राज्य ने भी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार को बतौर दमन के एक हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू किया है। राजकीय हिंसा के खिलाफ महिलाओं को बड़े पैमाने पर संघर्ष करना है। और पीजीए में भर्ती होकर सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का सफाया करना है। सभा को केएएमएस की रेंज कमेटी सदस्या कॉ. कुमली नानु ने भी संबोधित किया।

बीजापुर रेंज के गोरनम गांव में आयोजित सभा में 500 महिलाओं ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता केएएमएस की रेंज कमेटी सदस्या कॉ. कोले ने की। कॉ. पोज्जे नानु ने सभा को संबोधित किया।

इन सभी सभाओं में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग

लिया। महिलाओं की क्रान्तिकारी चेतना बढ़ाने में ये सभाएं काफी सफल हुईं।

माड़ डिवीजन

माड़ डिवीजन में मुख्य रूप से माड़िया समुदाय की हजारों महिलाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित सभाओं और रैलियों में उत्साह के साथ भाग लिया। इन सभाओं में जबरन विवाह, बाल्य विवाह, महिलाओं को उठा ले जाने के रिवाज जैसे स्थानीय मुद्दों के अलावा महिलाओं पर जारी राजकीय हिंसा तथा पीजीए में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दे मुख्य रूप से उठाए गए।

परालकोट इलाके में 8 मार्च के मौके पर ग्राम तोके में एक रैली और आमसभा का आयोजन किया गया। पार्टी की स्थानीय एरिया कमेटी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए केएएमएस की 15 कार्यकर्ताओं को दो प्रचार दलों में बांटकर पूरे इलाके में प्रचार के लिए भेजा। इन कार्यकर्ताओं ने गांवों में महिलाओं की मीटिंगें लेकर प्रस्तावित सभा के बारे में बताकर उसे सफल बनाने की बात कही। इस प्रचार अभियान के बाद दूर-दूर तक फैले हुए कम से कम 17 गांवों की महिलाएं काफी दूर पैदल चलकर सभा स्थल पर पहुंचीं।

दोपहर के 1 बजे मीटिंग शुरू हुई। इसमें 700 महिलाओं के अलावा कई पुरुषों ने भाग लिया। केएएमएस की कार्यकर्ता कॉमरेड कमला ने सफेद तारा चिन्हित लाल झण्डे को आसमान में फहराकर सभा का प्रारम्भ किया। उन्होंने अपने भाषण में आदिवासी समाज में महिलाओं पर दबाव के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। फिर बारी-बारी से वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया।

पार्टी की माड़ डिवीजनल कमेटी सदस्या कॉमरेड राधा ने बताया कि आज दुनिया में कई जगहों पर महिलाएं आगे आ रही हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संगठनों में गोलबंद हो रही हैं। उन्होंने आदिवासी समाज पर साम्राज्यवादी संस्कृति के प्रभाव पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और महिलाओं का आह्वान किया कि साम्राज्यवादी और सामंती संस्कृति को दफनाकर जनवादी संस्कृति के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं।

एरिया कमेटी सदस्या कॉमरेड विमला ने अपने भाषण में अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों की महिलाओं पर हिन्दूवादी संगठनों के अत्याचारों के कई उदाहरण पेश किए। उन्होंने महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। परालकोट एरिया कमेटी सचिव कॉमरेड विनय ने अपने भाषण में महिलाओं पर राजकीय हिंसा की चर्चा की। उन्होंने नारायणपुर के पास हाल ही में जानो ऊसेंडी नामक शिक्षा कर्मी की निर्मम हत्या का खण्डन करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है क्योंकि इस कांड में पुलिस मुखबिरों का हाथ भी है। सभा के दौरान महिलाओं की समस्याओं को केन्द्र बिन्दु बनाकर कई क्रान्तिकारी गीत पेश किए गए। अन्त में महिलाओं ने पक्तिबद्ध होकर रैली निकाली जिसमें 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिन्दाबाद','पितृसत्ता मुर्दाबाद', 'साम्रज्यवादी-सामंतवादी संस्कृति मुर्दाबाद', 'महिलाओं को समान अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करो' आदि नारे लगाए गए।

कोह्कामेट्टा एरिया में कुंदला गांव के निकट अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में कुल 587 लोगों ने भाग लिया जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। सभा में कुंदला के आसपास के अनेक गांवों से लोग आए थे। सभा को स्थानीय केएएमएस की कार्यकर्ताओं और कोह्कामेट्टा एलजीएस ने मिलकर आयोजित किया। सबसे पहले केएएमएस का झण्डा उठाकर सभा का प्रारम्भ किया गया। सभा में मुख्य वक्ता कोह्कामेट्टा एरिया कमेटी सचिव और माड़ डिवीजनल कमेटी सदस्या कॉमरेड राधक्का रहीं। उन्होंने अपने भाषण में उत्पीड़ित महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चूंकि पितृसत्ता की जड़ें सामंतवाद और साम्राज्यवाद से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस शोषणकारी व्यवस्था को बरकरार रखकर पितृसत्ता को खत्म करना असंभव है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की मुक्ति नव जनवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्ति के बिना संभव नहीं हैं। उन्होंने दोहराया कि क्रान्ति के बिना महिला की मुक्ति नहीं और महिला के बिना क्रान्ति की जीत नहीं। उन्होंने नौजवान युवतियों का आह्वान किया कि पीजीए में बड़ी संख्या में शामिल होकर ही समाज को बदल सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सभा का समापन हुआ।

नेलनार एलजीएस ने अपने इलाके के दुमनार गांव में एक सभा और रैली का आयोजन किया जिसमें कुल मिलाकर 390 लोगों ने भाग लिया। आसपास के 10 गांवों से आए इन लोगों में महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक थी। दोपहर के 2 बजे जुलूस निकाला गया जो गांव के पास जंगल में निर्मित सभा स्थल से गांव तक चला। जुलूस के दौरान महिलाओं ने गगनभेदी नारे लगाए। जुलूस के आगे केएएमएस का झण्डा और साथ में पार्टी का झण्डा पकड़कर महिलाएं चल रही थीं। बाद में जुलूस फिर जंगल में पहुंचा जहां पर उसने एक सभा की शक्ल ली। ग्राम अलवेडा की केएएमएस अध्यक्ष कोसी ने केएएमएस का झण्डा फहराकर सभा का उद्घाटन किया। सभा की अध्यक्षता नेलनार एलजीएस सदस्या कॉमरेड स्वरूपा ने की। सभा को कॉमरेड्स शांता, अखिला और गोपन्ना मरकाम ने संबोधित किया। सभा के प्रारम्भ में क्रान्तिकारी आन्दोलन के दौरान अब तक शहीद हुई लगभग 500 महिलाओं को, पिछले साल के अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद से अब तक शहीद हुई लगभग 50 महिलाओं को और भारत की नव जनवादी क्रान्ति में अभी तक शहीद हुए तमाम लोगों को श्रद्धांजली पेश करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर विशेष रूप से माड़ डिवीजन में शहीद हुई कॉमरेड सबिता, कॉमरेड कविता और कॉमरेड राजे को याद किया गया। वक्ताओं ने अपने भाषणों में महिलाओं का आह्वान किया कि महिलाओं पर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए तथा पुलिसिया दमन के खिलाफ लड़ने के लिए केएएमएस में और पीजीए में बड़ी संख्या में शामिल हो जाएं। सभा में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिन्दाबाद', 'महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करो' आदि नारे लगाए गए। ❑

हजारों जनता ने मनाई पीजीए की पहली वर्षगांठ

2 दिसम्बर 2001 को समूचे दण्डकारण्य में हजारों जनता ने पार्टी के आह्वान पर पीजीए की पहली वर्षगांठ पूरे जोशोखरोश के साथ मनाया। इस अवसर पर कई विशाल सभाओं, रैलियों और हथियारबन्द प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सभी जगहों पर **"जनसेना के बिना जनता असहाय है!"** का नारा गूंज उठा। और सभी जगहों पर युवक-युवतियों से पीजीए में बड़े पैमाने पर भर्ती होकर साम्राज्यवाद-सामंतवाद-दलाल नौकरशाह पूंजीवाद का सफाया करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा पीजीए के तीनों बलों – मुख्य, द्वितीय और आधार बलों ने कई स्थानों पर सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया और पुलिस वालों पर अनेक हथियारबन्द कार्रवाइयां कीं। पीजीए को प्राप्त जनाधार को समझने के लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि हमें अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक पूरे दण्डकारण्य में आयोजित तमाम सभाओं और रैलियों में कम से कम 60,000 लोगों ने भाग लिया। ध्यान रहे कि ये सभी सभाएं गुप्त रूप से जंगलों में आयोजित की गईं और इनके बारे में दुश्मन के बलों को कोई खबर नहीं थी।

हमने 'प्रभात' के पिछले अंक में कुछ डिवीजनों की रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं, अब पेश हैं अन्य डीवीजनों से हमें देर से प्राप्त रिपोर्टें –

गड़चिरोली डिवीजन

2 दिसंबर 2001 को पीजीए की पहली वर्षगांठ मनाने के पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के फैसले के मुताबिक गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी ने 2 से 8 दिसंबर तक एक सप्ताह पीजीए की वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया। इस पूरे सप्ताह में दुश्मन की ताकतों को परेशान करने, मुखबिरों पर कार्रवाई करने तथा जनता के बीच पीजीए के बारे में प्रचार करने का कार्यक्रम तय किया गया। जन मिलिशिया, यानी पीजीए के आधार बलों के 22 योद्धाओं; प्लटून-3, यानी पीजीए के प्रधान बल के कुछ सदस्यों; तथा स्थानीय छापामार दस्ते, यानी पीजीए के द्वितीय बल के कुछ सदस्यों ने मिलकर अलग-अलग कार्रवाइयां करते हुए 3 पुलिस थानों पर गोलीबारी की जिससे दुश्मन भौंचक्का रह गया और अंधेरे में फायर करता रह गया था। उसमें इतनी घबराहट फैल गई कि डिवीजन में तैनात पुलिस थानों और पुलिस कैंपों में रह रहे दुश्मन के बलों ने लगभग एक से डेढ़ माह तक सामान्य गश्त लगाना भी बंद कर दिया। पीजीए का प्रचार करते हुए पोस्टर, पर्चे, दीवार-लेखन आदि का काम किया गया। प्रचार सभाओं में 25-30 से लेकर 250 की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही थी। एक मुखबिर का घर भी पीजीए सप्ताह में ध्वस्त कर दिया गया। जंगल विभाग का बांस डिपो जला दिया गया। पीजीए के सैनिकों द्वारा की गई इन कार्रवाइयों ने जहां दुश्मन में भय पैदा कर दिया, वहीं अपनी शक्तियों में नए उत्साह व जोश का संचार किया।

माड़ डिवीजन

कोह्कामेट्टा एरिया में जन संगठनों के 30-30 सदस्यों को अलग-अलग दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया, जहां स्थानीय पार्टी एरिया कमेटी ने उन्हें पीजीए के बारे में राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। इन साथियों ने खुद को अलग-अलग छह टोलियों में बांटकर एरिया के सभी गांवों में प्रचार किया। इन्होंने मुख्य रूप से पीजीए में युवक-युवतियों के बड़ी संख्या में भर्ती होने की जरूरत पर जोर दिया। इसके बाद कई गांवों में पीजीए की पहली वर्षगांठ के दिन सभाओं का आयोजन किया गया। कोह्कामेट्टा एलजीएस ने ग्राम इरकभट्टी में एक सभा को आयोजित किया जिसमें 6 गांवों के 400 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। कोहकामेट्टा एरिया कमेटी सचिव कॉमरेड राधक्का ने झण्डोत्थालन किया। डिप्यूटी कमाण्डर कौसल्या ने पार्टी की माड़ डिवीजनल कमेटी द्वारा प्रकाशित गोंडी पत्रिका 'भूमकाल' का विमोचन किया। बाद में उन्होंने पीजीए के महत्व और माड़ की जनता की संघर्षमय विरासत पर अपनी बात रखी। बाद में 'पीजीए दिवस जिन्दाबाद' का नारा गूंज उठा। अन्तर्राष्ट्रीय गीत के साथ ही सभा का समापन हुआ। नेलनार एलजीएल एरिया में कुरसनार और गट्टाकाल गांवों में पीजीए की वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें क्रमशः 400 और 250 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। इन सभाओं को दस्ता कमाण्डर कॉमरेड विजय ने संबोधित किया।

परालकोट एरिया में स्थानीय दस्ते ने दुरवेडा और तोके गांवों में पीजीए की वर्षगांठ के अवसर पर सभाएं आयोजित कीं, जिनमें क्रमशः 200 और 150 लोगों ने भाग लिया। दोनों सभाओं को कॉमरेड विनय ने संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में युवाओं का आह्वान किया कि वे बड़े पैमाने पर पीजीए में भर्ती होकर जनयुद्ध को आगे बढ़ाएं। इस सभा में भी माड़ डिवीजन की गोंडी पत्रिका 'भूमकाल' का विमोचन किया गया। उन्होंने लोगों को आग्रह किया कि माड़ की जनता की संघर्षशील विरासत को जारी रखा जाए। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए गए।

इंद्रावती एरिया में जन संगठनों के नेतृत्व में पीजीए दिवस मनाया गया। पहले जन संगठनों के 15 कार्यकर्ताओं ने पीजीए की वर्षगांठ के बारे में गांव-गांव में प्रचार किया। इसके बाद 2 दिसंबर को ग्राम ऊतला में एक सभा को आयोजित किया जिसमें आसपास के गांवों से आए 1,000 लोगों ने भाग लिया। डीएकेएमएस के रेंज कमेटी अध्यक्ष कॉमरेड रामू ने सभा का उद्घाटन किया। कॉमरेड पंढरू ने सभा को संबोधित किया। सभा के पहले एक विशाल रैली भी निकाली गई जिसमें 'पीजीए को पीएलए में बदल दो', 'दण्डकारण्य को आधार इलाका बना दो', 'भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार] जिंदाबाद' आदि नारे गूंज उठे।

पश्चिम बस्तर डिवीजन

डिवीजन भर में कुल मिलाकर 20,000 लोगों ने पीजीए की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सभाओं और रैलियों में भाग लिया। जन मिलिशिया सदस्यों और जनता ने अपने परम्परागत हथियार – तीर-धनुषों, बरछियों, भरमारों, तलवारों आदि से लैस होकर प्रदर्शनों में भाग लिया। इन आयोजनों में सीएनएम की इकाइयों, छापामार दस्तों और जन मिलिशिया की इकाइयों ने भाग लिया। पीजीए की वर्षगांठ के मौके पर जनता को खास तौर पर यह अवगत कराया गया कि पीजीए को पीएलए (जन मुक्ति सेना) में क्यों बदलना होगा और क्यों पीजीए को मजबूत करना जरूरी है। 2 दिसम्बर के काफी पहले से ही प्रचार अभियान

चलाया गया।

पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़ एरिया में इस उपलक्ष्य में आयोजित कुछ सभाओं के बारे में 'प्रभात' के पिछले अंक में प्रकाशित किया जा चुका है। बाद में हमें प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक इसी एरिया के पुल्लेम गांव में आयोजित सभा में 15 गांवों से आए 3,000 लोगों ने भाग लिया। डीएकेएमएस रेंज कमेटी सदस्य ने अपने भाषण में पीजीए के गठन की तुलना चीन के चिङकाङ के पहाड़ों में लाल सेना की स्थापना से की। उन्होंने भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन में पीजीए के महत्व पर अपनी बात रखी। इसी रेंज के पुलगुट्टा-उरेपाडु गांवों के निकट आयोजित सभा और रैली में 3,500 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। रैली को कॉ. कुम्मे और कॉ. मंगल ने संबोधित किया।

बीजापुर रेंज के कंका गांव में भी एक रैली निकाली गई जिसमें 1,500 लोगों ने भाग लिया। रेकल गांव में 600 लोगों ने सभा में भाग लिया। इस सभा को डीएकेएमएस रेंज कमेटी सदस्य कॉ. मंगू ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे आन्दोलन के लिए पीजीए की स्थापना बेहद महत्वपूर्ण बात है।

गंगलूर रेंज के ग्राम पदेड में आयोजित रैली और सभा में कम से कम 3,000 जनता ने भाग लिया। इसी रेंज के कोरयेली गांव में 1,000 लोगों ने पीजीए की पहली वर्षगांठ मनाई। सभा को कॉ. सन्नू, कॉ. मंगू और कॉ. सुक्की ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि गांव-गांव में जनता की राजसत्ता की स्थापना करते हुए पीजीए को मजबूत बनाकर देशव्यापी राजसत्ता छीन लेने के लक्ष्य से जनयुद्ध को तेज किया जाए। ग्राम इरिल में आयोजित सभा में 400 लोगों ने भाग लिया। इस सभा को कॉ. पंढरू और कॉ. रामे ने संबोधित किया। वक्ताओं ने युवाओं से पीजीए में बड़ी संख्या में भर्ती होकर क्रान्ति को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गंभीर संकट में फंसे शासक वर्ग एक ओर झूठे सुधार कार्यक्रमों से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हुए ही दूसरी ओर क्रान्तिकारी संघर्षों को कुचलने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नेशनल पार्क एरिया में पूरे 100 बैनर तैयार करके हर गांव में एक बैनर पहुंचाया गया। कुछ जगहों पर सभाओं और रैलियों को आयोजित किया गया।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

दक्षिण बस्तर डिवीजन में भी 2 से 8 दिसंबर तक पीजीए का स्थापना-सप्ताह कामयाबी के साथ मनाया गया। इसमें जन संगठनों, पार्टी की विभिन्न इकाइयों, जन मिलिशिया और जनता ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस डिवीजन में चलाई गई प्रतिरोधी कार्रवाइयों ने दुश्मन की नींदें उड़ाईं।

इस मौके पर पूरे डिवीजन में 58 दलों ने प्रचार अभियान चलाया जिसमें 1,500 पर्चे बांटे गए और 500 पोस्टर एवं 100 बैनर लगाए गए। समूचे डिवीजन में कुल 16 आमसभाएं हुईं जिनमें कुल मिलाकर 22 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। सभी इलाकों में पार्टी और पीजीए के संदेशों को पढ़कर सुनाया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि आमसभाओं और प्रदर्शनों में जनता ने अपने परम्परागत हथियारों से भाग लिया।

पीजीए के आधार बलों ने बासागूडेम में दुश्मन पर हमला करके एक एसएलआर बंदूक छीन ली, जिसकी रिपोर्ट पिछले अंक में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा कई सरकारी इमारतों, मुखबिरों के घरों और पुलिस थानों को निशाना बनाकर हमले किए गए। ऊसूर कैंप के पास पीजीए के योद्धाओं ने एक क्लेमोर माइन में विस्फोट किया जिससे 5 पुलिस कर्मी घायल हो गए। किष्टारम एरिया में पुलिस पर घात लगाकर हमला करके उसे भगा दिया गया।

बासागूडेम एरिया में तीनों – जेगुरगोंडा, पामेड और ऊसूर एलजीएस के क्षेत्रों में आयोजित 10 आमसभाओं में कुल मिलाकर 11 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। किष्टारम एरिया में किष्टारम और गोल्लापल्लि क्षेत्रों में 5 आमसभाएं आयोजित की गईं जिनमें कम से कम 7 हजार लोगों ने भाग लिया। एक सभा को दस्ते के नेतृत्व में आयोजित किया गया, और दो सभाओं में दण्डकारण्य चेतना नाट्य मंच ने भाग लिया। किष्टारम रेंज के कामारम गांव में आयोजित हथियारबंद प्रदर्शन में 10 गांवों से आए 670 लोगों ने भाग लिया। बाद में एरिया कमेटी सचिव कॉमरेड शेखर ने पीजीए का झण्डा फहरा दिया। उन्होंने पार्टी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा पीजीए के नाम भेजे गए संदेश पढ़कर सुनाया। बाद में सभा को एलजीएस कमाण्डर कॉमरेड सूर्यम ने संबोधित किया। बाद में बोलते हुए डिवीजनल कमेटी सचिव कॉमरेड सुजाता ने कहा कि भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में पीजीए का गठन एक गुणात्मक बदलाव है। उन्होंने खासकर युवाओं का आह्वान किया कि दण्डकारण्य को मुक्त अंचल में बदलने के लक्ष्य से जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए पीजीए में ज्यादा से ज्यादा तादाद में भर्ती हों। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय गीत के साथ सभा का समापन किया गया।

पेद्दाकेर गांव में आयोजित सभा में 20 गांवों के 2,500 लोगों ने भाग लिया। इस सभा में सीएनएम दल ने सांस्कृतिक प्रदर्शन दिया जिससे लोग काफी उत्साहित हुए। सभा के बाद जनता ने अपने साथ लाए लगभग 200 ढोलों से परम्परागत नृत्य पेश किया। कोम्मापाड में आयोजित सभा में 16 गांवों के 1,090 लोगों ने भाग लिया। गोल्लापल्ली रेंज के राइगूडेम गांव में आयोजित सभा में 18 गांवों से आए 1,450 लोगों ने भाग लिया। बंडारचेलका गांव में आयोजित सभा में 1,600 लोगों ने भाग लिया। सीएनएम के प्रदर्शनों ने जनता का मन मोह लिया। सभी सभाओं में जनता ने पीजीए को मजबूत करके जनयुद्ध को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

शबरी एरिया के कोंटा और दोर्नापाल इलाकों में आयोजित एक मात्र सभा में 3,000 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। दिन भर चली इस सभा में दण्डकारण्य सीएनएम, दो एलजीएस और स्थानीय सीएनएम ने भाग लिया। पीजीए दिवस मनाने के पहले खेल-कूद प्रतियोगिता आयोजित किया जिसमें 150 युवक-युवतियों ने भाग लिया। बाद में रैली निकाली गई। पार्टी की डिवीजनल कमेटी के सदस्य कॉमरेड आयतू ने पीजीए का झण्डा फहराया। डीके सीएनएम कमाण्डर कॉमरेड चंदू ने झण्डा गीत पेश किया। बाद में सभा को दोरनापाल एलजीएस कमाण्डर कॉमरेड सत्यम, एरिया कमेटी सदस्या कॉमरेड सावित्री, कोंटा एलजीएस कमाण्डर कॉमरेड सागर ने संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषणों में पीजीए में बड़ी संख्या में भर्ती होकर उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने पीजीए को राजनीतिक रूप से भी सुशिक्षित बनाने की जरूरत पर अपनी बात रखी। भाषणों के बाद प्रदर्शित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही सभा का समापन किया गया।❑

दोहा सम्मेलन

कसता नव-उपनिवेशी जाल

142 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा पारित 'डब्ल्यूटीओ की मंत्रीस्तरीय घोषणा' विश्व के अविकसित देशों पर विकसित देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक आक्रमण के अधिकारपत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे कितनी भी 'गंभीरता' का प्रदर्शन करें, आखिरकार वाणिज्य मंत्री मुरसोली मारन और तीसरी दुनिया के अन्य मंत्रियों ने खुद ही उन देशों की मौत की वारन्ट पर दस्तखत किया जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। **यदि उरुग्वे दौर ने पिछड़े देशों के नव-उपनिवेशी आधिपत्य में एक बड़ी छलांग लगाई थी, तो दोहा दौर इस गलाघोंटू पकड़ को दस गुना बढ़ाएगा।**

सरकार और भारतीय मीडिया ने दोहा सम्मेलन को एक बड़ी कामयाबी के रूप में दिखाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने भारत को एक तलवारिया के तौर पर पेश करना चाहा जिसने 'स्वदेशी' कवच पहनकर अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन के धौंसियों के खिलाफ लड़ने में तीसरी दुनिया का नेतृत्व किया। वास्तव में यह 'तलवारिया' शेर की खाल ओढ़े हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था, यहां तक उसकी दहाड़ भी झूठी थी। इस गलत प्रचार को हवा देते हुए कई तथाकथित वामपंथी अर्थशास्त्रियों ने भी दोहा सम्मेलन को आंशिक सफलता के रूप में चित्रित करने की कोशिश करके उलझन पैदा की।

दरअसल भारत ने दहाड़ से शुरू करके पिनपिनाहट से समाप्त किया। दोहा सम्मेलन के एक माह पहले तक उसने बारम्बार गरजा था, "उरुग्वे दौर के एजेन्डा के पूरे होने से पहले एक नए दौर को शुरू करने के प्रयास के विरोध में भारत दृढ़ता से खड़ा रहेगा।" लेकिन मंत्रीस्तरीय बैठक की पूर्व संध्या पर उसने बताया कि डब्ल्यूटीओ के साथ जुड़े रहने के लिए यह एक "जरूरी पाप" था। दोहा सम्मेलन के समापन के बाद, सफलता का दावा करते हुए ही उसने चेताया कि डब्ल्यूटीओ के नए एजेन्डे के मुताबिक कठोर सुधार लागू करने के लिए देश के पास सिर्फ दो साल बचे हैं। बाद में उसने कहा कि "यदि दोहा से कोई सबक लेना है तो वह यह है कि हमें तेजी से सुधार लागू करना चाहिए।" अमेरिका/यूरोपीयन यूनियन भी डब्ल्यूटीओ या अन्य किसी के जरिए इसी बात पर जोर दे रहे हैं। तब यह सब दिखावा किस लिए? यह कोई 'बहादुराना लड़ाई' नहीं थी, जैसा कि संशोधनवादी हमें यकीन दिलवाना चाहते थे, बल्कि महज गर्म हवा थी जो देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए निर्मित की गई, जो डब्ल्यूटीओ की सख्त खिलाफत कर रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जोएलिक, लैमी और उनके पिछलग्गूओं के द्वारा बांह मरोड़ने, धमकी देने और दादागिरी के कई कारनामे किए गए। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ब्लेयर ने फोन पर वाजपेयी से बात करके कहा कि साथ चलो 'वरना' .....। आखिर में संपूर्ण आत्म समर्पण किया गया था, जबकि सारी डींगमारी और सुव्यवस्थित गलत प्रचार उसे छुपाने का प्रयास था। नई घोषणा में जो मुद्दे शामिल किए गए वो इतने व्यापक एवं सब कुछ घेर लेने वाले थे तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य के लिए इतने घातक थे कि सम्मेलन में भाग लेने वाले दलालों ने अपने-अपने देशों में जनता की प्रतिक्रिया के डर से थोड़ा विरोध पेश किया। यह विरोध भारत से ज्यादा उन सबसे कम विकसित देशों से आया था जिन्हें हमेशा बहिष्कृत माना जाता रहा है।

तीखी मंदी को देखते हुए विकसित देशों ने एक नए दौर को सामने लाने का मन बनाया ताकि संकट का बोझ तीसरी दुनिया के देशों पर लादा जा सके। खास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने साथ में काम करने का फैसला किया और साम्राज्यवादियों के साझा हित में अपने आपसी व्यापार विवादों, जिन्होंने सिएटल सम्मेलन को डुबो दिया था, को किनारा कर दिया। यहां तक कि उन्होंने 11 सितम्बर की घटनाओं को भी अपने फायदे में इस्तेमाल करने का निश्चय किया।

डब्ल्यूटीसी के मलबों से शवों को निकालने का काम चल ही रहा था, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रॉबर्ट जोएलिक ने "आतंकवाद से लड़ने में व्यापार की भूमिका" पर कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषण दिया। बुश की कैबिनेट के इस गर्म मिजाज व्यक्ति ने अपने एक भाषण में जोर दे कर कहा कि "व्यापार कानून की दरकार थी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि अमेरिका आतंकवादियों और भूमण्डलीकरण के आलोचकों से मुक्त व्यापार की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ लेगा।" यहां पर भूमण्डलीकरण विरोधी कार्यकर्ताओं को भी 'आतंकवादियों' के साथ गड्डमड्ड किया जा रहा है। फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष ग्रीनस्पैन तो और ज्यादा भोंडा निकला जिसने नए व्यापार दौर को 11 सितम्बर के साथ जोड़ दिया। उसने कहा, "हमें दुनिया भर से हासिल स्वतःस्फूर्त और लगभग सार्वभौमिक समर्थन के परिणामस्वरूप, बहुपक्षीय व्यापार समझौता-वार्ता के एक नए दौर पर अब सहमति संभव लग रही है।"

दरअसल, एक नए व्यापार दौर को आतंकवाद के खिलाफ तथाकथित युद्ध के साथ जोड़ने का घृणित अभियान प्रारंभ करने का श्रेय यूरोपियन यूनियन व्यापार आयुक्त पास्कल लैनी और यूएसटीआर जोएलिक को जाता है, जिन्होंने यह दलील दी कि 'आतंकवादी' हमलों को अच्छा जवाब होगा एक नए दौर को शुरू करना।

इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 27 अक्टूबर को जारी की गई संशोधित मसौदा मंत्रीस्तरीय घोषणा पहले के मसौदे की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों के लिए और भी ज्यादा घातक थी। यह घोषणा दोहा सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले की गई थी और इसे डब्ल्यूटीओ के जनरल काउन्सिल (इसे हार्बिन्सन–मोर की साझा षड़यन्त्र की संज्ञा दी गई – माइक मोर डब्ल्यूटीओ का मुख्य सचिव है और हार्बिन्सन जनरल काउन्सिल का अध्यक्ष है) के अध्यक्ष ने अमेरिका के आदेश पर मनमाने ढंग से तैयार किया था। इसने इसके पहले भारत जैसे देशों के द्वारा उठाई गई अधिकांश आपात्तियों को नकार दिया। इसने सभी वैकल्पिक दृष्टिकोणों को दरकिनार कर दिया और वास्तव में ऐसे असंख्य नए बिन्दुओं को जोड़ दिया जिनकी पहले कभी चर्चा ही नहीं हुई थी। एक उदाहरण

देखिए – प्रस्तावित नए गैट्स (व्यापार और सेवाओं पर आम समझौता) के तहत निजी विदेशी स्वास्थ्य और शिक्षा निगमों को डब्ल्यूटीओ के किसी भी सदस्य देश में खुद को स्थापित करने का अधिकार होगा। उन्हें सार्वजनिक कोषों के लिए संस्थाओं, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ होड़ लगाने का अधिकार भी होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के मापदंड भी डब्ल्यूटीओ के नियम-कायदों के मुताबिक होंगे। प्रस्तावित नए गैट्स के तहत शिक्षा का कोई भी पहलू विदेशी प्रतियोगिता के लिए खुला रह सकना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम के विकास से लेकर शिक्षा संस्थाओं के स्वासित्व और संचालन तथा शिक्षकों को भाड़े पर नियुक्त करने तक सब कुछ शामिल होंगे।

यह मसौदा पिछड़े देशों की प्रभुसत्ता (या जो कुछ बची है उस) पर एक बर्बर हमला था। बचाव के जो बचे-खुचे उपाय अभी मौजूद हैं, उन्हें यह मसौदा निर्दयता से कुचल देता है और तीसरी दुनिया के देशों की सभी आर्थिक जीवन-रेखाओं पर सम्पूर्ण नियंत्रण के लिए आक्रमकता के साथ रास्ता साफ कर देता है। हालांकि शुरू में मारन, फिक्की (एफआईसीसीआई), आदि ने इस मसौदे का 'विरोध' किया था, लेकिन अंतिम घोषणा को नम्रता से स्वीकार किया, जबकि उसका सारांश वही था, महज कुछ दिखावे के बदलाव किए गए थे।

नया दौर

सम्मेलन का स्थल कतर, जो एक तानाशाही राजशाही राज्य है, को चुनकर मंत्रीगण उन प्रदर्शनकारियों की लहरों से बचे रहे जिन्होंने पहले के सभी सम्मेलनों को बाधित किया था। लेकिन, इस सचाई के बावजूद कि सिर्फ इने-गिने 'वैध' गैर-सरकारी संगठनों को ही कतर में प्रवेश करने के लिए वीसा मंजूर किया गया था, साम्राज्यवादी दुनिया के भयभीत सरगनों की रक्षा में 2,000 अमेरिकी नौसैनिक दोहा के तट पर मंडराते रहे।

काफी मोल-भाव, धमकियों, बांह-मरोड़ और आखिर में चंद चुनिंदा लोगों के साथ होने वाली बदनाम 'ग्रीन-रूम' मीटिंगों को भी आजमाने के बाद में आखिरकार दोहा विकास एजेन्डा (डीडीए) पारित किया गया। भले ही इसे 'नया दौर' न कहकर 'कार्य प्रणाली' कहा गया हो ताकि विश्व मत को धोखा दिया जा सके, यह उरुग्वे दौर से भी कहीं ज्यादा व्यापक है। एक 'व्यापार समझौता-वार्ता कमेटी' की स्थापना और इस घोषणा ने कि सभी समझौता-वार्ताओं को एक 'एकल कार्य' माना जाएगा, यह मतलब लगाने में कोई संदेह नहीं रहने दिया कि यह एक नया दौर है। डीडीए का एक भारी-भरकम एजेन्डा है जिसमें 12 विभिन्न क्षेत्र और 7 अन्य कार्य प्रणालियां शामिल हैं। इसमें वे विषय भी शामिल हैं जिनका भारत ने पुरजोर विरोध किया था। इनमें सभी चार 'सिंगापुर मुद्दे' (इन चार मुद्दों को 1996 की सिंगापुर बैठक में अध्ययन के लिए पेश किया था) शामिल हैं ताकि विदेशी पूंजीनिवेश, प्रतियोगिता नीतियां, सरकारी उगाही और व्यापार सरलीकरण में पारदर्शिता के लिए भूमण्डलीय नियमों पर भावी डब्यूटीओ की संधियों का खांका खींचा जा सके। **जब उरुग्वे दौर पेश किया गया था, गैट में पहली बार एक ही गैर-व्यापार मुद्दा – बौद्धिक सम्पदा अधिकार – पेश किया गया था, पर वर्तमान दौर ने तीन गैर-व्यापार मुद्दे पेश किए।** अन्तिम घोषणा ने पर्यावरण और श्रम मानकों संबंधी मुद्दे पेश किए जिनका काफी विरोध (भारत द्वारा) किया गया था। इसने पहले वाले (अक्टूबर 27) मसौदे को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसमें यह सूत्रीकरण शामिल था कि श्रम मुद्दों पर ठोस चर्चा करने वाली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) होगा। अन्तिम घोषणा में आइएलओ से संबंधित सभी उल्लेखों को हटा दिया गया, जिसका संकेत है कि संभवतः डब्ल्यूटीओ बाद में यह मुद्दा उठाएगा।

पर्यावरण और श्रम मानक भले ही आवश्यक हों, पर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ जोड़ने से विकसित देशों को संरक्षणवादी नीतियों को लागू करने के लिए एक बहाना मिल जाएगा। तीसरी दुनिया के देशों में पर्यावरणीय एवं श्रम मानकों के अभाव का फायदा उठाते हुए अमेरिका/यूरोपीय यूनियन ने पहले ही भारत और अन्य पिछड़े देशों से बीड़ियों, झींगा मछलियों, आदि के निर्यातों का बहिष्कार कर रखा है। अब, इन धाराओं को पारित करने से इस किस्म के संरक्षणवादी कदमों को व्यापक बनाया जाएगा और उन्हें आधिकारिक वैधता प्राप्त होगी।

दरअसल, चार 'सिंगापुर मुद्दे' कुछ भी नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की प्रभुसत्ता पर विश्वपूंजी का भारी हमला है।

जहां तक 'पूंजीनिवेश की नीतियों' का प्रश्न है, इसमें एक ठोस प्रस्ताव यह है कि विदेशी पूंजी को राष्ट्रों की तरफ से कोई बाधा उत्पन्न न होने पर भी राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं भी गुजरकर जाने की आजादी होगी। "पूंजीनिवेश पर व्यापक बहुपक्षीय अनुशासन" को शामिल करने के लिए गैट की दोबारा वाक्य रचना करके इसे पेश किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप एफआइआइ, एफडीआइ और मुनाफों के देश-प्रत्यावर्तन पर सभी नियंत्रणों को हटा दिया जाएगा; स्थानीय सरकारों के नियंत्रणों के बिना ही विदेशी पूंजी किसी भी और हरेक क्षेत्र में निर्बाध प्रवेश करेगी; पूंजी खाते पर मुद्रा की परिवर्तनीयता पेश की जाएगी (जिसने उन देशों की मुद्राओं पर तबाही मचाई जिन्होंने इसे पहले ही पेश किया था)।

'प्रतियोगिता नीति' के तहत स्थानीय उद्योग, लघु क्षेत्र, हस्तशिल्पों आदि को सभी प्राथमिकताएं हटा देना आवश्यक है। भीमकाय टीएनसी और छोटे स्थानीय व्यापार को समान नजरिए से देखा जाएगा। इसका नतीजा यही होगा कि विदेशी दैत्यों से 'प्रतियोगिता' का सामना नहीं करने की स्थिति में स्थानीय उद्योग और भी बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा।

तथाकथित "सरकार की उगाही में पारदर्शिता" का मतलब है कि विश्व पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र, सामाजिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाओं के मामले में सरकारों के हाथ बांधने में सक्षम होगी तथा स्थानीय सरकारों की किसी भी और हरेक गतिविधि पर नियंत्रण रखेगी।

जहां तक 'व्यापार सरलीकरण' की बात है, इसका मतलब यह है कि उरुग्वे दौर में जो हासिल किया गया, उससे भी बढ़कर व्यापार अवरोधों को पूर्णतया खत्म कर देना। यह साझा मानकों के नाम पर, सीमाशुल्क की दरों में कहीं ज्यादा पाबंदियों का आह्वान करता है।

यदि इन चारों धाराओं को लागू किया जाता है, प्रस्तावित अन्य 15 क्षेत्रों को मिलाकर, इसका नतीजा एक देश की प्रभुसत्ता

का संपूर्ण विघटन और उसे विदेशी पूंजी के रहमोकरम पर पूरी तरह छोड़ देना होगा। जबकि 'उदारीकरण' दशक के विनाशकारी परिणाम सामने आ चुके हैं; आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रणों को इस हद तक खत्म कर देने से कितनी व्यापक तबाही मच जाएगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। बदकिस्मती से, भारत सरकार इन चार 'सिंगापुर मुद्दों' का विरोध करने का अभिनय भले ही कर रही हो, पर सच तो यह है कि वह इन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करना शुरू कर ही चुकी है। एफआइआइ की सीमाओं को बढ़ाना; शेयर बाजार पर आधारित व्यापार को मंजूरी; एफआइपीबी, बीआइएफआर, आदि को निरस्त करने की बात; रक्षा, लघु उद्योग और अन्य क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश को अनुमति देना; सीमाशुल्कों में भारी कटौतियां करना तथा डब्ल्यूटीओ की समय-सीमा के पहले ही मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना; सार्वजनिक कंपनियों का जोरदार निजीकरण; और सभी तथाकथित दूसरी पीढ़ी के सुधारों का अमल – इन सभी ने पहले ही देश को और उसकी अर्थव्यवस्था को यह दिशा दे रखी है जिसकी रूपरेखा दोहा में तैयार की गई।

और तो और, जनवरी 2002 में शुरू होने वाला नया दौर जनवरी 2005 के पहले पूरा होना प्रस्तावित है। जबकि उरुग्वे दौर, जिसका काफी छोटा एजेंडा था, को अन्तिम रूप देने में 7 साल (1986 से 1994 तक) का वक्त लगा, दोहा दौर के पूरे होने में मात्र 3 साल लगने की आशा की जा रही है। फिर भी मारन और दूसरे लोगों ने 4 'सिंगापुर मुद्दों' पर चर्चा अगले मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (दो साल बाद) तक स्थागित किए जाने को भारत की सफलता की संज्ञा दी। जबकी सचाई यह है कि समूचे 'एजेंडे' को ही मात्र 3 साल के भीतर पूरा करने की साजिश रची गई है, तो दो साल तक 'स्थगन' का महत्व ही क्या है।

भारत की मांगें उपेक्षित

महीनों से भारतीय शासक कहते रहे कि यदि उरुग्वे दौर के 'अमली मुद्दों' का पहले निपटारा नहीं किया जाएगा तो वे एक नए दौर को नहीं मानेंगे। विकसित देशों ने इस पर बल दिया कि 'अमली मुद्दों' को दोहा दौर का ही हिस्सा बनाया जाए। भारत ने इस सुझाव का विरोध किया क्योंकि उन मुद्दों को, जिन पर विकसित देशों ने अमल नहीं किया है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का मतलब भारत जैसे देशों के साथ व्यापार को प्रभावित करना है। भारत ने 120 'अमली मुद्दों' की सूची पेश की थी।

दोहा सम्मेलन ने 'समझौता-वार्ता' के एजेंडे के अलावा दो अन्य घोषणाएं जारी कीं। इनमें एक कोई 40 'अमली मुद्दों' की थी, जबकि दूसरा पेटेन्टों और जन स्वास्थ्य से जुड़ा एक नीति-पत्र था। ये दोनों भी अतिरिक्त बयान थे और मुख्य 'समझौता-वार्ता के एजेंडे' का किसी भी तरह अतिक्रमण नहीं कर रहे थे।

सम्पन्न देशों द्वारा एन्टी-डम्पिंग शुल्कों के आरोपण का एक मामला छोड़ दिया जाए तो, अंतिम घोषणा में शामिल 40 अमल के मामले महज अच्छे इरादे के बयान थे। सभी प्रमुख अमली मुद्दों को दोहा दौर की समझौता-वार्ता का हिस्सा बनाया गया। ठीक इसी का भारत विरोध करता चला आ रहा था, फिर भी दोहा में सफलता का दावा किया गया। इसके अलावा, अमेरिका ने कपड़ों के कोटों, भारत से सबसे ज्यादा निर्यातित चीज, में एक छोटी सी छूट पर भी अड़ंगा लगा दिया। इसका दोहा में निपटारा किया गया।

ट्रिप्स के तहत, भारत ने भौगोलिक निर्देश (जीआई) द्वारा दिए गए संरक्षण के क्षेत्र के विस्तार की मांग भी की ताकि बासमति, दार्जीलिंग (चाय के लिए), कोल्हापुरी (चप्पलों के लिए) और अल्फोन्सो (आम के लिए) को सम्मिलित किया जा सके। घोषणा में इस विस्तार की भी मंजूरी नहीं थी।

विवाद सुलझाने के क्षेत्र में भारत ने विशेष तौर पर चाहा कि विवाद में किसी गैर-सरकारी संगठन या रेफरी का हस्तक्षेप न हो। इसे भी ठुकरा दिया गया।

कृषि और सेवाओं के क्षेत्र में दोहा का परिणाम सुखद नहीं रहा। कृषि क्षेत्र में, समझौता-वार्ता का परिप्रेक्ष्य विकसित देशों के भारी रियायतों से बने मालों के तरफ ही रहेगा। यहां तक कि कृषि में निर्यात सब्सिडियों के अति विवादास्पद सवाल पर भी, सभी निर्यात सब्सिडियों का प्रचलन बन्द करने के लिए, प्रावधानों को हल्का करने में फ्रांस सफल रहा।

सेवाओं में कई नए पहलू सामने लाए गए, जिनका जिक्र पहले ही किया गया। श्रमिकों को हटाने के प्रश्न पर बहुत संकीर्ण रवैये से पीछे हटने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अलग घोषणा का ढिंढोरा पीटने के बावजूद, बुनियादी सेवाएं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, मुहैया कराने के प्राथमिक महत्व पर कोई ध्यान न बरता गया।

कुल मिलाकर, वहां इकट्ठे हुए सभी 142 देशों पर साम्राज्यवादी अपनी इच्छाएं थोपने में कामयाब हो गए। वहां पर (और बाद में) भारत की भूमिका उस बंदर से मेल खाता था जिसने अपनी पूंछ तो गंवा दी, और पूंछविहीन बंदर होने के फायदों का प्रचार शुरू किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर तथाकथित उपलब्धी

भारतीय शासकों का यह दावा भी एक बड़ा झूठ है कि "सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल" की घोषणा होने पर पेटेन्ट प्रणाली को नजरअन्दाज करने के अधिकार पर यह पृथक घोषणा एक बड़ी उपलब्धी है। पहली बात, यह धारणा भारत की नहीं थी, और दरअसल यह ब्राजील में पहले से लागू की जा रही है और कुछ हद तक दक्षिण अफ्रीका में भी। दूसरी बात, इस घोषणा के व्यावहारिक फायदे बहुत ही सीमित हैं।

पहला विषय देखा जाए, तो 1994 में ब्राज़ील की सरकार ने स्थानीय दवा कम्पनियों से मांग की कि एड्स का इलाज करने के लिए दवाएं बनाना शुरू किया जाए। सरकार ने अपने पेटेन्ट कानूनों में 'राष्ट्रीय आपातकाल' के प्रावधानों का इस्तेमाल किया ताकि कम कीमत वाली एड्स निरोधक दवाओं का उत्पादन शुरू किया जा सके। अमेरिका ने ब्राजील के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के विवाद पैनल का दरवाजा खटखटाया। लेकिन प्रतिकूल जनमत को देखते हुए उसने अपना कदम पीछे लिया। अब यह हुआ कि उसे वैधता प्रदान की गई।

दूसरा विषय, यह 'उपलब्धी' भी नाम मात्र की और भ्रामक है। पहला, हालांकि पिछड़े देशों में हमेशा 'सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' की स्थिति रहती है, फिर भी इसकी घोषणा विरले

ही की जाती है। यह प्रचार है कि एड्स, तपेदिक, मलेरिया, दस्त आदि बीमारियां नियमित महामारियां हैं। उदाहरण के लिए 40 प्रतिशत से कम भारतवासी और बंग्लादेशी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसलिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो नियमित महामारियों के लिए ट्रिप्स को लागू करना जरूरी होगा और केवल असाधारण स्थिति (आपातकाल) में ही उसे नजरअन्दाज किया जा सकता है। यह घोषणा खुद ही धुंधली है, इसका कानूनी मूल्य अनिश्चित है, और यह साथ-साथ ट्रिप्स समझौते के प्रति सदस्य की वचनबद्धता को बार-बार दोहराती है। इसके अलावा, यह 'रियायत' आयातों/निर्यातों को लाइसेन्स की आवश्यकता से मुक्त रखती है। इसका मतलब यह है कि सबसे अविकसित देश, जिनके पास एक देशीय उत्पादन के आधार का अभाव है, आवश्यक दवाओं को सस्ते दाम पर नहीं प्राप्त कर सकेंगे। न ही प्रतियोगी भारतीय उत्पादक उन्हें निर्यात कर सकेंगे।

इसलिए, इस मुद्दे पर मीडिया का प्रचार चाहे जो भी हो, इस घोषणा के वास्तविक फायदे नगण्य होंगे। जबकि ट्रिप्स प्रणाली पर अमल जारी रहेगा, भीमकाय दवा कम्पनियां अप्रत्याशित लाभ कमाते ही रहेंगी।

गैर-जनवादी तरीके

डब्ल्यूटीओ में (आइएमएफ की तरह नहीं) जनवादी अधिकारों के बारे में काफी कुछ बताया गया, जहां हरेक देश को एक-एक वोट होगा। दोहा सम्मेलन के पहले की गई विस्तारपूर्वक चर्चाओं के बावजूद, बनाए गए दोनों मसौदों में पिछड़े देशों के विचारों को कोई जगह नहीं दी गई। पहले मसौदे में वैकल्पिक विचारबिन्दुओं को कम से कम कोष्ठकों में दिया गया था, लेकिन दोहा में पेश किए गए अंतिम और संशोधित मसौदे में उन्हें पूरी तरह बाहर कर दिया गया। प्रस्तुति बेहद मनमाने ढंग से की गई थी। और 30 देशों के एक ग्रुप ने इस प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। आखिरी दिन, जब कोई सहमति नहीं हो पा रही थी, तो फिर एक बार बदनाम ग्रीनरूम तरीके को आजमाया गया। 20 देशों के मंत्रियों को शाम के 6 बजे अध्यक्षीय कक्ष में बुलाया गया। सुबह के 3.00 बजे तक बैठक चलती रही। जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ा, और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद ही अन्तिम घोषणा को पारित किया गया। विषय-वस्तु पर भी तब दबाव डाला गया जब अमेरिका ने अचानक एन्टी-डम्पिंग शुल्कों पर बदलावों को प्रस्तावित किया। वास्तव में, पूरे सम्मेलन के दौरान अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधियों को डराते-धमकाते हुए और मजबूर करते रहे ताकि वे नए दौर को मान लें।

हालांकि कृषि संबंधी सब्सिडियों पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच फिर एक बार मतभेद उत्पन्न हुए, पर इस बार वे इस मुद्दे पर समझौता करने में सफल हो गए ताकि तीसरी दुनिया के देशों पर वे साझा हमला छेड़ सकें।

डब्ल्यूटीओ से बाहर आओ – आत्म-निर्भरता और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के लिए लड़ो

भारत की प्रभुसत्ता को पाकिस्तान या अन्य किसी देश से नहीं, बल्कि साम्राज्यवादियों से खतरा है। डब्ल्यूटीओ की प्रणाली पर अमल, आइएमएफ का ढांचागत समयोजन और अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादियों के साथ अनगिनत द्विपक्षीय समझौते- यही मुख्य कारण है कि विदेशी ताकतों को देश के हित बेच डाले गए।

विश्व व्यापार में जहां 100 करोड़ आबादी वाले भारत की हिस्सेदारी महज 0.6 प्रतिशत की है, तो वहीं 55,000 पार राष्ट्रीय कम्पनियां 70% की हिस्सेदारी रखती हैं। इस तरह के भारी भरकम असंतुलन को देखते हुए यह संभव भी कैसे होगा कि प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों के बीच बराबरी रहे? साथ ही, इस बहु प्रचारित झूठ का अब पूरी तरह पर्दाफाश किया जा चुका है कि डब्ल्यूटीओ समूची दुनिया में व्यापार और समृद्धि को बढ़ा देगा। उरुग्वे दौर के बाद, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की वृद्धि पूर्वार्ध की तुलना में कम रही। व्यापार की शर्तों से पिछड़े देशों को ही भारी नुकसान हुआ है, जिनके निर्यातों में मुख्य रूप से प्राथमिक माल शामिल हैं। तेल को छोड़, 1995 से यूनिट निर्यात मूल्य में लगातार गिरावट हो रही है। कृषि निर्यातों, जिन्हें सबसे बुरी तरह मार झेलनी पड़ी, के लिए निर्यातों का यूनिट मूल्य मात्र 5 साल की अवधि में करीबन 20% घटा। विश्व व्यापार में अविकसित देशों का हिस्सा 29 प्रतिशत पर ही ठहर गया। तेल के क्षेत्र में ही प्राथमिक तौर पर वृद्धि देखी गई, जिससे चंद देशों को ही फायदा हुआ और उन पार-राष्ट्रीय कम्पनियों को जो उसे परिष्कृत करती हैं।

विश्व व्यापार प्रणाली में मौजूद इस तरह की असमानताओं को देखते हुए, यह बात काफी स्पष्ट है कि जो इस पर धौंस जमाते हैं और जिनके पास बाहुबल है, वे दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। डब्ल्यूटीओ में चीन के प्रवेश से उत्पीड़ित देशों की स्थिति में कोई बदलाव आने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि वहां के नए पूंजीवादी शासक उत्पीड़ित देशों के अधिकारों के लिए बोलने की अपेक्षा भूतों के साथ मिलकर खाने को ही ज्यादा उत्सुक हैं। डब्ल्यूटीओ में रहकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, सिवाए ज्यादा गुलामी और साम्राज्यवादियों के प्रति ज्यादा जीहुजूरियापन के। भारत जैसे देशों को न सिर्फ उससे बाहर आना चाहिए और उसकी शर्तों का पालन करने से इनकार करना चाहिए, बल्कि उन साम्राज्यवादियों के साथ किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को रद्द करना चाहिए जो देश की सम्पत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को लुटाते हैं।

आयातों/निर्यातों पर ज्यादा निर्भरता से गरीब देशों में विकास की गंगा नहीं बहेगी, खास कर मंदी को दौर में तो कतई नहीं। जैसे-जैसे व्यापार की शर्तें कड़ी की जा रही हैं, रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा है और घरेलू बाजार सिकुड़ता चला जा रहा है, वैसे-वैसे देश कहीं ज्यादा व्यापाक विनाश की ओर खिसकता जा रहा है। आत्म-निर्भरता, घरेलू बाजार का विस्तार और देश की प्रभुसत्ता के दृढ़तापूर्वक बचाव के जरिए ही भारत गरीबी से बाहर आ सकेगा और विकास की प्रक्रिया को गति दी जा सकेगी। यह तभी हासिल किया जा सकता है जब पिछड़े अर्ध-सामंती कृषि संबंधों को बदलकर विशाल पृष्ठ प्रदेश का औद्योगीकरण करके, साम्राज्यवादी लूट-खसोट को बंद किया जाएगा और जन-समुदायों की क्रय शक्ति बढ़ा दी जाएगी। ❑

लुटेरी सरकार के झूठे सुधारों का प्रतिरोध करो !

जनता की राजसत्ता कायम करने के लिए संघर्ष करो !!

प्यारे लोगों एवं लोकतंत्र के प्रेमियों !

आज दण्डकारण्य की जनता पीपुल्सवार पार्टी के नेतृत्व में हथियारबंद होकर आधार इलाके के लक्ष्य से संघर्ष कर रही है। लुटेरे वर्गों की हिफाजत करने वाले पुलिस बलों द्वारा चलाए जा रहे पाशविक दमन अभियानों का वीरतापूर्वक मुकाबला कर रही है। जनता, पार्टी, जन छापामार सेना और जन मिलिशिया दुश्मन के दमनचक्र का मुकाबला करते हुए शानदार कुरबानियां देकर संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं।

संघर्षरत जनता को गुमराह करने के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की लुटेरे वर्गों की सरकारें केन्द्र सरकार की अगुवाई में कई साजिशें कर रही हैं। 'गाजर और डंडे' की नीति पर चलते हुए कई नाटक खेल रही हैं ताकि जनता को अपनी मुट्ठी में रखा जा सके। जहां एक ओर वे जनता के खिलाफ पाशविक पुलिस, विशेष पुलिस व कमांडो बलों का प्रयोग कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर जनता के पिछड़ेपन का फायदा उठाकर सुधारों की ढोंगबाजी कर रही हैं। दमन और सुधार – इन्हें बारी-बारी से लागू करते हुए सुधार का दौर खत्म होने के बाद दोगुना दमन लाद रही हैं। इस दमन से जनता में पनपने वाली विरोधिता को निष्क्रिय बनाने के लिए अपने समूचे शोषक महकमे को उतारकर कुछ जगहों पर सुधार के कार्यक्रम चला रही हैं। इसके लिए सरकारें बुर्जुआ पार्टियों के नेताओं, सरकारी अधिकारियों तथा मीडिया का व्यापक इस्तेमाल कर रही हैं।

केन्द्र-राज्य सरकारों ने इन सुधारों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का जनता का धन आवंटित किया। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी सरकार ने कांकेर, बस्तर और दन्तेवाड़ा जिलों, जहां आन्दोलन जारी है, के लिए करोड़ों के विशेष पैकेज घोषित किए। इनमें माड़, बीजापुर और कोंटा जैसे दूर-दराज के इलाकों के लिए विशेषकर रूप से ज्यादा धन आवंटित किया गया।

सरकार जमीन, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा जैसी जनता की मूलभूत समस्याओं के प्रति पूरी तरह लापरवाही बरत रही है। जनता को लुभाने के लिए दिखावे के सुधारों पर करोड़ों रूपए बरबाद कर रही है। सरकार ने इसके लिए राजीव गांधी आवास योजना, जलग्रहण योजना, वृद्धों को पेंशन, बेरोजगार योजना, महिला-बाल विकास योजना, काम के बदले अनाज आदि अनेक योजनाएं घोषित कीं। (ध्यान रहें कि इसके पहले देश भर में एफसीआइ के गोदामों में सड़ रहे अनाजों को लेकर देश भर में भारी हल्ला मचा था कि एक ओर देश के कई हिस्सों में जनता भुखमरी का शिकार है, तो दूसरी तरफ सरकार जानबूझकर अनाज को सड़ा रही है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने उन सड़े-गले अनाजों को यहां के लोगों को 'काम के बदले अनाज' की योजना के तहत देने का फैसला किया है।) इन योजनाओं के नाम पर बारिश से टूट जाने वाले घरों का निर्माण, या तो सिंचाई के लिए फिर या पेयजल के लिए अनुपयुक्त तालाबों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, विकलांगों की सहायता, मवेशी और मुरगे बांटना, सुअर पालन आदि कार्यक्रम जारी हैं। इसके अलावा, केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार सौर ऊर्जा की बत्तियां लगाने के कार्यक्रम भी जारी हैं। पीने के पानी की किल्लत से दो-चार जनता को सोलार लाइटों की रोशनी देना एक भद्दा मजाक है। सुधारों की योजनाओं के पीछे सरकार की यही मंशा है कि जनता को संघर्ष के रास्ते से अलग कर दिया जाए।

कलेक्टर और तहसीलदार जन समस्याओं के निराकरण के नाम से कई किस्म के शिविर लगा रहे हैं ताकि सरकार की झूठी सुधार-योजनाओं का प्रचार किया जा सके। अपने प्रचार के ठाट-बाट से जनता को दिग्भ्रमित करने वाले ऐसे दर्जनों शिविर अब तक लगाए जा चुके हैं।

सुधारों की यह ढोंगबाजी भी व्यापक भ्रष्टाचार के चपेट में है। इसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेता से लेकर कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ जैसे सरकारी अधिकारी, सचिव और सरपंच तक लाखों रूपए का जनता का धन हड़प कर मालामाल हो रहे हैं। बाद में वे दूर के इलाकों में अपना स्थानान्तरण करवा रहे हैं ताकि जनता के क्रोध से बच सकें। इस तरह देखा जाए, तो सच यह है कि सरकार के सुधारों से जनता को नहीं, बल्कि भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को ही फायदा हो रहा है।

लेकिन आदिवासियों के विकास का ढिंढोरा पीटते हुए चलाए जा रहे सुधारों से कितने गांव में विकास की गंगा बहाई गई? कितने आदिवासी परिवारों को फायदा हुआ? उनकी जिन्दगी में कौन सी बुनियादी तब्दीली आई है? इनसे जल-जमीन, पढ़ाई-दवाई जैसी आदिवासियों की मुख्य समस्याओं का किस हद तक समाधान हुआ है? इन सवालों का जवाब जनता के जीवन पर करीब से नजर डालने से ही मिलेगा। तभी हम सरकारी सुधारों के ढोंग को तथा उनकी असलियत को समझ सकेंगे। तभी हम इन सुधारों को लाने के पीछे सरकार की बुरी मंशा को भी समझ सकेंगे।

वास्तव में आज भी ऐसे सैकड़ों गांव मौजूद हैं जो आधुनिक विज्ञान से बेखबर और बेहद पिछड़े हैं। सरकार के इन आधे-अधूरे सुधारों से प्रति सौ परिवारों में से इक्के-दुक्के परिवारों को ही फायदा हो रहा है। ये परिवार भी उन लोगों के है जिनकी आर्थिक स्थिति बाकी लोगों के मुकाबले में थोड़ी-बहुत बेहतर है। ये लोग ही सुधारों से फायदा उठाकर गांवों में जन विरोधी के तौर पर उभर रहे हैं। ये लोग जनता पर जुल्म-अत्याचार कर रहे हैं। इन सुधारों

गांवों में लुटेरों और मुखियाओं के खेमों के बीच लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। आर्थिक तौर पर मजबूत हुए इन वर्गों के हित जनता का दमन करने में सरकार के हितों से मेल खाते हैं। वे सरकार की विकास योजनाओं का फायदा उठाकर, गरीब जनता पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। वे सरकार के पिछलग्गुओं के तौर पर तथा राजनीतिक पार्टियों के दलालों के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरह, सरकार इन सुधारों के जरिए लुटेरों के एक तबके को अपनी मुट्ठी में रखकर जनता को भ्रमित कर रही है और जनता का दमन कर रही है।

जनता को इन सुधारों की दलदल में फंसाकर, बुर्जुवाई पार्टियों के नेताओं, सरकारी अधिकारियों और सरकारी दफ्तरों के के चक्कर लगे रहने पर मजबूर करना; जनता में हर काम के लिए सरकार का मुंह देखने की पराधीनता की भावना पैदा करना; संघर्षरत जनता की नजरें अपनी मूलभूत समस्याओं से हटाना – ये सरकार की मुख्य जरूरतें हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा कर्मी और अन्य निचले स्तर के कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हड़तालें, रास्ता रोको, बंद, आदि का आयोजन कर रहे हैं। 7-8 महीनों से उन्हें वेतन नहीं है। इन पर कोई ध्यान न देने वाली सरकार झूठे सुधारों पर सैकड़ों करोड़ रुपए बहा रही है – जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है। जनता में भ्रष्ट आचरण और अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने की आदत के बीज बोए जा रहे हैं। जनता की आर्थिक व सामाजिक जरूरतों और क्षेत्र के वस्तुगत हालात से कोई मेल न खाने वाले अंधे सुधारों की बाढ़ सी बहाई जा रही है।

दरअसल, जनता के हितों के लिए और जनता के सही विकास के लिए खुद सरकार ही बहुत बड़ी बाधा है। सरकार को शोषक वर्गों का विकास चाहिए, न कि जनता का। पर वह इस बात को छुपाना चाहती है। जब जनता लड़ रही हो और उनकी लड़ाई शोषक वर्गों के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गई हो तब केन्द्र-राज्य सरकारें कई साजिशों से सामने आती हैं। क्रान्तिकारी संघर्षों को कुचलने में अमेरिकी साम्राज्यवादियों की जानी-पहचानी 'एलआइसी' (कम तीव्रता वाला संघर्ष) योजना को ही यहां लागू करते हुए भारत के शासक वर्गों ने सुधारों की बाढ़ बहा देने का फैसला किया।

सरकारी सुधारों की असलियत यह है। लेकिन सरकारें इस पर परदा डालते हुए बड़े पैमाने पर झूठा प्रचार कर रही हैं कि वह यह सब जनता के हित में कर रही है।

इसलिए लोगों ! लोकतंत्र के प्रेमियों ! छात्रों-बुद्धिजीवियों-मजदूरों-किसानों-कर्मचारियों !

आज सरकार वास्तव में जनता के विकास के इरादे से सुधार नहीं कर रही है। जनता के विकास पर उसे रत्ती भर ध्यान भी है। अगर वह आदिवासियों के विकास पर वाकई गंभीर है तो क्यों वह राज्य के अन्य इलाकों में सुधारों को लागू नहीं कर रही है? आन्दोलन वाले इलाकों में ही क्यों? तथाकथित आजादी के बाद के इन 55 वर्षों में अब तक इनके विकास की कोशिश क्यों नहीं की? अभी अचानक क्यों? इसलिए आप इन सुधारों को सही तरीके से समझ लें। ये महज प्रचार के और आंसू पोंछने के सुधार हैं। इनसे धोखा न खाएं और सरकार की साजिशों को समझ लें। उसके झूठे दावों से बहकावे में न आएं।

जनता का सही विकास कभी भी संघर्ष के जरिए ही संभव है। उत्पादन के साधनों और उन पर स्वामित्व में बदलाव के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। जनता की राजसत्ता कायम करके ही जनता की जमीन, रोटी, मुक्ति जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तभी 'जमीन जोतने वाले की' के आधार पर कृषि क्रांति को सफल बनाया जाएगा। तभी सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता को उपलब्ध होंगी। जागरूक जनता अपने सामूहिक श्रम और साहकारिता से जबर्दस्त विकास हासिल कर सकेगी। यह बात इतिहास में कई बार साबित कर दी जा चुकी है। लुटेरी सरकारों के सुधारों के हथकंडे कई बार मात खा चुके हैं। जनता का विकास खुद जनता के ही हाथों में है। सरकार के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने की जरूरत जनता को कतई नहीं है। जनता का धन हड़पने वालों को लात मारकर उगलवाना चाहिए। जनता का धन पर जनता को ही अधिकार होना चाहिए।

इस राजनीतिक चेतना के साथ जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए जारी दण्डकारण्य आन्दोलन आधार इलाके के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है। जन छापामार सेना (पीजीए) को मजबूत किया जा रहा है। दुश्मन के पाशविक दमनचक्र का मुकाबला किया जा रहा है। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का कार्यभार दण्डकारण्य की जनता पर है। इस जन आन्दोलन को कुचलने के इरादे से दुश्मन द्वारा बड़े पैमाने पर पेश किए जा रहे सुधारों की ढोंगबादी का प्रतिरोध करें – पलटकर जवाब दें। सरकारी सजिशों को मात दें।

- **सरकारी सुधार जन आन्दोलन के दमन का हिस्सा ही हैं !**
- **सरकार के ढोंगी सुधारों का जन-प्रतिरोध से जवाब दें !**
- **जनता की राजसत्ता के अंगों को बढ़ा लें !**
- **जनता का असली विकास हासिल करें !**

25 फरवरी 2002

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ,

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

हिन्दू फासीवाद को दफना दो!

गुजरात में जारी मुसलमानों के कत्लेआमों का विरोध करो!!

गुजरात आग की लपटों में जल रहा है। आए दिन असंख्यक मुस्लिम जनता हिन्दू धार्मिक उन्मादियों की विद्वेषाग्नि में झुलसाई जा रही है। संघ परिवार के गुण्डे मुसलमानों को जिन्दा जलाकर मानवजाति को शर्मसार कर रहे हैं। कई महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। लाखों मुसलमान बेघरबार होकर जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। देश के विभाजन के बाद अभूतपूर्व स्तर पर हो रहा नरसंहार है यह। पिछले 52 दिनों से जारी इस सरकार-प्रायोजित नरसंहार में अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 2,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश के शासक, विशेषकर प्रधानमंत्री वाजपेयी इस विद्वेषाग्नि में लगातार घी डाल रहे हैं। ऊपर से "पहले आग किसने लगाई?" कहकर वह जहां एक ओर जनता को यह यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा है कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदारी उसकी नहीं है, वहीं दूसरी ओर इस हिंसा को परोक्ष रूप से जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बकौल उसके आग उसने नहीं लगाई।

मुसलमानों की अधजली लाशें : मानवता पर कलंक

इसलिए, अब जरूरत इस बात की है कि इस नरमेध के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जाए। क्या गोधरा में सबरमति एक्सप्रेस गाड़ी को जलाने के परिणामस्वरूप ही यह 'दंगे' भड़के, जैसा कि वाजपेयी समेत कई अन्य संघ परिवार के नेता बतला रहे हैं? क्या वाकई यह दो समुदायों के बीच हो रहे दंगे हैं? या खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हंतक हमले हैं? इन विषयों की भी चर्चा करने की जरूरत है।

गोधरा काण्ड

27 फरवरी को गुजरात के गोधरा में सबरमति एक्सप्रेस गाड़ी के दो डिब्बों को कुछ लोगों ने जला दिया। इस घटना में 58 कारसेवक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। मारे गए लोगों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ही ज्यादा थी। अधिकतर निर्दोष लोगों की जान लेने वाली इस घटना का खण्डन करना चाहिए, चाहे किसी ने भी इसे अंजाम दिया हो। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) आदि हिन्दुत्ववादी संगठनों ने खुलेआम ही यह आह्वान किया कि चूंकि इस घटना को मुसलमानों ने अंजाम दिया है, इसलिए मुसलमानों का खात्मा करके बदला लिया जाए। बिना किसी जांच-पड़ताल के ही तथा जिन हालात में यह घटना हुई उन पर ध्यान दिए बिना ही एकतरफा ढंग से मीडिया ने यह प्रचार शुरू किया कि मुस्लिम उग्रवादियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया। जिस धरती पर अहिंसावादी गांधी, जिसने एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरी गाल दिखाने की सिखलाई दी थी, का जन्म हुआ था, उसी धरती गुजरात के अहमदाबाद समेत अनेक शहरों में ज्यों ही गोधरा काण्ड की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, मुसलमानों के खिलाफ व्यापक स्तर पर हमले शुरू कर दिए गए।

दरअसल प्रचार की इस आंधी में उस घटनाक्रम पर जानबूझकर ही परदा डाल दिया गया, जो 27 फरवरी को सबरमति एक्सप्रेस के डिब्बों को जलाने की घटना से पहले से घटता रहा था। वास्तव में 27 फरवरी से कई दिन पहले से ही विहिप ने 15 मार्च को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के इरादे से बड़े पैमाने पर अपने कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया था। इससे देश भर में मुसलमान जनता में काफी असंतोष और तनाव पैदा हुए। इसने उनके जेहन में 6 दिसम्बर 1992 की यादें ताजा कर दीं। आम मुसलमानों ने खुद को बेहद असुरक्षित महसूस करना शुरू किया। देश के विभिन्न इलाकों से, खास तौर पर गुजरात और राजस्थान से आयोध्या जा रहे विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में मुसलमानों को काफी अपमानित किया। रेलगाड़ियों में और रेल्वे स्टेशनों में मुसलमानों और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं पर इनकी ज्यादतियों की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। सहज ही इस तरह के हालात से किसी भी किस्म की घटनाएं घटने की संभावना पैदा होती है। गोधरा की घटना को इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। शुरू में मीडिया ने भी यह खबर दी थी कि जब गोधरा में सबरमति एक्सप्रेस रुकी थी, तब खाने की चीजें बेचने वाले एक मुस्लिम व्यापारी के साथ कारसेवकों का झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप ही इस तरह की दुर्घटना घटी। उसके बाद आश्चर्यजनक ढंग से इस घटना को सुनियोजित हमला की संज्ञा दी गई और सचाइयों को इतना तोड़ा-मरोड़ा गया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के दावे भी किए जाने लगे। लेकिन कुछ अखबारों और तथ्यान्वेषण कमेटियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि गोधरा काण्ड मुसलमानों द्वारा किए गए स्वतःस्फूर्त प्रतिरोध का नतीजा था, सुनियोजित नहीं था। चाहे यह घटना सुनियोजित ढंग से घटाई गई हो, या अचानक घटी हो, इसे मुसलमानों द्वारा अंजाम दिए जाने की बात में सचाई हो या न हो, इस घटना की जिम्मेदारी तो मुसलमानों की नहीं है। संघ परिवार के कार्यकर्ताओं

द्वारा मुसलमानों पर द्वारा किए जा रहे अनगिनत अत्याचारों और अपमानों तथा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर उसके द्वारा किए जा रहे फासीवादी कुकर्मों का नतीजा थी गोधरा में घटी दुर्घटना।

दिल दहला देने वाले मुस्लिम विरोधी कत्लेआम

आमतौर पर साम्प्रदायिक दंगों का अर्थ यह होता है कि दो सम्प्रदायों से जुड़े लोग एक-दूसरे पर हमले करके मारा-मारी करते हैं या संपत्तियों को ध्वस्त करते हैं। लेकिन गोधरा काण्ड के बाद गुजरात में जो हो रहा है, वह साम्प्रदायिक दंगे कतई नहीं है। यह सरकार की सीधी मदद से मुसलमानों का सफाया करने के इरादे से सुनियोजित ढंग से हो रहा नरसंहार है। केन्द्र में और राज्य में भी सत्तारूढ़ भाजपा के सहयोग व समर्थन से विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 27 फरवरी से ही सड़कों पर उत्पात मचाते हुए अंधाधुंध हिंसा शुरू कर दी। इन्हें न सिर्फ मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का वरद हस्त प्राप्त था, बल्कि कुछ मंत्रियों और विधायकों ने स्वयं ही इन उन्मादियों के झुण्डों का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया। विहिप के हिन्दू धार्मिक कट्टरतावादी गुण्डों ने मुस्लिम बस्तियों पर हमला बोलकर जो भी दिखा, उसका सफाया कर दिया। घरों, वाहनों और दुकानों में आग लगाई। अहमदाबाद के अलावा विभिन्न शहरों में कई मस्जिदों को तबाह करके उनके स्थान पर हिन्दू मंदिर बनाए। उन्होंने डर से एक जगह इकट्ठे हो जान बचाने की कोशिश करने वाले मुसलमानों के आवासों को घेरकर आग लगा दी। गैस सिलिन्डरों और पेट्रोल बमों का प्रयोग कर उन्होंने घरों और दुकानों को उड़ा दिया। यह नरसंहार अहमदाबाद से वडोदरा, सूरत, मेहसाना, राजकोट, आदि शहरों तक जंगल की आग की तरह फैल गया। संघ परिवार के गुण्डों ने मुसलमानों की बस्तियों पर हमला करके कई गर्भवती माताओं का पेट तलवारों से चीर डाला। "कहो, जय श्रीराम" कहकर उन पर जोर डालते हुए नन्हे बच्चों को भी तलवारों से काट डाला। महिलाओं के साथ समूहिक बलात्कार की अनगिनत घटनाएं हुईं। इकबाल एहसान जाफ़री नामक भूतपूर्व कांग्रेसी सांसद को ही जिन्दा जलाया गया है, तो यह कल्पना की जा सकती है कि यह नरसंहार किस स्तर पर किया गया होगा। अपनी मोबाइल फोन पर बचाव के लिए पुलिस से लगाई गई जाफ़री की गुहारें सभी बेकार गईं। एम.हेच. क़दरी नामक गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही जान बचाने के लिए अपने एक दोस्त के घर में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि सुरक्षा के लिए की गई उनकी अपील को पुलिस ने ठुकरा दिया। एन.एन. दिवेचा नामक भूतपूर्व उच्च न्यायलय के न्यायाधीश डर से घर छोड़कर भाग गए, उनका घर संघ परिवार के गुण्डों ने लूट लिया। इस तरह के जानेमाने शख्सों को ही सुरक्षा नहीं है, तो इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि आम मुसलमानों का क्या हाल रहा होगा। नरोडा पटिया में घटित अत्यंत बर्बरतापूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना में 99 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास तो नहीं किया, उल्टे हिंसक भींड़ को मुसलमानों के घर दिखा दिए। उसने अपने वाहनों में पेट्रोल के कैन लाकर गुण्डों को दिए। मुसलमानों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को गुण्डों ने जला दिया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचियों की मदद से यह पता लगाकर कि कौन सी दुकान मुसलमानों की है, उन्हें जला डाला।

इस जघन्य नरसंहार में पुलिस और मंत्रियों की भूमिका का विशेष रूप से जिक्र करना चाहिए। पुलिस वाले कई स्थानों पर नरसंहार को देखते हुए मूक दर्शक बने रहे। कुछेक स्थानों पर उन्होंने मुस्लिम बस्तियों पर गोलियां चलाईं। 'खोजबीन अभियान' बहाने मुसलमानों के घरों में घुसकर उन्होंने महिलाओं की इज्जत लूट ली। भीड़ को तितर-बितर करने के बहाने उन्होंने उन्हीं मुसलमानों पर गोलियां चलाईं जो जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। त्रिशूलों, तलवारों और पेट्रोल बमों से लैस विहिप और बजरंग दल के गुण्डों पर उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, बल्कि उन्हें हर प्रकार का सहयोग दिया। मंत्रियों और अन्य नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को हर प्रकार से नियंत्रित किया। अशोक भट्ट और आइ.के. जडेजा नामक दो मंत्रियों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में पड़ाव डालकर पुलिस की सारी कार्रवाइयों को अपने लिए अनूकूल प्रभावित किया। प्रवीण तोगडिया जैसे विहिप नेताओं और कुछ स्थानीय नेताओं ने इन कातिलाना हमलों का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया।

ग्रामीण अंचलों में, खासकर आदिवासी इलाकों में भी इस मुस्लिम विरोधी नरसंहार का फैल जाना एक भयावह परिणाम है जो इस बार दिखाई दिया। इससे यह साफ हो जाता है कि सरकार की मदद से विहिप जैसे धर्मोन्मादी संगठनों की घुसपैठ किस हद तक हो चुकी है। उन्होंने उन गांवों को चूड़ियां भेजकर लोगों को उकसाने की कोशिश की जो इस हत्याकाण्ड में शामिल नहीं हुए थे। यहां पर जनवादी आन्दोलनों के अभाव और क्रान्तिकारी संगठनों के अभाव के कारण संघ परिवार आदिवासियों और दलितों जैसे बेहद उत्पीड़ित वर्गों को मुस्लिम विरोधी हमलों में गोलबंद कर सका। उनके पिछड़ेपन का फायदा उठाकर वे आसानी से उन्हें गुमराह कर सके।

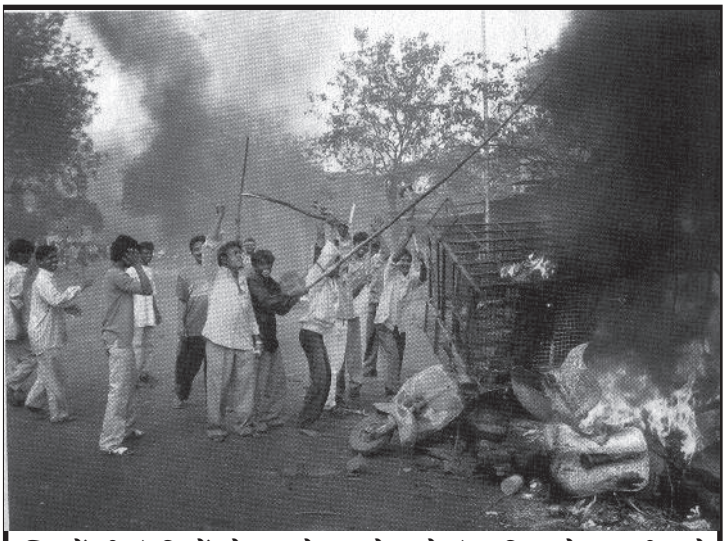

मुस्लिमों की संपत्तियों को आग के हवाले करते संघ परिवार के उम्मादी गुण्डे

27 फरवरी को शुरू हुआ यह हत्याकाण्ड बीच में कुछ नियंत्रण में आता नजर आया था। पर 15 मार्च को विहिप द्वारा आयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आन्दोलन को तेज किए जाने, और बाद में अदालत की अन्तरिम सुनवाई के चलते अनिवार्य रूप से पीछे हटने आदि घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह नरसंहार फिर से तेज हो गया। जब ये पंक्तियां लिखी जा रही थीं तब भी

गुजरात में मुसलमानों पर हमले नहीं रुके।

इस हत्याकाण्ड के प्रति विभिन्न पार्टियों के रुख

गोधरा काण्ड के बाद भड़क उठे हिंसाकाण्ड को भाजपा ने 'जन प्रतिरोध' की संज्ञा देकर उसके अनुरूप ही बरताव किया। कट्टर धर्मोन्मादी नरेन्द्र मोदी ने जहां एक ओर 72 घण्टों में ही हिंसा पर काबू पाने का दावा करके देशवासियों को धोखे में रखा, वहीं दूसरी ओर उसने मुसलमानों पर सुनियोजित ढंग से हमले करवाए। आश्चर्य की बात है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गुजरात के मुसलमानों के कत्लेआम पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सर्वदलीय टीम के दौरे के अंतर्गत हालांकि सोनिया गांधी ने भी अहमदाबाद का दौरा किया, लेकिन वह इस कत्लेआम के खिलाफ खास कुछ नहीं बोली। एक साल के अंदर गुजरात में होने वाले चुनावों को मद्देनजर रखकर, वह ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसके हिन्दू वोट बैंक में सेंध लग जाए। इस तरह कांग्रेस ने अपने चेहरे पर लगे धर्मनिरपेक्षता के नकाब को खुद ही हटा लिया। वहीं समता पार्टी नेता जया जैटली ने इस हत्याकाण्ड को "गोधरा के नरसंहार के प्रति धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों द्वारा अपनाए गए भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ भड़क उठा जनाक्रोश" कहकर मुसलमान विरोधी हत्याकाण्ड का पूरा समर्थन किया। तथाकथित वामपंथी पार्टियों ने गोधरा काण्ड को और उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ भड़की सुनियोजित हिंसा को समान नजरिए से देखते हुए दोनों का खण्डन किया। लेकिन उन्होंने गोधरा काण्ड की पृष्ठभूमि पर जानबूझकर चुप्पी साध ली। हाल ही में हुए चुनावों में बुरी तरह हार चुकी राजग की भागीदार पार्टियों ने शुरू में तो ऐसा कोई बयान नहीं किया जिससे भाजपा को कोई परेशानी पेश आए। भाजपा द्वारा राजग के साझा एजेंडे से हटकर आयोध्या विवाद को सामने लाने में उन्होंने कोई खास आपत्ति नहीं भी उठाई।

नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट देने वाले प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने गुजरात दौरे में स्वर बदल दिया। गुजरात में जारी हिंसाकाण्ड को उसने "समूचे राष्ट्र को शर्मसार कर देने वाली घटना" कहा। उसने यह कहकर मुसलमानों के सामने घड़ियाली आंसू बहाए कि "मैं किस मुंह से विदेश जा सकूंगा।" लेकिन शिविरों में रहकर जान बचाने की कोशिश कर रहे मुसलमानों ने उसका यह कहकर मुंहतोड़ जवाब दिया कि "नरेन्द्र मोदी एक कट्टर हत्यारा है, उसे सिर पर उठाकर तुम किस मुंह से हमारे पास आए हों"?

देश भर में इस हत्याकाण्ड के खिलाफ जनता की बढ़ती नाराजगी को देखकर विपक्षी पार्टियों ने देर से ही सही, नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। राजग का घटक पक्ष तेलुगुदेशम ने अवसरवादिता का नंगा प्रदर्शन करते हुए नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग तो की, लेकिन इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से समर्थन वापस लेने की संभावाना को नकार दिया। स्पष्ट है वह नरेन्द्र मोदी को हटाने की मांग उठाकर खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने की कोशिश में है ताकि राज्य में मुस्लिमों को अपने साथ रखा जा सके। उधर, 12 अप्रैल को गोआ में भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में जाने से पहले वाजपेयी ने फिर एक बार अपना रंग बदला। "गुजरात में जो हो रही है वह गोधरा में हुई क्रिया की प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आग किसने लगाई?" कहकर वाजपेयी ने अपने चेहरे पर से 'उदारवादी' का मुखौटा साफ तौर पर हटा लिया और मुसलमान विरोधी हत्याकाण्ड का खुलकर समर्थन किया। हां, तो किसने लगाई यह आग?

आग हिन्दू धर्मोन्मादियों ने ही लगाई!

पिछले चुनाव के पहले भाजपा ने ऐलान किया था कि वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को नहीं उठाएगी। उसने अदालत के फैसला स्वीकार करने की बात की थी, क्योंकि भाजपा को यह सपना झूठा साबित होता प्रतीत हो रहा था कि वह 'राम लहर' के सहारे सत्ता पर काबिज हो सकेगी। 1999 में वाजपेयी के गद्दी संभालने के बाद से हुए विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा को लगातार पराजय झेलनी पड़ी है। इससे भाजपा के भीतर ये चर्चाएं खुलेआम होने लगीं कि भाजपा को अपने 'हिन्दुत्व एजेंडे' से हट जाने से ही लगातार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। इसलिए, संघ परिवार का एक 'दक्षिणपंथी' तबका इस बात पर जोर दे रहा है कि भाजपा साझा एजेंडे को किनारा करके आक्रामक हिन्दुत्व एजेंडा अपना लें और जरूरी होने पर लोकसभा को भंग करके मध्यावधि चुनावों के लिए तैयार हो जाए। फरवरी में सम्पन्न चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के पहले संघ परिवार ने फिर एक बार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विवाद सामने लाते हुए रथयात्राओं और पदयात्राओं का आयोजन किया। लेकिन इन चारों राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को निराशा ही हाथ लगी। इन चुनावों के पहले पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जैसा माहौल बनाने के बावजूद जनता ने भाजपा को साफ तौर पर नकार दिया।

दरअसल, यह सच नहीं है कि भाजपा ने कभी अपने हिन्दुत्व एजेंडे को दूर रखा हो। फर्क इतना ही है कि वह कभी आक्रामक ढंग से तो कभी नरमी ढंग से उसी एजेंडे को लागू करती आ रही है। एक ओर 'स्वदेशी' राग आलापते हुए ही दूसरी ओर सभी साम्राज्यवाद-अनुकूल आर्थिक नीतियों को लागू करना उसकी धोखेबाजी की एक मिसाल है। लेकिन अब जनता साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के नतीजों को साफ तौर पर देख, प्रतिरोध का रास्ता अपना रही है। विनिवेश, सार्वजनिक कम्पनियों को सस्ते में बेचने, मजदूरों की छंटनी को इजाजत देते हुए श्रम कानूनों में संशोधन, आदि कदमों से असंतुष्ट मजदूर और कर्मचारी बड़े पैमाने पर प्रतिरोध की राह अपना रहे हैं। बीमा, बैंकिग, खदान, बंदरगाह, आदि क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर आन्दोलन का रास्ता अपना रहे हैं। सब्सिडियों को घटाना या समाप्त करना, पेट्रोलियम उत्पादनों की कीमतों में वृद्धि आदि कदमों से जनता में बेहद असंतोष बढ़ रहा है। किसानों को अपने फसलों के वाजिब दाम न मिलने तथा कर्ज का बोझ बढ़ जाने से आत्महत्या करनी पड़ रही है, जो कि आम बात बन गई है। दूसरी ओर खुद को 'अनुशासनबद्ध' पार्टी कहने वाली भाजपा के शासन में ही भ्रष्टाचार फलने-फूलने से जनता में उसका पर्दाफाश हो गया। खास तौर पर रक्षा विभाग में तहलका काण्ड, ताबूत घोटाला और अन्य खरीदियों में हुई धांधिलियों ने भाजपा को जनता की नजरों में नंगा कर दिया। इतिहास को तोड़-मरोड़ कर उसमें हिन्दू धार्मिक अंध-राष्ट्रवादी विचाराधारा भर देना, पाठ्यांशों में हिन्दुत्वावादी धारणाओं को शामिल कर शिक्षा का भगवाकरण करना आदि कदमों से वह हिन्दू धार्मिक अंध-राष्ट्रवाद को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थीकृत कर रही है, जिससे धर्मनिरपेक्ष एवं जनवादी बुद्धिजीवियों,

इतिहासकारों और शिक्षाविदों में नाराजगी पनप रही है।

जनता को यह बात समझ में आई है कि राजग के पिछले ढाई साल के शासन में उसकी एक भी मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हुआ। जनता को यह भी स्पष्ट हो चुका है कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा भी कांग्रेस से कम नहीं है। वह जिन साम्राज्यवाद-अनुकूल नीतियों पर चल रही है, उनसे जनता के हितों को कितना नुकसान हो रहा है, यह बात भी साफ हो गई। इसीलिए, जनता में बढ़ रहे असंतोष को गुमराह करने के लिए तथा जनता में बढ़ रहे संघर्ष के संकल्प को कुंद करने के लिए भाजपा को अपने 'छुपाए रखे' एजेंडे को सामने लाना अनिवार्य हो गया। एक ओर वह पाकिस्तान विरोधी उन्माद भड़का कर कश्मीरी जनता के जायज संघर्ष का गलत चित्रण करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर वह जिन दमनकारी नीतियों को लागू कर रही है, उन्हें 'वैधता' हासिल करने की कोशिश भी कर रही है। संघ के निर्देश पर विहिप ने राम मंदिर के निर्माण के लिए आन्दोलन शुरू किया। लेकिन फरवरी में हुए चुनावों में यह सारी तिकाड़मबाजी टांय-टांय फिस हो गई। जनता ने साफ तौर पर भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट दिया – उसकी युद्धोन्मादी कार्रवाइयों के खिलाफ वोट दिया।

इन चुनावों के बाद भाजपा शासित राज्यों की संख्या 4 तक घट गई। इन 4 राज्यों में भी गुजरात ही ऐसा इकलौता राज्य है जहां वह किसी के साथ गठजोड़ के बिना ही सरकार चला रही है। दूसरी ओर कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या एक दर्जन से भी बढ़ गई। इससे भाजपा में घबराहट शुरू हो गई। उसके भीतर आक्रामक एजेंडे के लिए दबाव बढ़ गया। इसी का हिस्सा था 15 मार्च को राम मंदिर के निर्माण के लिए कोशिशें तेज करना। जहां एक ओर वाजपेयी 'उदारवादी' होने का ढोंग करते हुए अदालत का फैसला स्वीकारने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर वह यह कहकर कि "राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसकी दुर्भाग्य से परिपूर्ति न हो पाई है," अपने इरादों को स्पष्ट कर देने से खुद को न रोक सका। 15 मार्च को राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलापूजा करने की ठान लेकर विहिप ने देश भर में तनाव का महौल निर्मित किया। लेकिन तब तक अहमदाबाद में हो रहे मुस्लिम विरोधी दंगों से भाजपा की हुई बदनामी तथा अदालत का अंतिम फैसला भी संघ परिवार के खिलाफ आने के कारण उसे 15 मार्च को एक कदम पीछे हटना पड़ा। सर्वोच्च अदालत में सरकार द्वारा सोली सोराब्जी के माध्यम से सांकेतिक शिलापूजा के लिए की गई गुजारिश भी ठुकरा दी गई। इस शर्मनाक स्थिति के बावजूद केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि ने अयोध्या जाकर शिलादान की रस्म पूरी करवाई। इसलिए, यह सारा प्रचार जनता को धोखा देने के लिए ही किया जाता रहा कि विहिप ही राम मंदिर के निर्माण के लिए जिद कर रहा है तथा वाजपेयी से आरएसएस नाराज है क्योंकि उसने मंदिर के निर्माण के लिए पहलकदमी नहीं की। यह सारी तिकड़मबाजी सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि वे जनता की मूड को देखकर जरूरी होने पर कोई भी रुख अपनाने की संभावनाओं को जिंदा रखा जा सके।

गुजरात में आज जो हो रहा है उसे गोधरा में रेलगाड़ी जलाने की घटना के खिलाफ भड़की प्रतिरोध की आग कहकर चाहे कोई भी कितना भी प्रचार करें, लेकिन वह सच नहीं है। सचाई यही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित ढंग से किए जा रहे कत्लेआम हैं। यदि गोधरा काण्ड न भी घटता तो ये कत्लेआम जरूर होते। मुसलमानों के घरों और दुकानों को ढूढ़-ढूढ़कर जला डालना, बगल में ही स्थित हिन्दुओं की दुकानों को कुछ न करना, यहां तक कि हिन्दू नाम रखे मुसलमानों की दुकानों के बारे में भी अधिकारियों की दी हुई सूचियों की मदद से जानकारी लेकर जलाना – ऐसी घटनाओं पर गौर करने से भी मालूम हो जाता है कि ये अचानक 27 फरवरी की घटना के प्रतिरोध में किए गए हमले न थे। इसलिए, यह बात साफ है कि संघ परिवार ने एक ओर राम मंदिर के निर्माण का आन्दोलन शुरू करके, दूसरी ओर मुसलमानों के कत्लेआमों की योजनाएं तैयार कीं। गोधरा कांड के कारण उसे अपनी योजना पर 15 मार्च से पहले ही अमल करने पर बाध्य होना पड़ा।

हिन्दू फासीवाद के खिलाफ विशाल मोर्चा बनाओ

जन जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थीकृत रूप धारण कर रहे हिन्दू फासीवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत आज पहले से ज्यादा बढ़ी है। हिन्दू धर्मोन्माद न सिर्फ अल्पसंख्यक धर्मों का दुश्मन है, बल्कि दलितों, पिछड़ी जातियों, महिलाओं और सभी शोषित-उत्पीड़ित लोगों का भी दुश्मन है। वह साम्राज्यवादियों, जमींदारों और दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों द्वारा की जा रही भयंकर लूट-खसोट पर परदा डालता है। जनता की मूलभूत समस्याओं को गौण बनाकर लोगों को अंधा बनाने की कोशिश करता है ताकि वे अपने असली दुश्मन को न देख सकें। आज गुजरात में मुसलमानों का पूरी तरह सफाया करने के इरादे के साथ, सुनियोजित ढंग से किए जा रहे नरसंहारों को रोकने के लिए मुसल्मानों को संगठित होने की जरूरत है। उत्पीड़ित मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक अकेले नहीं हैं। उन्हें आम हिन्दू जन-समुदायों के साथ दृढ़ता से एकजुट होना चाहिए। धार्मिक उन्माद के रास्ते से नहीं, बल्कि वर्ग संघर्ष के जरिए ही सांप्रदायिकतावाद का हमेशा के लिए उन्मूलन किया जा सकता है। इसलिए, उत्पीड़ित जनता को चाहिए कि वे वर्ग संघर्ष की राह पर, विशेष कर आन्ध्र, बिहार, झारखण्ड, दण्डकारण्य, आन्ध्र-उड़ीसा सीमांत क्षेत्र और अन्य इलाकों में जारी क्रान्तिकारी जनयुद्ध की राह पर चलकर सांप्रदायिकतावादियों के खिलाफ तथा जनता के अन्य शोषकों के खिलाफ संघर्ष करें। हिन्दू फासीवाद के खिलाफ सभी सच्चे धर्मनिरपेक्षतावादियों, क्रान्तिकारी ताकतों और जनवाद के प्रेमियों को आगे आकर एक विशाल मोर्चा बनाना चाहिए। ❑

पाठकों से अपील

- ***'प्रभात' के लिए नियमित एवं शीघ्रता से रिपोर्टें लिखकर भेजते रहिए।***
- ***'प्रभात' पर आपकी आलोचनात्मक टिप्पणियां समय-समय पर भेजते रहिए।***
- ***'प्रभात' को भेजी जाने वाली तस्वीरें रंगीन न होकर ब्लैक एंड व्हाइट की हों तो ज्यादा अच्छा होगा।***

- सम्पादकमण्डल

हमारी पार्टी के इतिहास के कुछ अनुभव

– माओ त्सेतुङ

25 सितम्बर 1956

अमेरीकी साम्राज्यवाद आपका दुश्मन है, साथ ही वह हमारा और सारी दुनिया की जनता का दुश्मन भी है। अमेरीकी साम्राज्यवाद के लिए हमारे मामलों में दखल देना आपके मामलों में दखल देने की तुलना में कुछ कठिन है। एक कारण यह है कि अमेरीका हमसे बहुत दूर है लेकिन अमेरीकी साम्राज्यवाद के पंजे बहुत दूर तक पहुंच गए हैं, हमारे थाइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम, फिलिपीन इत्यादि तक पहुंच गए हैं। अमेरीका ने बरतानिया, फ्रांस, इटली, आइसलैंड और पश्चिम जर्मनी में अपनी फौजें तैनात की हुई हैं तथा उत्तरी अफ्रीका और मध्य-पूर्व व निकट-पूर्व में अपने फौजी अड्डे कायम कर लिए हैं। उसने पृथ्वी के कोने-कोने में अपने पंजे फैला दिए हैं। वह एक विश्वव्यापी साम्राज्यवाद है। वह सभी देशों की जनता को नकारात्मक उदाहरण से शिक्षित करने वाला एक शिक्षक है। समूची दुनिया की जनता को चाहिए कि वह एकताबद्ध हो जाए, और अमेरीकी साम्राज्यवाद जहां कहीं भी अपने पंजे फैलाए, उन्हें एक दूसरे की सहायता से तोड़ डाले। जब भी हम उसका एक पंजा तोड़ डालेंगे, हमें पहले से कुछ अधिक इतमीनान महसूस होगा।

अतीत काल में चीन भी एक ऐसा देश था जिसका साम्राज्यवाद और सामंतवाद ने उत्पीड़न किया, इसलिए हमारी स्थितियां आपकी स्थितियों से काफी मिलती-जुलती हैं। देहातों की विशाल आबादी और सामंती शक्तियों का होना किसी भी देश के लिए एक अभिशाप है, लेकिन सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में चलाई जाने वाली क्रांति के लिए वह एक वरदान है, क्योंकि इससे किसानों के रूप में हमें एक व्यापक संश्रयकारी मिल जाता है। रूस में अक्तूबर क्रांति के पहले, सामंतवाद बहुत मजबूत था तथा किसान समुदाय के सहयोग से ही बोलशेविक पार्टी ने क्रांति में विजय प्राप्त की थी। चीन में यह बात और भी सही साबित होती है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हमारे 50 करोड़ से ज्यादा लोग देहातों में रहते हैं। अतीत काल में हम युद्ध में मुख्य रूप से किसानों पर ही निर्भर रहे हैं। अब भी चूंकि किसान संगठित हैं और कृषि का सहकारी रूपान्तर हो चुका है, इसलिए हमारे शहरी पूंजीपति वर्ग ने जल्दी ही समाजवादी रूपान्तर को स्वीकार कर लिया है। अतएव किसानों के बीच पार्टी का काम अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मेरा विचार है कि जिन देशों में सामंतवाद मजबूत है वहां सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक पार्टी को देहातों में जाना चाहिए और किसानों को खोज लेना चाहिए। जब बुद्धिजीवी किसानों को खोजने देहातों में जाते हैं तो वे लोग उनका विश्वास तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे उनके प्रति यथोचित रवैया नहीं अपना लेते। शहरी बुद्धिजीवी देहात के मामलों के बारे में और किसानों के मनोभावों के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, और वे किसानों की समस्याओं को अक्सर उतने ठीक ढंग से हल नहीं कर पाते। हमारा अनुभव है कि केवल लम्बी अवधि के बाद ही तथा किसानों के साथ सचमुच एकरूप होने और उन्हें इस बात का यकीन दिलाने के बाद ही कि हम उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं, हमें विजय प्राप्त हो सकती है। ऐसा हरगिज न सोचें कि किसान हम पर फौरन विश्वास कर लेंगे। उनसे यह उम्मीद न करें कि ज्यों ही हम उनकी कुछ सहायता करेंगे, वे हम पर फौरन विश्वास करने लग जाएंगे।

किसान सर्वहारा वर्ग के मुख्य संश्रयकारी हैं। शुरू में हमारी पार्टी ने भी किसानों के बीच काम करने के महत्व को नहीं समझा था तथा शहरों के काम को पहला स्थान और देहातों के काम को दूसरा स्थान दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और इण्डोनेशिया जैसे कुछ एशियाई देशों की पार्टियों ने देहातों में उतनी अच्छी तरह काम नहीं किया है।

शुरू में, हमारी पार्टी किसानों के बीच काम करने में सफल नहीं रही। बुद्धिजीवियों में एक तरह की बू थी, बुद्धिजीवी होने की बू थी। इसलिए वे देहातों में नहीं जाना चाहते थे और देहातों को हिकारत की नजर से देखते थे। किसान भी बुद्धिजीवियों को देखकर कसमसाहट महसूस करने लगते थे। इसके अतिरिक्त उस समय हमारी पार्टी देहातों को समझने का रास्ता नहीं खोज पाई थी। लेकिन बाद में जब हम फिर एक बार वहां गए, तो हमने रास्ता खोज लिया, देहाती इलाकों के विभिन्न वर्गों का विश्लेषण किया और किसानों की क्रांतिकारी मांगों को समझ लिया।

पहले काल में हमें देहातों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। छन-तू-श्यू की दक्षिणपंथी अवसरवादी कार्यदिशा के अन्तर्गत किसानों का, जो हमारे मुख्य संश्रयकारी हैं, परित्याग कर दिया गया था। हमारे बहुत से कामरेड देहातों को एक घनाकृति समझने के बदले एक समतल आकृति समझते थे, यानि वे यह नहीं जानते थे कि देहातों को वर्ग-दृष्टिकोण से कैसे समझा जाय। जब उन्होंने मार्क्सवाद को आत्मसात कर लिया, केवल तभी उन्होंने देहातों को समझने के लिए वर्ग-दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। देहातों की संरचना समतल नहीं थी, बल्कि वहां धनी लोगों, गरीब लोगों और बहुत गरीब लोगों की श्रेणियां मौजूद थीं, खेतिहर मजदूरों, गरीब किसानों, मध्यम किसानों, धनी किसानों और जमींदारों की श्रेणियां मौजूद थीं। इस काल में मैंने देहातों का

लातिन अमेरिका की कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का एक अंश।

अध्ययन किया और किसान आन्दोलन प्रतिष्ठानों की स्थापना करके उनमें कई शिक्षण-टर्म चलाए। हालांकि मुझे मार्क्सवाद का कुछ न कुछ ज्ञान था, फिर भी देहातों के बारे में मेरी समझदारी बहुत गहरी नहीं थी।

दूसरे काल में हमें अपने अच्छे शिक्षक च्याङ काई-शेक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने हमें देहातों में धकेल दिया। यह एक लम्बा काल था, गृह-युद्ध के दस वर्षों का काल था, जिसके दौरान हम उसके खिलाफ लड़ते रहे, और इस प्रकार हमें देहातों का अध्ययन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। पहले कुछ वर्षों में, देहातों के बारे में हमारी समझदारी उतनी गहरी नहीं थी, लेकिन बाद में वह पहले से बेहतर और पहले से ज्यादा गहरी होती गई। इस काल में तीन "वामपंथी" अवसरवादी कार्य-दिशाओं ने, जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः छवी छ्यू-पाए, ली ली-सान और वाङ मिङ ने किया, हमारी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया, खास तौर पर वाङ मिङ की "वामपंथी" अवसरवादी कार्यदिशा ने हमारी पार्टी के अधिकांश देहाती आधार-क्षेत्रों को तहस-नहस कर डाला।

इसके बाद तीसरा काल यानी जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध का काल आया जब जापानी साम्राज्यवादियों ने चीन पर आक्रमण कर दिया, तो हमने क्वोमिन्ताङ के खिलाफ लड़ना बन्द कर दिया और उसकी जगह जापानी साम्राज्यवादियों से लड़ने लगे। उस समय हमारे साथी क्वोमिन्ताङ क्षेत्रों के शहरों में खुल्लमखुल्ला जा सकते थे। वाङ मिङ ने, जो पहले "वामपंथी" अवसरवादी कार्यदिशा अपनाने की गलती कर चुके थे, अब दक्षिणपंथी नीति अवसरवादी कार्यदिशा अपनाने की गलती की। उन्होंने पहले कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की अति-वामपंथी नीति पर अमल किया था और अब अति-दक्षिणपंथी नीति पर अमल करने लगे। वे भी नकारात्मक उदाहरण से शिक्षित करने वाले एक अच्छे शिक्षक थे और उन्होंने भी हमारी पार्टी को शिक्षित किया। अपने नकारात्मक उदाहरण से हमें शिक्षित करने वाले एक अन्य अच्छे शिक्षक ली ली-सान थे। उस समय उन लोगों की मुख्य गलती थी कठमुल्लावाद पर अमल करना, विदेशी अनुभवों को यांत्रिक ढंग से लागू करना। हमारी पार्टी ने उनकी गलत कार्यदिशाओं को समाप्त कर दिया और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सार्वभौमिक सत्य को चीन की ठोस स्थितियों के साथ मिलाने का रास्ता सचमुच खोज निकाला। फलस्वरूप चौथे काल में जब च्याङ काई-शेक ने हम पर आक्रमण किया, तो हमारे लिए उसका तख्ता पलट देना और चीन लोक गणराज्य की स्थापना करना सम्भव हो सका।

चीन की क्रांति के अनुभव, यानी देहाती आधार-क्षेत्रों का निर्माण करना, देहातों की तरफ से शहरों को घेर लेना और अन्त में शहरों पर कब्जा कर लेना, सम्भवतः आपके बहुत से देशों में पूरी तरह लागू नहीं हो सकेंगे, हालांकि वे संदर्भ-सामग्री के रूप में आपके काम आ सकते हैं। मैं आपको विनम्रतापूर्वक परामर्श देना चाहता हूं कि चीन के अनुभवों को यांत्रिक रूप से लागू न करें। किसी भी अन्य देश के अनुभव केवल संदर्भ-सामग्री के रूप में ही काम आ सकते हैं, उन्हें कठमुल्ला सूत्र नहीं समझना चाहिए। मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सार्वभौमिक सत्य और आपके अपने देश की ठोस स्थितियां – इन दोनों को एक-दूसरे से मिलाना जरूरी है।

अगर आप किसानों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं और उन पर निर्भर रहना चाहते हैं, तो आपको देहाती इलाकों में जांच-पड़ताल करनी चाहिए। इसका तरीका यह है कि एक या एक से ज्यादा गांवों में जाकर जांच-पड़ताल की जाए तथा देहातों की वर्ग-शक्तियों, आर्थिक स्थिति, रहन-सहन की हालत इत्यादि की स्पष्ट जानकारी हासिल करने के लिए कुछ हफ्ते वहां बिताए जाएं। मुख्य नेताओं को, जैसे पार्टी के महासचिव को यह काम स्वयं करना चाहिए और एक या दो गांवों की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए; उन्हें इस काम के लिए समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लाभदायक है। हालांकि बहुत सी गौरैया हैं, लेकिन सबकी चीरफाड़ करना जरूरी नहीं है; केवल एक या दो की चीरफाड़ करना ही काफी होगा। जब पार्टी के महासचिव एक या दो गांवों की जांच-पड़ताल कर लेंगे और यह जान लेंगे कि वहां कैसी हालत है, तो वे गांवों की जानकारी प्राप्त करने तथा वहां की ठोस स्थितियों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने में अपने साथियों की मदद कर सकेंगे। मुझे लगता है कि बहुत से देशों में पार्टियों के महासचिव एक या दो "गौरैया" की चीरफाड़ करने के काम को महत्व नहीं देते; यह सच है कि वे देहातों के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी जानकारी बहुत गहरी नहीं है, और इसलिए उनके द्वारा जारी किए गए निदेश देहातों की स्थिति से ज्यादा मेल नहीं खाते। इसी तरह केन्द्रीय, प्रान्तीय और काउन्टी स्तर पर भी पार्टी के नेतृत्वकारी निकायों के इनचार्ज साथियों को स्वयं एक या दो गांवों की जांच-पड़ताल करनी चाहिए अथवा एक दो "गौरैयों" की चीरफाड़ करनी चाहिए। यह "शल्य-विज्ञान" कहलाता है।

जांच-पड़ताल करने के दो तरीके हैं: एक तरीका है घोड़े पर सवार होकर फूलों को देखना और दूसरा तरीका है घोड़े से उतर कर फूलों को देखना। अगर आप घोड़े पर सवार होकर फूलों को देखेंगे तो आप पर केवल सतही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फूलों की तादाद इतनी ज्यादा है। लातिन अमेरीका से एशिया आकर आप लोगों ने घोड़े पर सवार होकर फूलों को देखा है। आपके अपने देश में भी इतने ज्यादा फूल हैं कि उन्हें केवल एक झलक देखना और फिर आगे बढ़ जाना काफी नहीं है; इसलिए दूसरा तरीका अपनाना जरूरी है, यानी घोड़े से उतर कर फूलों को देखना, उनका निकट से अवलोकन करना और किसी एक "फूल" का विश्लेषण करना, अथवा किसी एक "गौरैया" की चीरफाड़ करना।

साम्राज्यवादी उत्पीड़न के शिकार देशों में पूंजीपति वर्ग दो प्रकार का होता है – राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग और दलाल पूंजीपति वर्ग। क्या आपके देशों में भी पूंजीपति वर्ग दो प्रकार का है? शायद है।

दलाल-पूंजीपति वर्ग हमेशा ही साम्राज्यवाद का पालतू कुत्ता होता है और क्रांति के प्रहार का निशाना होता है। दलाल-पूंजीपति वर्ग के विभिन्न ग्रुपों का ताल्लुक अमरीका, बरतानिया और फ्रांस जैसे विभिन्न साम्राज्यवादी देशों के इजारेदार पूंजीपतियों के ग्रुपों से होता है। विभिन्न दलाल ग्रुपों के खिलाफ संघर्ष करते समय साम्राज्यवादी देशों के बीच के अन्तरविरोधों का फायदा उठाना जरूरी है, पहले उनमें से एक से निपट लिया जाए और केवल तात्कालिक मुख्य दुश्मन पर ही प्रहार किया जाए। उदाहरण

के लिए, अतीत काल में चीन के दलाल-पूंजीपति वर्ग में बरतानिया-परस्त, अमरीका-परस्त और जापान-परस्त ग्रुप शामिल थे। जापानी-आक्रमण-विरोधी युद्ध के दौरान हमने एक पक्ष में बरतानिया व अमरीका तथा दूसरे पक्ष में जापान के बीच के अन्तरविरोधों का फायदा उठाया, तथा पहले जापानी आक्रमणकारियों को और उन पर निर्भर दलाल ग्रुप को धराशायी किया। उसके बाद ही हम अमरीका व बरतानिया की आक्रमणकारी शक्तियों पर प्रहार करने और अमरीका-परस्त व बरतानिया-परस्त दलाल ग्रुपों को धराशायी करने के काम में लग गए। जमींदार वर्ग में भी कई धड़े होते हैं। बेहद प्रतिक्रियावादी जमींदारों की संख्या थोड़ी होती है, और जब हम प्रहार करें तो उन जमींदारों को जो देशभक्त हैं और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के पक्षधर हैं, बेहद प्रतिक्रियावादी जमींदारों के समकक्ष न रखें। यहीं नहीं, बड़े और छोटे जमींदारों के बीच भी अवश्य फर्क करना चाहिए। एक ही समय में बहुत से दुश्मनों पर प्रहार न करें। केवल कुछ ही दुश्मनों पर प्रहार करें, यहां तक कि बड़े जमीदारों में से भी केवल मुट्ठी भर बेहद प्रतिक्रियावादी जमीदारों पर ही प्रहार करें। हर एक पर प्रहार करना देखने में तो बड़ा क्रांतिकारी लगता है, लेकिन वास्तव में इससे भारी नुकसान होता है।

राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग हमारा विरोधी है। चीन में एक लोकप्रिय कहावत है, "प्रतिपक्षियों का सदैव परस्पर मिलन होता है।" चीनी क्रांति का एक अनुभव यह है कि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ निपटते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। वह जहां एक तरफ मजदूर वर्ग का विरोध करता है वहीं दूसरी ओर साम्राज्यवाद का भी विरोध करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा मुख्य कार्य साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करना है तथा जब तक इन दोनों दुश्मनों का तख्ता नहीं पलट दिया जाता है तब तक जनता की मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे जैसे भी हो, हमें राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के पक्ष में कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जमींदार वर्ग के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यही नहीं वह मजदूरों का उत्पीड़न व शोषण भी करता है। इसलिए हमें इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। लेकिन साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में उसे अपने पक्ष में करने के लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि संघर्ष के दौरान कब रुकना उचित है, यानी संघर्ष में न्यायोचित आधार पर, हमारे फायदे के लिए तथा संयम के साथ चलाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमारे संघर्ष का एक न्यायोचित आधार होना चाहिए।, उसमें विजय प्राप्त करने का पक्का विश्वास होना चाहिए, और समुचित मात्रा में विजय प्राप्त हो जाने पर हमें संयम से काम लेना चाहिए। अतएव यह जरूरी है कि दोनों पक्षों की स्थितियों की, मजदूरों और पूंजीपतियों दोनों की स्थितियों की जांच-पड़ताल की जाए। अगर हम केवल मजदूरों के बारे में जानते हैं और पूंजीपतियों के बारे में नहीं जानते, तो हम पूंजीपतियों के साथ वार्ता नहीं कर पाएंगे। इस सिलसिले में यह भी जरूरी है कि विशिष्ट नमूने चुनकर उनकी जांच-पड़ताल की जाए, अथवा एक या दो "गौरियों" की चीरफाड़ की जाए; इसी तरह घोड़े पर सवार होकर फूलों को देखने और घोड़े से उतर कर फूलों को देखने के तरीकों को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के खिलाफ संघर्ष के पूरे ऐतिहासिक काल में, हमें राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को अपने पक्ष में कर लेना चाहिए तथा उसके साथ एकता कायम करनी चाहिए, जिससे वह साम्राज्यवाद का विरोध करने में जनता का साथ दे। साम्राज्यवाद और सामन्तवाद का विरोध करने का काम मुख्य रूप से पूरा हो जाने पर भी, हमें राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ कुछ समय के लिए अपना संश्रय बनाए रखना चाहिए। यह साम्राज्यवादी आक्रमण से निपटने, उत्पादन का विकास करने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने में तथा पूंजीवादी बुद्धिजीवियों को अपने पक्ष में करने और उनका नव रूपान्तर करने में फायदेमन्द साबित होगा।

आप लोग अभी राजसत्ता प्राप्त नहीं कर पाए, बल्कि उसे प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के प्रति "एकता और संघर्ष दोनों पर अमल करने" की नीति अपनाई जानी चाहिए। साम्राज्यवाद-विरोधी मुश्तरका संघर्ष में उसके साथ एकता कायम करें और उसकी तमाम साम्राज्यवाद-विरोधी कथनी व करनी का समर्थन करें, जबकि उसकी प्रतिक्रियावादी, मजदूर वर्ग-विरोधी और कम्युनिस्ट-विरोधी कथनी और करनी के खिलाफ समुचित रूप से संघर्ष चलाएं। एकांगीपन ठीक नहीं होता; एकता के बिना संघर्ष करना "वामपंथी" भटकाव की गलती है और संघर्ष के बिना एकता कायम करना दक्षिणपंथी भटकाव की गलती है। हमारी पार्टी में ये दोनों ही तरह की गलतियां हो चुकी हैं और हम इनसे कड़ुवे सबक सीख चुके हैं। बाद में हमने इन दोनों प्रकार के अनुभवों का निचोड़ निकाला और तब से "एकता और संघर्ष दोनों पर अमल करने", यानी जब आवश्यक हो संघर्ष करने और जब सम्भव हो एकता कायम करने की नीति को लागू किया। संघर्ष का उद्देश्य है राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ एकता कायम करना और साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में विजय प्राप्त करना।

साम्राज्यवादी और सामन्ती उत्पीड़न के शिकार देशों में, सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक पार्टी को चाहिए कि वह राष्ट्रीय पताका को ऊंचा उठाए और राष्ट्रीय एकता के एक ऐसे प्रोग्राम पर अमल करे जिसके जरिए केवल साम्राज्यवाद के पालतू कुत्तों को छोड़कर, उन तमाम शक्तियों के साथ एकता कायम की जाए, जिनके साथ एकता कायम की जा सकती है। पूरे राष्ट्र को यह मालूम होने दिया जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी कितनी देशभक्त है, कितनी शान्तिप्रिय है और राष्ट्रीय एकता के लिए कितनी इच्छुक है। इससे साम्राज्यवाद और उसके पालतू कुत्तों को, साथ ही बड़े जमींदारों के वर्ग और बड़े पूंजीपतियों के वर्ग को अलगाव की स्थिति में डालने में मदद मिलेगी।

कम्युनिस्टों को गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए। गलतियों का दोहरा चरित्र होता है। एक तरफ तो वे पार्टी और जनता को नुकसान पहुंचाती हैं तथा दूसरी तरफ अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाती हुई पार्टी और जनता दोनों को अच्छी शिक्षा देती हैं, और यह क्रान्ति के लिए लाभदायक है। असफलता सफलता की जननी है। अगर असफलता में कोई भी अच्छाई न हो तो वह सफलता की जननी कैसे बन सकती है? जब बहुत सी गलतियां हो जाती हैं तो परिवर्तन होना अनिवार्य है। यह मार्क्सवाद है। "वस्तुएं जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं तो अपने विपरीत तत्त्वों में बदल जाती हैं"; जब गलतियों का अम्बार लग जाता है तो प्रकाश की किरण ज्यादा दूर नहीं रह जाती। ❑

सर्व शिक्षा (सभी को शिक्षा) अभियान झूठा है !

संविधान का 93वां संशोधन "ढांचागत समायोजन" के सामने आत्मसमर्पण ही है !!

28 नवम्बर 2001 को लोकसभा में संविधान का 93वां संशोधन विधेयक एक मत से पारित किया गया। भारत के संविधान में देश के नागरिकों को 7 बुनियादी अधिकार दिए जा चुके हैं। बोलने, सभा, पत्रिका, धार्मिक आजादी, प्रचार, आदि अधिकार उनमें शामिल हैं। अब 93वां संशोधन के जरिए 'शिक्षा' को भी बुनियादी अधिकारों में लाया गया। शिक्षा का मतलब प्राथमिक शिक्षा ही है और वह भी 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए ही – ऐसा इस संशोधन में साफ तौर पर कहा गया।

28 नवम्बर को ही दिल्ली में संसद से 3 किलोमीटर दूर पर रामलीला मैदान में 50 हजार लोगों का एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें देश के कोने-कोने से पहुंचे खेतिहर मजदूरों, गरीब किसानों, शहरों के झोपड़पट्टी वासियों और कई महिलाओं ने भाग लिया। महाराष्ट्र के वरली और करकरी के आदिवासियों की भागीदारी इस प्रदर्शन की एक खास बात थी। इसमें "राष्ट्रपति हो या चपरासी का संतान, सबको शिक्षा एक समान" का नारा एक प्रमुख नारा बना था। गरीबों के लिए फिलहाल तो यह एक दिवास्वप्न ही होगा।

रामलीला मैदान में आयोजित इस सभा में प्रमुख वक्ता जाने-माने शिक्षाविद अनिल सदगोपाल (दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के प्रमुख और डीन रहे) थे। राज्यसभा सदस्या, अभिनेत्री शबाना आज़मी और एक कांग्रेसी नेता एडवार्डो फेलिइरो (जिसने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का संदेश पढ़कर सुनाया) ने भी सभा को संबोधित किया। कुछ ट्रेड यूनियन नेता भी इसमें शामिल थे। वक्ताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा: "स्कूल में गुरुजी ठीक से आते ही नहीं गांवों में पैदल जा सकने की दूरी पर न तो प्राथमिक स्कूल, न ही माध्यमिक स्कूल हैं। ऐसे में सरकारी लोग उन माता-पिताओं को जेल भेजने की धमकी कैसे दे सकते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते? जब हमारे गांवों में ढंग की स्कूलें ही नहीं, तो यह कैसे मुमकिन है?"

संविधान के 93वें संशोधन के जरिए सिर्फ 6-14 साल उम्र के बच्चों को ही शिक्षा का बुनियादी अधिकार होगा। धारा 21-ए को शामिल करने से यह अमल में लाया जा रहा है। इसमें यह बात भी जोड़ दी गई है कि इस उम्र के बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों का बुनियादी फर्ज है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही देश में 40 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। उन पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने की कानूनी अनिवार्यता थोपना निंदनीय है। यह भारत सरकार के 55 वर्षों के विफल शासन का ही सबूत है।

देश में अभी भी 50 प्रतिशत लोग भी साक्षर नहीं बन सके हैं। महिलाओं में साक्षरता की दर और भी कम है। भले ही सरकारें कई तिकड़म करें, चूंकि उनमें ईमानदारी का अभाव है, इसलिए गरीब बच्चों को शिक्षा का नसीब न हो पा रहा है। गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रख रही हैं। कानूनों में कई फेरबदलों के बावजूद उनकी रचना सभी को शिक्षा दिलवाने की दिशा में नहीं की जा रही है, अतः वे जन-विरोधी ही हैं। संविधान के 93वें संशोधन को देख लें-

संविधान के 93वें संशोधन के जरिए सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही मुफ्त एवं आवश्यक शिक्षा प्राथमिक अधिकार होगा। इसमें भी अभिभावकों पर ही बुनियादी जिम्मेदारी डाल दी गई। फिर 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को शिक्षा कैसे मिले? दिल्ली में 50 हजार से ज्यादा प्रदर्शकों ने सरकार से यही सीधा सवाल किया। "मुंबई में बिल्डरों को अंगूठे की मुहर देने से हमारी जिन्दगी एवं सम्पत्तियां संपन्न वर्गों के पास गिरवी रख दी गई, कम से कम हमारे बच्चों को तो पढ़ने का मौका मिले" वरली के आदिवासियों ने सभा में कहा। आयोजकों ने मांग की कि सभी को समान एवं समुचित शिक्षा दिलवाई जाए। 'क्राई' नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा गठित 'शिक्षा के प्राथमिक अधिकार के लिए राष्ट्रीय गठबंधन' नामक संस्था ने इस रैली का आयोजन किया। इस रैली में 6,000 लोग आमरण अनशन के लिए तैयार हो गए, जिसे 'ब्रम्हास्त्र' की संज्ञा दी गई। मुख्य विपक्षी नेता सोनिया गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस विधेयक में कई खामियां हैं। उन्होंने इसे 1993 में ही सर्वोच्च अदालत के न्यामूर्ति उन्निकृष्णन द्वारा दिए गए उस फैसले के भी खिलाफ कहा, जिसमें यह कहा गया था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सिखलाई जाए। सभा में अनेक वक्तों ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

जब संविधान लिखा गया तब उसमें 45वीं धारा के तहत 8वीं कक्षा तक 6-14 साल के बच्चों को पढ़ाया जाने का जिक्र है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 8वीं कक्षा पास करने से कोई नौकरी नहीं मिलेगी और व्यावसायिक शिक्षण कोर्सों के लिए कम से कम 10वीं या 12वीं पास करना जरूरी हो गया। आदिवासियों और दलितों को 10वीं कक्षा के बाद ही आरक्षण देने की बात कहकर मौजूदा 93वां संशोधन करने को कहा गया। जन्म लेने वाले हर शिशु को 18 साल की उम्र तक सरकार द्वारा ही मुफ्त एवं आवश्यक शिक्षा दी जाने की बात कही गई। भारत सरकार ने "अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन" में भाग लेकर उस पर दस्तखत किया। इस सम्मेलन के फैसले के मुताबिक 18 साल से कम उम्र वाले सभी बच्चे ही होंगे। इस तरह, उन्हें पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जिम्मा अभिभावकों को सौंपकर सरकार लापरवाही दिखा रही है। खुद केन्द्रीय शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित "भारत में शिक्षा" नामक पुस्तक में यह जिक्र बेशर्मी के साथ किया गया है कि संविधान के तहत इसकी जिम्मेदारी अभिभावकों पर डालने से पहले ही राज्यों में सरकार ने 1949 से 1971 के बीच 22 सालों में 15 लाख अभिभावकों पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। चूंकि अब अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना अभिभावकों की मूलभूत जिम्मेदारी बन गया है, इसलिए इस नए संशोधन के मुताबिक अगर सरकार बच्चों के माता-पिता को 'पोटा' के तहत जेल में डाल देगी तो आश्चर्य की बात नहीं।

रैली में भाग लेने वाली जनता ने माना कि संविधान के 93वां संशोधन के जरिए लड़कियों की पढ़ाई तो मुश्किल ही है। क्योंकि 6-14 साल की लड़कियों को घर पर अपने छोटे भाइयों और बहनों को संभालना इन्हीं लड़कियों का काम होता है। सरकार द्वारा लड़कियों में सारक्षता दर बढ़ाने के इरादे से 1992 से स्कूल जाने के हर दिन एक रूपया देने की योजना शुरू करने के बावजूद इस दिशा में कोई खास प्रगति नही हुई।

बच्चों को पढ़ाने के नाम पर सरकार कागजों पर तो कई कानून बनाती आ रही है। कई योजनाएं पेश कर रही है। फिलहाल देश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 37 करोड़ है, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 16 करोड़ है। दरअसल सरकार की सभी योजनाएं विरोधाभासपूर्ण ही हैं। एक ओर 6-14 साल के सभी बच्चों को पढ़ाने की बात करते हुए ही, दूसरी ओर उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उन्हें नियमित स्कूलों में भेजकर इमानदारी से पढ़ाने की जगह ढोंगी योजनाएं लागू कर रहे हैं। इन्हें मुख्यधारा से अलग करके वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये भी अधूरी ही हैं। सरकारों के इस दावे के कि चूंकि 6-14 वर्ष के बच्चों की आधी संख्या स्कूल नहीं जा रही है, उन सभी को स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए ही हमारा प्रयास, उलट उसका व्यवहार है। 1986-87 में 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना शुरू की गई। 1993 तक इस पर 2,618 करोड़ रु. खर्च करने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हो सकी, अतः सरकार ने इसे रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। 1993 में "पौढ़ शिक्षा" योजना आई। 1994 तक इसे "सभी को शिक्षा योजना" के नाम से प्रचारित किया गया। महाराष्ट्र में 1999 में "महात्मा फुले शिक्षा गारन्टी योजना" के नाम से एक योजना – इस तरह योजनाओं की झड़ी लगा दी गई, लेकिन नतीजा वही डाल के दो पात रहा। इन सभी की नींव 1995 में ही पड़ी थी।

1995 में विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था, यूनिसेफ और नदरलैंड्स की वित्तीय सहायता से देश के 18 राज्यों के 271 जिलों में डीपीईपी (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) की शुरूआत कर दी गई। यह उस 'ढांचागत समायोजन कार्यक्रम' का हिस्सा है जो भारत सरकार ने 1991 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं के सामने घुटने टेककर भूमण्डलीकरण के तहत शुरू किया। मुख्य रूप से केरल का उदाहरण पेश करते हुए यह प्रचार किया जा रहा है कि डीपीईपी जोरदार ढंग से चल रहा है। लेकिन सभी राज्यों के परिणामों से यह झूठ साबित हो जाता है। इस शिक्षा गारन्टी योजना के तहत नियुक्त शिक्षक योग्य नहीं हैं। ये सब कम शैक्षणिक योजनाओं से, प्रशिक्षण की कमी, कम वेतन पर, ठेके में नियुक्त ग्रामीण बेरोजगार युवक हैं। आसमान के नीचे खुली जगहों पर चलाई जा रही इन स्कूलों में बच्चों को क्या शिक्षा मिलती होगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है। इस पर हो रहे खर्च से बचने के लिए भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार की मांग पर एनसीईआरटी ने 6-14 साल उम्र के बच्चों के लिए डाक के जरिए कॉरस्पान्डेन्स शिक्षा पद्धति तैयार की। बच्चों की पढ़ाई पर सरकार का यह खयाल है !

93वां संशोधन के साथ ही सरकार ने बजट में शिक्षा की मुद्रा पर आवंटन बढ़ाने की घोषणा की। फिलहाल मौजूदा 3800 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 9800 करोड़ रुपए करके आगामी 10 वर्षों में शिक्षा के अभाव को दूर किया जाने की बात कही गई। यानी यह सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.35 प्रतिशत ही है। लेकिन, अगर तपन मजुमदार की सिफारिशों को मान लें, तो सरकार को आगामी 10 वर्षों तक सालाना 14 हजार करोड़ रुपए खर्च करना होगा। इतना पैसा आवंटित करने के बावजूद भी 6-14 वर्ष के बच्चों की आधी संख्या को ही शिक्षा का नसीब हो पाएगा, ऐसा तपन मजुमदार का मानना है। इन सिफारिशों के मुताबिक भी शिक्षा पर आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का महज 0.78 प्रतिशत ही होगा। गोकक आयोग की सिफारिशों में शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करने की हिदायत है, जिस पर अमल करने की हिम्मत सरकार कर ही नही सकती!

जहां एक ओर सभी को शिक्षा के लिए वित्तीय संशाधनों की कमी की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मानव संशाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने साफ कह दिया कि सरकार 0-6 वर्ष उम्र के बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकेगी। इस समस्या के समाधान के लिए उसने कई गैर-सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेटर जगत के परिवारों से सामने हाथ फैलाया। जगजाहिर है कि 2000 में आन्ध्र, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स के सामने प्राथमिक शिक्षा के लिए हाथ फैलाया था। यह कोई इत्तेफाक से उठाया गया कदम न था। विश्व बैंक और आइएमएफ के इन आदेशों के मुताबिक ही जोशी ने यह कदम उठाया कि जन कल्याण के कार्यक्रमों से सरकार अपना हाथ खींच ले। यह शिक्षा के व्यापारीकरण का हिस्सा ही था। गैर सरकारी संगठन भी सभी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं पर ही अमल करते हैं।

मौजूदा व्यवस्था में सभी बच्चों को क्या समान एवं वैज्ञानिक शिक्षा संभव है? 50 साल से ज्यादा उम्र के 'आजाद' भारत का इतिहास गवाह है, संभव नहीं। सरकार चाहे कितने भी कानून करें, उनसे गरीबों को शिक्षा नहीं मिलेगी। 93वें संशोधन में कई खामियां हैं, और 0-18 उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाई जानी चाहिए कहकर जिन विपक्षी पार्टियों ने हल्ला मचाया था, उन्हीं पार्टियों ने आखिर लोकसभा में विधेयक पर बहस खत्म होने से पहले ही अपनी स्वीकृति दी। जिन गैर सरकारी संगठनों ने आमरण अनशन की धमकी दे रखी थी, वे बहस समाप्त होने से पहले ही रामलीला मैदान से नदारद हो गए।

विधेयक को विपक्षी दलों की मंजूरी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा हथियार डाल देना – दोनों अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। असल बात यह है कि 1991 से देश में अमल हो रही नई आर्थिक नीतियों (भूमण्डलीकरण) के तहत 'ढांचागत समायोजन' कार्यक्रम पर सभी संसदवादी बुर्जुवाई और संशोधनवादी पार्टियों तथा देश में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के बीच अघोषित सहमति है। इसीलिए सरकार जो भी जन-विरोधी विधेयक पेश करती है तो उसे सभी का समर्थन मिलता है। जब तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठनों की शर्तों के सामने भारतीय शासक वर्ग घुटने टिकाए रहेंगे तब तक उत्पीड़ित जनता को कोई भी प्राथमिक अधिकार नहीं मिलेंगे – जनता का एक भी हित पूरा नहीं होगा। इस व्यवस्था को खत्म करके वैकल्पिक व्यवस्था को कायम करने से ही उत्पीड़ित जनता की आशाएं, लक्ष्य, अधिकार, जिम्मेदारियां आदि सही ढंग से साकार हो सकेंगे। इस लक्ष्य से आन्ध्र-बिहार-दण्डकारण्य-उड़ीसा आदि राज्यों में जारी जनयुद्ध के जरिए इसकी नींव रखी जा रही है। यही भारत की जनता के लिए अनुसरणीय रास्ता है। ❑

22 अप्रैल के मौके पर .....

कॉमरेड लेनिन की जीवनी को अपना आदर्श बना लेंगे !

ठोस हालात का ठोस रूप से अध्ययन करेंगे !!

आज मार्क्सवाद के महान शिक्षक कॉमरेड लेनिन और साथ ही, हमारी पार्टी का जन्मदिन है। कॉमरेड लेनिन का 132वां जन्मदिन और हमारी पार्टी का 33वां जन्मदिन। इस अवसर पर कॉमरेड लेनिन की जीवनी को अपना आदर्श बनाकर पार्टी के भावी इतिहास को बेहतर ढंग से संवारेंगे। कॉमरेड लेनिन के जीवन इतिहास का अर्थ आधुनिक रूस का इतिहास ही है। कॉमरेड लेनिन का इतिहास रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। कॉमरेड लेनिन का इतिहास विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलल का इतिहास है, जिसने दूसरे इंटरनेशनल के कठमुल्लावाद और संशोधनवाद को तोड़ दिया था। कॉमरेड लेनिन का इतिहास सैद्धांतिक एवं राजनीतिक संघर्षों के दौरान मार्क्सवाद को विकसित करने का इतिहास है।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में कॉमरेड लेनिन के कदम रखने से पहले ही कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो चुकी थी। एंगेल्स भी बीमारी के चलते अपनी जिन्दगी के आखिरी चरण में थे (1895 में उनकी मृत्यु हुई)। एंगेल्स के आखिरी दिनों से ही अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में कार्ल काट्स्की नेता के तौर पर अपना सिक्का जमाए हुआ था। उस समय कॉमरेड लेनिन की कोई खास अहमियत नहीं थी। उधर, एंगेल्स के आखिरी दिनों के दौरान ही दुनिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने लगे थे। हालांकि एंगेल्स ने कुछेक साम्राज्यवादी लक्षणों को पहचाना था, लेकिन आखिरी दिनों में उनकी अशक्तता और साम्राज्यवाद के लक्षणों के अभी साफ तौर पर उजागर न होने की वजहों से वे साम्राज्यवाद का विस्तारपूर्वक विश्लेषण नहीं कर सके।

लेकिन 20वीं सदी की शुरूआत तक साम्राज्यवाद ने स्पष्ट रूप धारण कर लिया। मुक्त पूंजीवादी पद्धति खत्म हो गई। तब तक जारी अपेक्षतया शांति का दौर भी खत्म हो चुका था। हालात ऐसे बने थे कि मजदूरों को प्रत्यक्ष कार्रवाई में उतरना था। लेकिन इन बदले हालात को ध्यान में नहीं रखने की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में कठमुल्लावाद और संशोधनवाद पनपे थे। तब तक अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में बेजोड़ नेता रहे कार्ल काट्स्की और उसके टोले ने मार्क्स का नाम लेते हुए ही लेनिन पर हमला बोल दिया था। इसी संघर्ष में कॉमरेड लेनिन ने कठमुल्लावादियों को धूल चटाकर मार्क्सवाद के सारतत्त्व का बचाव किया था। इसी संघर्ष में उन्होंने कठमुल्लावादियों के खिलाफ सार्वभौमिक एवं बेजोड़ मार्गदर्शक सूत्रों को पारिभाषित किया : "मार्क्सवाद व्यवहार का मार्गदर्शक है, न कि कठमुल्लावाद", "ठोस हालात को ठोस रूप से विश्लेषण करना मार्क्सवाद की विषय-वस्तु है", आदि।

साम्राज्यवाद के मुद्दे पर, (जनवादी क्रान्ति में) सर्वहारा के नेतृत्व के मुद्दे पर, किसान सवाल पर, किसी एक देश में क्रान्ति की जीत के मुद्दे पर, राज्ययंत्र के मुद्दे पर और सर्वहारा अधिनायकत्व के मुद्दे पर कॉमरेड लेनिन ने कठमुल्लावाद से लोहा लिया था। यदि वे इन मुद्दों पर वे कठमुल्लावाद का मुकाबला न करते, तो 1917 में रूस में क्रान्ति ही संभव न हो पाती। रूस में क्रान्ति को रोकने के लिए एक ही कठमुल्ला सूत्र काफी था कि "किसी एक ही देश में क्रान्ति संभव नहीं है।"

इसी तरह, मार्क्सवाद को विकसित करने के नाम पर कुछ लोगों ने मार्क्सवाद को भ्रष्ट बनाने की कोशिश की। कॉमरेड लेनिन ने इस ढोंगी रचनात्मक मार्क्सवादियों के खिलाफ भी समझौताहीन संघर्ष चलाया। उनकी धोखेबाजी और संशोधनवाद का पर्दाफाश कर उसे हरा दिया।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास ने भी कई उतार-चढ़ाव देखे। लम्बे अरसे तक भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी भारत की क्रान्ति के रास्ते को लेकर कठमुल्लावाद का ही बोलबाला रहा। भारत के ठोस हालात का ठोस रूप से अध्ययन नहीं किया गया। इससे भारत में भी रूस की तरह सशस्त्र आम हड़ताल का रूप लेकर क्रान्ति के सफल होने की बात चलती थी। भारत को अर्ध-उपनिवेशी एवं अर्ध-सामंती देश के रूप में नहीं पहचाना गया क्योंकि भारत का ठोस अध्ययन नहीं किया जा सका। इसलिए, यह माना गया था (अभी भी संशोधनवादी इन्हीं धारणाओं को प्रचारित करते हैं) कि भारत में समाजवादी क्रान्ति ही चलानी होगी। ठोस हालात का ठोस रूप से अध्ययन न करने से उपजे कठमुल्लावाद आखिर में संशोधनवाद का रूप धारण कर हमेशा के लिए संसदवाद में फंस गया। 1960 के दशक के आखिरी चरण तक भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन का विकास इसी तरह, दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच डगमगाते हुए ही होता आया था। 1960 के दशक के आखिर में भारत में भी अनेक तीखी तब्दीलियां हुई थीं। भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन को साफ तौर पर अपना रास्ता तय करने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे हालात में कॉमरेड चारु मजुमदार की अगुवाई में कठमुल्लावाद और संशोधनवाद को तोड़ने के बाद ही भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन "दीर्घकालिक हथियारबन्द संघर्ष" को भारत की क्रान्ति के रास्ते के तौर पर अपना सका। इस रास्ते पर चलकर क्रान्ति को सफल बनाने के लिए और इसके जरिए अन्तिम मकसद की ओर आगे बढ़ने के लिए ही 22 अप्रैल 1969 को हमारी पार्टी "भाकपा (मा-ले)" की स्थापना की गई।

कॉमरेड लेनिन की जीवनी से भी तथा हमारी पार्टी के इतिहास से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठमुल्लावाद और संशोधनवाद के खिलाफ लड़कर ही आन्दोलन या सिद्धांत का विकास होगा। हमारी पार्टी की 9वीं कांग्रेस में भी हमने यह निष्कर्ष निकाला कि ठोस हालात का ठोस रूप से विश्लेषण करने में विफलता के नतीजे में ही हमारी पार्टी भी अलग-अलग अवसरों पर मनोगतवाद का शिकार हुई थी। इसलिए, हम मार्क्सवाद को कठमुल्लावाद के रूप में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार के लिए मार्गदर्शक के तौर पर स्वीकारते हुए आगे बढ़ेंगे। दण्डकारण्य में छापामार आधारों का निर्माण करते हुए दण्डकारण्य को मुक्तांचल में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ❑

मई दिय्या जिन्दाबाद!

सब्बे समाज तुन मिडता लाइ मई दिय्या तुन मानेमायकाल !!

मावा कॉमरेडस,

नेंडु मई दिवस। मीटु सब्बे टोर वेने पुत्तिर। सन 1886 ते अमेरिका देश लोपे शिकागो शहर ता मजदूर लोकुर उंदि दिय्या ते आठ घण्टाये माटु काम किन्तोम इंजी हड़ताल कीत्तोर। इदु हड़ताल तुन दबा कियाला अमेरिका सरकार मजदूर लोकुरा जुलूस पोर्रो फायरिंग कीया वेहची मजदूर लोकुर किन हौक्ता। ओसो ओरा नेता लोरा पोर्रो डोंगा केस वाटी फांसी सजा ईसी हौक्तोर। 1889 ते सोशलिस्ट इंटरनेशनल कमेटी, शिकागो घटना तुन हर साल मई एक तारीरख ते मई दिवस तुन मानेमायकाल इंजी मजदूर संघर्ष तुन मुन्ने ओयला किरिया कीयाना इंजी तिरमानम कीत्ता। 1890 तंची पूरा दुनिया ते मई दिवस तुन कीसोर मंतोर (इत्के 112 साल तंची कीसोर मंतोर)।

मति इंजे मई दिवस तुन सब्बे टोर कीसोर मंतोर। डोंगा कम्युनिस्ट पार्टी तोर [भाकपा, माकापा] वेने मई दिय्या कीन्तोर। ओसो मजदूर लोरकिन हौक्तोर पूंजीपतिर ओरा सरकार तोर वेने मई दिवस कीसोर मंतोर। वीरु सब्बे टोर मई दिवस तुन दाना लक्ष्य तुन, उद्देश्य तुन लेसी कीसोर मंतोर। अदिन्के इंजे क्रांतिकारी लोकुर, ई डोंगा लोरा गत्ति (नाड़े कियानादुन) तुन जनताकिन समझा कियाना। मई दिवस तुन दाना लक्ष्यताके ओयना, जनता तुन असल अर्री ते ओयना क्रांतिकारी लोकुरा पडी (कर्तव्य) आंदु।

संशोधनवादी दोंगा कम्युनिस्ट पार्टी तोरु मई दिवस तुन, मजदूर वर्ग अच्चम तमा रोजी कुली पेरसि कीयाना पोराटम लेक्का कीसोर मंतोर। ओरु तमा मई दिवस मीटिंग ते शिकागो शहर ता मजदूर वर्ग अच्चम कम घण्टा काम कीन्तोम इंजी ओसो नेल्ला कुली ईयना इंजीं संघर्ष कीत्ता लेक्का वेहींतोर। अदिनके ओरु असुंतावे संघर्ष कीइंतोर मत्ति पूरा लूटी कीयना वर्ग तुन तेंडालाइ लड़ाई कीवोर, वेहोर। मत्ति शिकागो शहर ता मजदूर वर्ग अच्चम कम घंटा काम कींतोम, वेल्लाय कूली इयानिंजि सघर्ष कीवोर। पूरा समाज तुन बदला कीयला (वोरोर मानेन ओसो वरोर लूटी कीयना इलवा समाज मैदे कियाना) लड़ाई लोपेन शिकागो शहर मजदूर रोजतव समस्या ता साठी वेन्ने संघर्ष कीत्तोर। अदिन्के मई दिय्यातादु अस्सल विषय कम घण्टा, कूली बेरिसि कीयना आयो, अस्सल विषय लूटी कीयाना समाज तुन बदला कीयना। अदिन्के मनाल इदे विषय तुन पक्काय प्रचार कीयाना। जनता कुन समझा कीयना। रेंडु रुपए कूली पेरसित्के मावा पूरा बतकाड़, पिसुवल बदले मायो इंजि। जनता तुन समाज तुन बदला कीयना संघर्ष अर्रि ते ओयाना। इद संघर्ष लोपाये रोजतव समस्या मैदेन वेने संघर्ष कीयाना। मत्ति अव्वे पूरा संघर्ष आयो। समाज तुन बदली कियानादु संघर्ष ये पूरा संघर्ष, असल लड़ाई आन्दु।

ओसो उंदि सेप्पा (उंदि वड़का) पूंजीपतिर, सामंतवादीर ओरा सरकार वेने मई दिवस दूसरा लेक्का किसोर मंतोर। सरकारी मई दिवस ते, मजदूर लोकुर पक्काये काम कियाना इंजी, देश तुन विकास कियाना इंजी वेहचोर मंतोर। काम किया नगे पोटी अरदाना इंजी केत्ता मुंतोर। पक्काय काम कितोरकिन 'श्रमवीर', 'श्रमरत्न' इंजी अवार्ड हिसोर मंतोर। इनाम हिसोर मंतोर। इत्के मई दिय्या तुन वेने ओसो मजदूर लोकुरिन लुटी कियाना दिय्या लेक्काने सरकार कीसोर मंता। मजदूर लोकुरा नडुम पोटी वाटि ओरकिन ओसो पक्काय लुटी कियाला गत्ति (नाड़े) किसोर मंतोर। विरा गत्ति तुन वेने जनताकिन मनाल वेहताना। मई दिय्या इत्के मजदूर, मजदूर पोटी अरसी पूंजीपतिर किन बेरसी कियाना दिय्या आयो इंजी वेने मनाल वेहताना। मई दिय्या इत्के लुट-पाट समाज तुन पूरा मिड़तालायी किरिया कियाना दिय्या। पूंजीपतिरा, सामंतवादीरा सरकार तुन मुट्टी कियाला लड़ाई तुन मुन्ने ओयाना दिय्या।

मावा कॉमरेडस, नेंडु मई दिय्या ते इदु लूट-पाट समाज तुन पूरा मिड़ताकाल इंजी किरिया कीसि, सामंतवादीरा, दलाल पूंजीपतिरा सरकार तुन मुट्टी कियाला लड़ाई तुन मुन्ने ओयकाल। ओसो संशोधनवादी दोंगा कम्युनिस्ट लोरा, पूंजीपतिरा, सरकारता गत्ति तुन हारे किकाल।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ

मीवा

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

शहीद साथियों की शूरतापूर्ण कुरबानी को ऊंचा उठाकर

गांव-गांव में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक

'शहीद-सप्ताह' मनाएंगे!